यूनियन सृजन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष 10, अंक - 4, मुंबई, अक्तूबर-दिसंबर, 2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि- 13.02.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष 10, अंक - 4, मुंबई, अक्तूबर-दिसंबर, 2025

जी आई उत्पाद विशेषांक

मुख्य संरक्षक

आशीष पाण्डेय
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संरक्षक

नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

एस. रामसुब्रमणियन
कार्यपालक निदेशक

संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक

अमरेश प्रसाद
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

सुरेश चन्द्र तेली
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं)

संपादकीय सलाहकार

विकास कुमार
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.)

जी. एन. दास
महाप्रबंधक

कार्यकारी संपादक

विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)

संपादकीय सहयोग

मोहित सिंह ठाकुर
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

जागृति उपाध्याय
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

1. आप सभी से "यूनियन सृजन" के इस अंक के माध्यम से जुड़कर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बैंक की हिंदी तिमाही गृह पत्रिका "यूनियन सृजन" का यह विशेषांक, भौगोलिक उपदर्शन - अर्थात् जीआई टैग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समर्पित है। जीआई टैग केवल किसी उत्पाद की पहचान का औपचारिक प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, विरासत, विशिष्ट कौशल और स्थानीय समुदायों की दीर्घकालिक परंपराओं का जीवंत दर्पण है। भारत की विविधता इन उत्पादों के माध्यम से और भी अधिक उजागर होती है, क्योंकि प्रत्येक जीआई उत्पाद अपने भीतर एक अनूठी कथा, कौशल और ऐतिहासिक यात्रा का साक्षी होता है।

2. भारत ने सदियों से कला, शिल्प, कृषि और पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध धरोहर को संरक्षित रखा है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पीढ़ियों से विकसित हुई कला और उत्पादन शैली उस स्थान के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा होती है। ऐसे में जीआई टैग न केवल इन पारंपरिक तकनीकों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को औपचारिक मान्यता प्रदान करते हैं, बल्कि इन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रामाणिक पहचान और संरक्षण भी प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर, जीआई टैग का प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह न केवल उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, बल्कि किसानों, बुनकरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

3. आज के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। वस्तुओं की प्रामाणिकता और विशिष्टता का महत्व बढ़ रहा हैं। ऐसे समय में भारत के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद - चाहे वह कांचीपुरम की साड़ियाँ हों, बनारस का शिल्प, दार्जलिंग की चाय, मैसूर का रेशम, वारली कला, कोल्हापुरी चप्पलें या किसी भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट कृषि उपज अथवा तैयार पकवान या फिर विशेष चित्रकारी आदि - ये सब हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी पारंपरिक संपदा में विशाल संभावनाओं का संसार छिपा हुआ है। इन उत्पादों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ना और इनके लिए उपयुक्त मूल्य श्रृंखला विकसित करना हमारे किसानों और कारीगरों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है और साथ ही यह बैंकिंग के लिए भी नए अवसर और नई संभावनाओं को जन्म देता है।

4. हमारा संगठनात्मक मंत्र, **"कारोबार सर्वोपरि, अनुपालन निरंतर"**, केवल एक नारा नहीं है; यह स्वयं के प्रति, संस्था और सभी हितधारकों के प्रति हमारी वचनबद्धता है। इसी कड़ी में जीआई टैग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेषांक का हिंदी में प्रकाशन का उद्देश्य केवल इस विषय से संबंधित जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि पाठकों को जीआई टैग की पूरी प्रक्रिया - पंजीकरण, संरक्षण, विपणन और निर्यात के बारे में सरल, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी प्रदान करना और उन्हें जागरूक बनाना है।

5. राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति यूनियन बैंक की प्रतिबद्धता रही है। महत्वपूर्ण बैंकिंग एवं सामयिक विषयों पर हिंदी में इस प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक प्रकाशन से बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलती है। मैं संपादकीय समिति को हृदय से बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस अंक को शोधपरक लेखों, फील्ड अनुभवों और प्रेरक उदाहरणों से समृद्ध किया है। उनके प्रयासों ने इस विषय को न केवल रोचक बनाया है, बल्कि इसे पाठकों के लिए समझने में आसान और उपयोगी भी बनाया है। मुझे आशा है कि यह विशेषांक सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सिद्ध होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(आशीष पाण्डेय)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन सृजन' के इस अंक के माध्यम से आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिंदी तिमाही गृह-पत्रिका का यह विशेषांक भौगोलिक उपदर्शन (जीआई टैग) विषय पर केंद्रित एवं समर्पित है। इस अंक का प्रकाशन न केवल हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर को प्रकाशमान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार राजभाषा हिंदी के माध्यम से हम ज्ञान-विस्तार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

भारत विश्व की उन कुछ प्रमुख सभ्यताओं में है जहाँ विविधता ही हमारी पहचान है। यहाँ की प्रत्येक कला, शिल्प, कृषि उत्पाद, परंपराएँ और स्थानीय कौशल सदियों की निरंतर साधना और अनूठे अनुभव का उदाहरण हैं। ऐसे पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों की पहचान सुनिश्चित करने, इन्हें मान्यता प्रदान करने तथा इनकी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए जीआई टैग महत्वपूर्ण है। यह टैग न केवल उत्पाद की मौलिकता को संरक्षित करता है, बल्कि संबंधित क्षेत्र के कारीगरों, शिल्पियों, कृषकों और लघु उद्यमियों के आर्थिक हितों को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है।

आज वैश्वीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है और जीआई टैग एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में सामने आया है। यह न केवल हमारे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है, बल्कि हमारे स्थानीय कौशल और पारंपरिक ज्ञान को अंतरराष्ट्रीय पहचान और बाज़ार भी प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

इस संदर्भ में मुझे विशेष रूप से यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश में जीआई उत्पादों के प्रलेखन, संरक्षण, प्रचार-प्रसार और विपणन संबंधी प्रयासों को हिंदी में अधिकाधिक उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। राजभाषा हिंदी वह माध्यम है जो देश के करोड़ों लोगों को ज्ञान, सूचना और बाजार की नई अवधारणाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। हिंदी अपनी सरलता और व्यापक स्वीकार्यता के कारण प्रशासनिक, तकनीकी और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयोग की जाती है।

हमारा बैंक भी राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रचार-प्रसार, उसके प्रयोग की निरंतर वृद्धि तथा सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रतिबद्ध है। मुझे यह कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी गृह पत्रिका हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने का माध्यम बन चुकी है। यह पत्रिका पहले भी विशेषांक के रूप में विभिन्न आर्थिक प्रगति और तकनीकी विषयों पर सामग्री को सरल एवं सुगम भाषा में पाठकों तक पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक करती रही है।

इस विशेषांक में जीआई टैग की अवधारणा, इसके पंजीकरण की प्रक्रिया, इसके लाभ, विभिन्न राज्यों के प्रमुख जीआई उत्पादों, स्थानीय समुदायों पर इसके आर्थिक प्रभाव, तथा भारतीय बाज़ार एवं निर्यात में इसके योगदान पर सारगर्भित और उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की गई है। मुझे विश्वास है कि यह अंक पठनीय एवं संग्रहनीय सिद्ध होगा।

मैं, संपादकीय मंडल और इस विशेषांक की तैयारी से जुड़े सभी सहकर्मियों, लेखकों और रचनाकारों को बधाई देता हूँ। उनके समर्पण और रचनात्मक दृष्टिकोण ने इस अंक को ज्ञानवर्धक, प्रेरक और पठनीय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह विशेषांक पाठकों में जीआई टैग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

"यूनियन सृजन"- हिंदी तिमाही गृह-पत्रिका का यह अंक भौगोलिक उपदर्शन (जीआई टैग) विषय पर सामयिक और बहुआयामी विषय को समर्पित है। इस विशेषांक के माध्यम से हम भारत की सांस्कृतिक, कृषि, पारंपरिक एवं आर्थिक विरासत के उन विशिष्ट पक्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो न केवल हमारी पहचान हैं बल्कि आज के वैश्विक परिवेश में नए अवसरों को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी, कला, शिल्प, कृषि पद्धतियाँ और स्थानीय ज्ञान-परंपराएँ अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्टता रखती हैं। इन्हीं विशिष्टताओं की सुरक्षा, पहचान और वैश्विक मान्यता के लिए जीआई टैग की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जीआई टैग किसी उत्पाद के स्रोत क्षेत्र, उसकी विशिष्ट गुणवत्ता, पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की आधिकारिक मान्यता है। यह प्रणाली न केवल परंपराओं के संरक्षण का साधन है, बल्कि यह किसानों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ भी है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख भूमिका है। अनेक कृषि उत्पाद जैसे कि बासमती चावल, नागपुरी संतरा, अल्फांसो आम, मिर्च के विशिष्ट प्रकार, मिलेट्स, चाय और कॉफी आदि अपनी अनूठी गुणवत्ता के कारण विश्व स्तर पर सम्मान पाते हैं। इन उत्पादों को जीआई टैग मिलने से किसानों को बेहतर बाजार, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, उचित मूल्य के साथ-साथ उपभोक्ताओं का विश्वास भी प्राप्त होता है। यह स्थानीय किस्मों के संरक्षण और जैव-विविधता को बढ़ावा देता है, जो आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रासंगिक है।

जीआई उत्पादों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के नए अवसर खोले हैं। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पर आधारित मूल्य-श्रृंखला, किसानों, बुनकरों और कारीगरों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं। इस प्रकार ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, बाजार जोखिम कम होता है और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद - चाहे वह हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो, विशिष्ट खाद्य सामग्री हो या पारंपरिक कलाएँ ये अधिकांशतः एमएसएमई इकाइयों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं।

जीआई टैग इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, नकली उत्पादों से सुरक्षा देता है, निर्यात के अवसर पैदा करता है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करता है। जीआई प्रणाली एमएसएमई क्षेत्र की सतत वृद्धि का एक प्रमुख आधार बन चुकी है। जीआई टैग आर्थिक मुख्यधारा में उन अनेक समुदायों को शामिल करने का माध्यम बन रहा है जो अब तक वित्तीय रूप से पिछड़े हुए थे।

हमारी संस्था राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के उपयोग और उसके संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। हमारी यह पत्रिका भी इसी प्रतिबद्धता का एक सशक्त माध्यम है, जो जटिल विषयों को सरल हिंदी में पाठकों तक पहुँचाती है और ज्ञान को प्रसारित करने का कार्य करती है। मुझे विश्वास है कि यह विशेषांक पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और जीआई टैग के महत्त्व को नए दृष्टिकोण से समझने में सहायक बनेगा।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

एस राम

(एस. रामसुब्रमणियन)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

"यूनियन सृजन", हिंदी तिमाही गृह-पत्रिका का यह विशेषांक भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) विषय पर केंद्रित है। यह अंक न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविध शिल्प परंपराओं को नवीन आयाम प्रदान करता है, बल्कि अनुपालन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं जैसी आधुनिक शासन प्रणालियों के संदर्भ में इन उत्पादों की प्रासंगिकता को भी प्रभावी रूप से रेखांकित करता है।

जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक पहचान, गुणवत्ता तथा पारंपरिक कारीगरी को कानूनी एवं औद्योगिक संरक्षण प्रदान करता है। इससे न केवल उत्पाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है, बल्कि कारीगरों, बुनकरों, कृषकों एवं ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा तथा वैश्विक पहचान भी प्राप्त होती है। भारत के अनेक जीआई उत्पाद आज विश्व बाजार में भारतीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ बना रहे हैं।

वर्तमान कारोबारी परिदृश्य में अनुपालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जीआई उत्पादों की पंजीकरण प्रक्रिया, गुणवत्ता मानक, ट्रेडमार्क संरक्षण, आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में अनुपालन की अनिवार्यता निरंतर बढ़ रही है। इसके प्रमुख आयामों में उत्पाद की मूल भौगोलिक पहचान का संरक्षण, निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन, नकली उत्पादों पर नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रलेखन तथा विधिक प्रावधानों का अनुपालन सम्मिलित हैं। इनका पालन जीआई उत्पादों की विश्वसनीयता, बाजार विस्तार और निर्यात संभावनाओं को सशक्त करता है।

आज जीआई आधारित उद्यम तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्मों की ओर अग्रसर हो रहे हैं - चाहे वह ई-कॉमर्स पोर्टल हों, डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ हों अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ। इस डिजिटल विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। संबंधित संगठनों को डेटा सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी से संरक्षण, सुरक्षित डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन लेन-देन की निगरानी जैसे क्षेत्रों में सतर्क रहना आवश्यक है। एक सुरक्षित साइबर वातावरण न केवल उपभोक्ता विश्वास को सुदृढ़ करता है, बल्कि जीआई उत्पादों को वैश्विक डिजिटल बाजार में सुरक्षित एवं प्रभावी रूप से स्थापित करने में भी सहायक होता है।

एमएसएमई उद्यमों एवं जीआई उत्पादकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में डिजिटल खाता खोलने की प्रक्रिया और वित्तीय समावेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ई-केवाईसी, वीडियो केवाईसी, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, यूपीआई आधारित भुगतान तथा मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने जीआई उत्पादकों की वित्तीय पहुँच को सरल, सुलभ और तीव्र बनाया है। इन माध्यमों से जुड़कर छोटे उत्पादक एवं कारीगर औपचारिक वित्त, ऋण सुविधाओं तथा सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने व्यवसाय को सुदृढ़ बना रहे हैं।

हमारा बैंक सदैव यह सुनिश्चित करता है कि राजभाषा नीति के अनुरूप अधिकाधिक कार्य हिंदी में संपादित हों तथा तकनीकी विषयों को भी सरल, स्पष्ट एवं सुगम हिंदी में प्रस्तुत किया जाए। "यूनियन सृजन" तिमाही पत्रिका इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

मैं संपादकीय मंडल को इस विशेषांक के माध्यम से जीआई टैग जैसे समकालीन एवं व्यापक महत्व वाले विषय के चयन हेतु हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही, सभी लेखकों को भी साधुवाद, जिन्होंने विषय के विविध पहलुओं पर गुणवत्तापूर्ण एवं ज्ञानवर्धक आलेख प्रस्तुत किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अंक जीआई टैग के महत्व को समझने के साथ-साथ अनुपालन, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के इस नए युग में हमारे देश के उत्पादकों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

संजय रुद्र

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

बैंक की कॉर्पोरेट हिंदी तिमाही गृह-पत्रिका "यूनियन सृजन" के माध्यम से आप सभी के साथ पहली बार जुड़ते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विशेषांक भौगोलिक उपदर्शन (जीआई टैग) विषय पर केंद्रित है। भारतीय परंपराओं, कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, कारीगरी और लोक-कला की असाधारण विविधता को देखते हुए जीआई टैग एक ऐसा तंत्र बन चुका है जो न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों में नए अवसर भी उत्पन्न करता है।

जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता, उसकी गुणवत्ता और पारंपरिक कारीगरी को औपचारिक संरक्षण प्रदान करता है। देश के कई राज्यों में उभरते जीआई उत्पाद, जैसे कि विशेष कृषि उपज, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री और प्राकृतिक उत्पाद आदि को नया बाज़ार दे रहे हैं और साथ ही छोटे उत्पादकों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन रहे हैं। जीआई टैग उनकी बाजार तक पहुँच के साथ-साथ ब्रांड पहचान, और निर्यात संभावनाओं को नई दिशा दे रहा है।

जीआई उत्पादक प्रायः छोटे किसान, कारीगर, स्व-सहायता समूह, महिला उद्यमी और सूक्ष्म इकाइयों से जुड़े होते हैं। इनकी आर्थिक प्रगति के लिए खाता खोलने की सरल और डिजिटल प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन और मोबाइल-आधारित बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अब जीआई उत्पादक आसानी से औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन पा रहे हैं। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ, सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि पारदर्शी ढंग से मिलने में और बचत करने तथा औपचारिक ऋण प्राप्त करने की मानसिकता विकसित करने में सहायता हो रही है।

जीआई आधारित उद्यमों का विस्तार न केवल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में कासा जमा की वृद्धि में भी योगदान देते हैं। जब कारीगर, किसान और छोटे उद्यमी औपचारिक खाता संचालन की ओर बढ़ते हैं तो नियमित लेन-देन में बढ़ोत्तरी होती है, अधिक बचत खाते सक्रिय होते हैं, सामूहिक समूहों के चालू खातों में वृद्धि के साथ-साथ इनमें परिचालन भी बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप, बाजार-आधारित गतिविधियों से कासा प्रवाह मजबूत होता है। कासा जमा में वृद्धि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है और कम लागत पर संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसका प्रतिफल जीआई उत्पादकों को अधिक किफायती ऋण सुविधाओं के रूप में प्राप्त होता है।

जीआई टैग निर्यात क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। यह वैश्विक बाजार को उत्पाद की गुणवत्ता, प्रामाणिकता और विशिष्टता का प्रमाण प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप जीआई आधारित उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, एक्जिम प्रलेखन, प्रमाणन प्रक्रिया और डिजिटल व्यापार सुविधाओं आदि का लाभ अधिक आसानी से उठा पाते हैं। नकली उत्पादों पर रोक और ब्रांड की कानूनी सुरक्षा भी जीआई टैग के साथ मजबूत होती है। इससे भारत के कई पारंपरिक उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी सशक्त जगह बनाने लगे हैं।

हमारा बैंक राजभाषा के संवर्धन और सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकतम उपयोग के लिए निरंतर कार्यरत है। इस तिमाही पत्रिका का निरंतर प्रकाशन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस विशेषांक के लेखकों तथा संपादकीय मंडल का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस विशेषांक को समकालीन और पाठकों हेतु उपयोगी बनाया है। मुझे विश्वास है कि यह अंक जीआई टैग के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय प्रभावों को समझने में सभी पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

(अमरेश प्रसाद)
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

आपके हाथों में 'यूनियन सृजन' का यह विशेषांक एक ऐसे विषय को समर्पित है, जो मिट्टी की सुगंध, कौशल की विरासत और समय की तपिश—तीनों को एक साथ समेटे हुए है। इस अंक का केंद्र है भौगोलिक उपदर्शन (जियोग्राफिकल इंडिकेशन—जीआई): वह मुहर जो किसी उत्पाद को केवल "वस्तु" से कहीं आगे बढ़कर उसके प्रदेश, परंपरा और पहचान का जीवंत दस्तावेज़ बना देती है। इस अंक के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जीआई की अवधारणा, उसके व्यापक आर्थिक अर्थ और बैंकिंग जगत से उसके रिश्ते को गहराई से समझें—और उसका सम्मान भी करें।

जीआई दरअसल किसी स्थान की आत्मा को किसी उत्पाद के साथ जोड़ने की विधि है। जब हम जीआई टैग प्राप्त किसी वस्तु या किसी गाँव की विशिष्ट कारीगरी का उल्लेख करते हैं, तब हम केवल स्वाद, वस्त्र या वस्तु का नाम नहीं लेते—हम एक भूगोल, एक संस्कृति और पीढ़ियों के श्रम का स्मरण करते हैं। जीआई टैग उन हाथों का मान है, जो परंपरा को रोज़गार बनाते हैं; उन आँखों का स्वप्न है, जो स्थानीय को वैश्विक बनते देखना चाहती हैं; और उन मूल्यों की रक्षा है, जो बाज़ार की तेज़ रफ्तार में कहीं खो न जाएँ।

भारत की अर्थव्यवस्था में जीआई का महत्व केवल सांस्कृतिक गर्व तक सीमित नहीं। यह स्थानीय उत्पादन को मूल्य, ग्रामीण आजीविका को संबल, कौशल-आधारित उद्यमिता को दिशा और निर्यात-क्षमता को पहचान देता है। जीआई-आधारित उत्पाद जब संगठित बाजार से जुड़ते हैं, तब वे गुणवत्ता, प्रामाणिकता और विशिष्टता के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं—और इसी प्रतिस्पर्धा में स्थानीय अर्थव्यवस्था के नए द्वार खुलते हैं।

यहीं से बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका और भी अर्थपूर्ण हो जाती है। जीआई क्लस्टर्स—चाहे वे बुनकर हों, कारीगर हों, कृषक हों या लघु उद्यमी—उनके लिए कार्यशील पूंजी, तकनीकी उन्नयन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, बाजार विस्तार, ई-कॉमर्स एकीकरण, तथा एमएसएमई/ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से बैंक परिवर्तन के साझीदार बनते हैं। जीआई को समझना हमें ऋण देने की क्षमता और विकास को सही जगह, सही हाथों तक पहुँचाने का अवसर भी देता है।

इसी दृष्टि से इस विशेषांक में जीआई से संबंधित सूचनाप्रद और प्रेरक लेखों को स्थान दिया गया है—जो जीआई की अवधारणा से लेकर उसके आर्थिक प्रभाव और बैंकिंग अवसरों तक, विषय को विभिन्न कोणों से उजागर करते हैं। मैं उन सभी लेखकों की हृदय से प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने अपने अध्ययन, अनुभव और संवेदनशील दृष्टि से इस अंक को समृद्ध बनाया। उनके शब्दों में केवल जानकारी नहीं—एक आग्रह है कि हम अपनी जड़ों की पहचान करें और उसे भविष्य की दिशा दें। मैं संपादकीय सलाहकार समिति के प्रति भी अपना सादर आभार व्यक्त करती हूँ। उनके मार्गदर्शन ने इस अंक की विषय-वस्तु को संतुलन, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता प्रदान की है।

अंत में, मैं आप सभी पाठकों से निवेदन करती हूँ—इस पत्रिका की निरंतरता और गुणवत्ता आपकी सहभागिता से ही जीवित रहती है। कृपया अपने सुझाव, अनुभव, लेख, और बैंकिंग से जुड़े व्यावहारिक दृष्टांत हमें भेजते रहें। आशा है, यह अंक आपको जीआई की दुनिया में एक नई समझ, नई संवेदना और नई जिम्मेदारी के साथ ले जाएगा।

हमें आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीया,

गायत्री रवि किरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि- 13.02.2026
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका
वर्ष 10, अंक - 4, मुंबई, अक्तूबर-दिसंबर, 2025

जी आई उत्पाद विशेषांक

अनुक्रमणिका

उपनिवेशवाद बनाम भाषावाद	अम्बरीष कुमार सिंह	1
जी आई उत्पाद- विचार और महत्व	विकास रंजन	3
जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया	प्रतीक जैन	5
काव्य सृजन - जिंदगी तू मुझसे मैं तुझसे यूँ ही मिलती रही	सपना शर्मा	6
अर्थव्यवस्था और जीआई टैग	जितेंद्र यादव	7
भारत में जीआई उत्पाद और वैश्विक बाज़ार में उभरती नई शक्ति	जैकी कुमार देव	9
महिला सशक्तिकरण और जीआई उत्पाद	रवि कुमार	11
काव्य सृजन – जीवन की गहराई	राकेश सिंह	12
जीआई उत्पाद और जैविक खेती	प्रशांत बाबुलाल सत्तीवाले	13
जीआई टैग और एमएसएमई	अविनाश आनंद	15
जीआई उत्पादों का भविष्य	खुशमीता रानी	17
काव्य सृजन – नया सूरज	गुरविंदर सिंह	18
केंद्रीय कार्यालय अनेक्स, अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह - 2025		19
राज्य विशेष के जीआई उत्पाद	आदर्श डी. चांदेकर	23
काव्य सृजन – जीआई टैग की गाथा	अमन सक्सेना	24
जीआई- स्थानीय पहचान से अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व	खुशबू अग्रवाल	25
काव्य सृजन – लम्हें	नीलम सुर्वे	26
भौगोलिक उपदर्शन	अविनाश अग्रवाल	27
जीआई उत्पादों हेतु सरकारी योजनाएँ	नेहा चंद्राकार	29
स्वयं सहायता समूह और जीआई उत्पाद	मनीष लांबा	30
काव्य सृजन - राजभाषा हिंदी	कुमारी रंजीता रुबी	31
ई- कॉमर्स और जीआई उत्पाद	आरूप जालान	32
पर्यटन और जीआई उत्पाद	निखिल पांडे	33
केंद्रीय कार्यालय की राजभाषा गतिविधियाँ		34
प्रापण विभाग की शब्दावली	प्रदीप कुमार त्रिवेदी	35
दीवार में एक खिड़की रहती थी	उपासना सिरसैया	37
शीत ऋतु में स्वस्थ रहने के सरल उपाय	मंगेश कुमार सोलंकी	39
एआई- आधुनिक अध्यापक	कुलदीप सिंह चौहान	40
राजभाषा पुरस्कार / समाचार		41
आपकी नज़र में		49

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित।

ई-मेल: union.srijan@unionbankofindia.bank.in | gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank.in दूरभाष: 022-41829288 | मोबाइल: 9849615496

गायत्री रविकिरण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रिंट्रेड इश्यूज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ईएल-179, टीटीसी इंड. एरिया, इलेक्ट्रॉनिक ज़ोन, महापे, थाने - 400 710, महाराष्ट्र में मुद्रित और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, यूनियन बैंक भवन, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 से प्रकाशित।

यूनियन सृजन में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं। प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

उपनिवेशवाद बनाम भाषावाद

उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश अथवा समुदाय पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित कर उसके संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। यह मूलतः शक्ति-प्रदर्शन का विस्तार तथा संसाधनों पर प्रभुत्व का औजार रहा है। आधुनिक उपनिवेशवाद का कालखंड सामान्यतः 15वीं से 20वीं शताब्दी तक माना जाता है, जब स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और डच जैसी यूरोपीय शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के व्यापक क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाया।

भारत में उपनिवेशवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में उपनिवेशवाद की जड़ें 16वीं–17वीं शताब्दी में दिखाई देती हैं, जबकि 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश शासन संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हो चुका था। इस काल में संसाधनों पर नियंत्रण और शिक्षा–संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ा। तथापि, यह भी स्मरणीय है कि भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से एक सशक्त और संपन्न सभ्यता रही है—यही कारण था कि औपनिवेशिक शक्तियाँ दीर्घकालिक नियंत्रण के उपाय तलाशती रहीं।

औपनिवेशिक शिक्षा और भाषावाद का उद्भव

1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा-नीति के बाद अंग्रेज़ी को शिक्षा और प्रशासन का केंद्रीय माध्यम बना दिया गया। परिणामस्वरूप एक ऐसा वर्ग उभरा जिसे अंग्रेज़ी दक्षता के आधार पर विशेष अवसर मिलने लगे। मुद्दा अंग्रेज़ी ज्ञान की उपयोगिता नहीं थी, बल्कि स्थानीय भाषाओं के समान महत्व का ह्रास था, जिसने भाषाई असमानताओं को जन्म दिया। समय के साथ अंग्रेज़ी दक्षता, बुद्धिमत्ता और योग्यता का पर्याय समझी जाने लगी, जिससे भाषावाद को बल मिला—एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें भाषा के आधार पर व्यक्ति या समुदाय के साथ भेदभाव होता है। "वर्नाक्यूलर/वर्नैक" जैसे शब्दों का प्रयोग स्थानीय भाषाओं और उनके वक्ताओं के प्रति कमतर दृष्टि को दर्शाता रहा। इसके दीर्घकालीन परिणाम सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनों तक पहुँच और अवसर-वितरण में विषमता के रूप में उभरे।

स्वतंत्रता के बाद सकारात्मक परिवर्तन

स्वतंत्रता के पश्चात तथा विशेषकर पिछले वर्षों में भारत ने औपनिवेशिक मानसिक बोझ से निकलते हुए अपने प्रतीकों, नीतियों और प्राथमिकताओं में परिवर्तन दिखाया है—नए राष्ट्रीय प्रतीक, संस्थागत ढाँचों का पुनर्निर्माण, और सार्वजनिक स्थलों व नामकरण में भारतीय अस्मिता का उभार इसी दिशा के संकेत हैं। यह रूपांतरण तभी सार्थक है जब भाषाई समानता, भाषाई सम्मान और भाषाई आत्मनिर्भरता को व्यवहार में उतारा जाए; नई शिक्षा नीति (एनईपी) इसी भाव को सुदृढ़ करती है, जिसमें मातृभाषाओं और भारतीय भाषाओं में सीखने–सिखाने को प्रोत्साहन दिया गया है।

एआई और भारतीय भाषाएँ: भाषाई आत्मनिर्भरता का नया चरण

भारत इस समय एक महत्वपूर्ण रूपांतरण से गुजर रहा है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और भारतीय भाषाएँ मिलकर भाषाई लोकतंत्रीकरण एवं समावेशन के नए आयाम गढ़ रहे हैं। सरकार-समर्थित भारतजेन एआई जैसी पहलें भारतीय भाषाओं को एआई के केंद्र में स्थापित कर रही हैं। घोषित अभिप्राय यह है कि जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को मॉडल-परिवार के दायरे में लाया जाए—वर्तमान रोडमैप में टेक्स्ट, वॉइस और विज़न जैसी बहु-मोडल क्षमताएँ शामिल हैं, और कृषि, शासन, शिक्षा व रक्षा जैसे क्षेत्रों में पायलट अनुप्रयोगों पर काम प्रगति पर है। यह पहल आईआईटी बॉम्बे और अन्य तकनीकी संस्थानों के व्यापक कंसार्शियम के माध्यम से आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य भारतीय संदर्भानुकूल अनुप्रयोग तैयार करना है।

इसी कड़ी में इंडियाएआई मिशन उच्च-प्रदर्शन संगणन (एचपीसी) और साझा अवसंरचना को जन-सुलभ बनाने पर केंद्रित है। मिशन के लिए बहुवर्षीय ₹10,300 करोड़ के प्रावधान, ओपन जीपीयू मार्केटप्लेस, और 18,693 जीपीयू तक की साझा कंप्यूटिंग क्षमता जैसी घोषणाएँ स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर गणनात्मक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं—जिससे भारतीय भाषाओं के संदर्भों में स्वदेशी एआई मॉडल और अनुप्रयोग विकसित करना व्यावहारिक बन सके।

नीतिगत विमर्श में यह भी रेखांकित हुआ है कि एआई-सक्षम कक्षाएँ, स्मार्ट लैब्स और एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अब स्कूलों और महाविद्यालयों में मुख्यधारा बनने की प्रक्रिया में हैं—उद्देश्य यह है कि प्रौद्योगिकी केवल चुनिंदा संस्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यापक शिक्षार्थी-समुदाय तक पहुँचे। हालिया बजट/नीति घोषणाओं में एआई-क्लासरूम्स, स्किल लैब्स और क्रिएटर लैब्स पर बल इसी दिशा का सूचक है।

उच्च शिक्षा में एआई और भारतीय भाषाएँ: समावेशन का विस्तार

उच्च शिक्षा संस्थान एआई को नीतिगत रूप से अपनाने लगे हैं। एफआईसीसीआई–ईवाई एआई अडॉप्शन सर्वे 2025 के अनुसार भारत के लगभग 57% उच्च शिक्षा संस्थानों के पास एआई पर संस्थागत नीति पहले से मौजूद है, और शेष में यह प्रक्रिया प्रगति पर है; छात्रों के बीच एआई-उपयोग व्यापक है—2024 के एक सर्वेक्षण में 86% विद्यार्थियों ने अध्ययन में एआई का प्रयोग करने की बात कही (रिज़्यूमे निर्माण, पढ़ाई का सार-संक्षेप, समस्या-समाधान आदि)। ये रुझान इस आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि विश्वविद्यालय एआई को जिम्मेदारीपूर्वक और रणनीतिक रूप से पाठ्यचर्या, मूल्यांकन और छात्र-सेवाओं में एकीकृत करें।

नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप कई विश्वविद्यालय अब भारतीय भाषाओं में उच्च

शिक्षा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु स्थानीकृत कोर्स-सामग्री, एआई-सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण, और विषयानुसार बहुभाषी डिजिटल कंटेंट विकसित कर रहे हैं। 2026 के बाद के अकादमिक सत्रों में इंडस्ट्री-लिंक्ड स्किल लैब्स, एआई मॉड्यूल्स (गैर-इंजीनियरिंग संकायों में भी), तथा परियोजना-आधारित शिक्षण को बढ़ाने के संकेत मिले हैं—यह प्रवृत्ति ग्रामीण व अर्ध-शहरी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुँचाने में सेतु का काम कर रही है।

नीति-परिदृश्य में इंडियाएआई मिशन की संगणन-ढाँचा उपलब्धता और बहुभाषी मॉडल-परिवार (जैसे भारतजेन) का उभार—दोनों मिलकर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को यह अवसर दे रहे हैं कि वे भारतीय भाषाओं में एसटीईएम तथा सामाजिक-विज्ञान/कानून/प्रबंधन जैसे विविध अनुशासनों की सामग्री को एआई की मदद से तैयार/अनूदित/स्थानीयकृत कर सकें। परिणामस्वरूप, भाषा अब उच्च शिक्षा में बाधा के बजाय प्रवेश, प्रगति और उत्कृष्टता का माध्यम बन सकती है।

भाषाई आत्मनिर्भरता से विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना

भारत आज जिस तेज़ी से तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है, उसमें भाषाई आत्मनिर्भरता विकसित भारत के निर्माण की अनिवार्य आधारशिला बनती जा रही है। इसका अर्थ केवल भारतीय भाषाओं में संवाद या शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, न्याय, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचार के केंद्र में स्थान देना है—ताकि कोई नागरिक केवल इसलिए पीछे न छूटे कि वह किसी एक विशेष भाषा, विशेषकर अंग्रेज़ी, में दक्ष नहीं है।

जब भारत अपनी भाषाओं में ज्ञान-उत्पादन, नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करता है, तभी वह ज्ञान के उपभोक्ता से ज्ञान के उत्पादक की ओर बढ़ता है। एआई, मशीन-अनुवाद, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और स्वदेशी तकनीकी समाधानों के विकास से यह प्रक्रिया तीव्र हो रही है—नतीजतन, ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के विद्यार्थी, किसान, उद्यमी, महिलाएँ और वंचित वर्ग भी आधुनिक तकनीक और ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं। यह केवल सांस्कृतिक संरक्षण नहीं है, बल्कि आर्थिक शक्ति, तकनीकी नवाचार, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार है—जहाँ प्रगति की भाषा वही है जिसमें भारत सोचता, बोलता और सृजन करता है।

आगे की राह: नीति, संस्थान और समुदाय के लिए सुझाव

1. **बहुभाषी सामग्री-इंजीनियरिंग पर राष्ट्रीय प्रोत्साहन:** विश्वविद्यालयों में भाषा तकनीकी सेल स्थापित हों—जो स्थानीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री, प्रश्न-बैंक, केस-स्टडी और ओपन-लाइसेंस्ड कॉर्पस विकसित करें; इन प्रयासों को इंडियाएआई मिशन के साझा कंप्यूटिंग व टूलकिट से जोड़ा जाए।
2. **एआई-लिटरेसी को अनिवार्य मूल-पाठ्य:** सभी संकायों—कला, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा, कृषि आदि—में एआई साक्षरता, डेटा-नीति, और नैतिकता के ब्रिज मॉड्यूल्स सम्मिलित किए जाएँ; इससे छात्र न केवल उपयोगकर्ता, बल्कि जिम्मेदार सह-निर्माता बनेंगे।
3. **भारतजेन और विश्वविद्यालयों का सहयोगी ढाँचा:** भारतजेन एआई के बहुभाषी मॉडल्स को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सैंडबॉक्स मोड में साझा किया जाए—ताकि स्थानीय डोमेन-डेटा पर फाइन-ट्यूनिंग और वैधता-परख तेज़ी से हो; शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यान्वयन- संदर्भ विकसित किए जाएँ।
4. **कौशल-प्रयोगशालाएँ और उद्योग साझेदारी:** एआई-लैब्स को स्थानीय उद्योग/स्टार्टअप के साथ जोड़कर समस्या-आधारित पाठ्यचर्या अपनाई जाए—इंटर्नशिप/लाइव-प्रोजेक्ट्स/माइक्रो-क्रेडेंशियल्स के ज़रिए छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर बहुभाषी समाधान विकसित करने का अवसर मिले।
5. **मूल्यांकन एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय मानक:** बहुभाषी एआई-उपकरणों की सटीकता, निष्पक्षता और सुरक्षा के लिए भारतीय संदर्भानुकूल बेंचमार्क और मूल्यांकन पैकेज विकसित हों—ताकि नीति-निर्माता और संस्थान सुनिश्चित कर सकें कि भाषा-आधारित असमानताएँ प्रौद्योगिकी के कारण पुनः उत्पन्न न हों।

भाषा से शक्ति, भाषा से समावेशन

उपनिवेशवाद का ऐतिहासिक अनुभव सिखाता है कि भाषा के आधार पर श्रेष्ठता/हीनता की धारणा समाज को विभाजित करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतीकों और नीतियों में जो परिवर्तन किए हैं, वे तब ही पूर्ण होंगे जब हम भाषाई सम्मान और समान अवसर को शिक्षा, शासन और बाज़ार—तीनों स्तरों पर मूर्त रूप दें। आज एआई और उच्च-शिक्षा के संगम पर भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। भारतजेन एआई जैसी पहलें और इंडियाएआई मिशन जैसी अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर रही हैं कि भारतीय भाषाएँ डिजिटल भविष्य की "बाधा" नहीं, बल्कि "बुनियाद" बनें—और यह परिवर्तन महानगरों से आगे बढ़कर प्रत्येक राज्य, भाषा-समुदाय और वर्ग तक पहुँचे।

अंततः, अंग्रेज़ी सहित सभी भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं; आवश्यकता संतुलन, समानता और सम्मान की है। एआई–सक्षम भारतीय भाषाएँ, समावेशी उच्च शिक्षा, और साझा डिजिटल अवसंरचना के साथ भारत अपनी भाषाई विविधता को बोझ नहीं, बल्कि क्षमता के रूप में परिभाषित कर रहा है। यही मार्ग हमें न केवल औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भाषाई आत्मनिर्भरता और समावेशी नवाचार का उदाहरण भी पेश करेगा—एक ऐसा भारत, जो अपनी भाषाओं में सोचता है, सृजन करता है और दुनिया से संवाद करता है।

अम्बरीष कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक (मा.सं.)
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

जीआई उत्पाद- विचार और महत्व

विश्व में विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं पनपती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में कुछ अद्वितीय उत्पाद होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता उस क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने से जुड़े एक विशिष्ट क्षेत्र से लगाया जा सकता है। फ्रांस से शैंपेन, भारत से दार्जिलिंग चाय, स्विस घड़ियां, सभी अपने विशिष्ट मूल से जुड़ी अपनी अनूठी गुणवत्ता के लिए विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले उत्पाद हैं। ये उत्पाद, यह कहा जा सकता है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) उत्पाद कहलाते हैं।

ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू), 1994 का विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक संपदा (आईपी) पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है जो ज्ञान और रचनात्मकता में व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आईपी पर व्यापार विवादों को हल करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

दुनिया की तरह भारत भी अपने मूल स्थान से जुड़े कई अनूठे उत्पादों से संपन्न है, जो जीआई टैग के लिए पात्र हैं, लेकिन लोगों की राय जागृत तब हुई जब अमेंरिकी कंपनी "राइसटेक इंक" ने नाम और कुछ विशेषताओं पर अधिकार का दावा करते हुए एक नए बासमती जैसे चावल के लिए अमेंरिकी पेटेंट प्राप्त करने की घोषणा की। यह चौंकाने वाला था। यह बासमती चावल हम वर्षों से खा रहे थे। भारत ने विरोध करते हुए कहा कि बासमती गंगा के मैदानों का एक अद्वितीय, पारंपरिक सुगंधित चावल है और पेटेंट इसकी पहचान और बाजार पर एकाधिकार करने का एक प्रयास है । राइसटेक ने अंततः अपने 20 दावों में से 15 को वापस ले लिया और "बासमती" शब्द का उपयोग करने का अधिकार छोड़ दिया। परिणाम जो भी हो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि इसने भारत को अपने स्वयं के बौद्धिक संपदा कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से जीआई के संबंध में, अपने अद्वितीय कृषि उत्पादों की सुरक्षा के लिए।

भारत में, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) के लिए प्रमुख कानून वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 है, जो किसी स्थान (जैसे दार्जिलिंग चाय या बासमती चावल) से जुड़े विशिष्ट मूल, गुणों या प्रतिष्ठा वाले उत्पादों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम, 2002 के नियमों के साथ, उत्पादकों के लिए पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जीआई को कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए बौद्धिक संपदा के एक पहलू के रूप में परिभाषित करता है, जिसे 2003 में लागू किया गया था। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था (2004 में प्रदत्त)।

भारत ने अब दार्जिलिंग चाय, मालाबार काली मिर्च, बनारसी साड़ी, या मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, बीकानेरी भुजिया, हैदराबादी हलीम, अल्फांसो आम और कई अन्य को भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) टैग दिया है।

जीआई टैग का महत्व:

पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक व्यापार पहचान को बढ़ाने के लिए टैगिंग महत्वपूर्ण है। जीआई टैग प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और किसानों और कारीगरों को अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सशक्त बनाते हैं। जीआई कानूनन नामों के दुरुपयोग को रोकते हैं और उत्पादकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से भी बचाते हैं। हमने हाल ही में हुए विवाद को देखा है जहां एक प्रसिद्ध फैशन ब्रांड ने भारतीय जड़ों को स्वीकार किए बिना कोल्हापुरी सैंडल से मिलते-जुलते जूते बेचने की कोशिश की। कोल्हापुरी चप्पलों को 2019 में भारत द्वारा जीआई टैग दिया गया था, ताकि उनके पारंपरिक शिल्प, डिजाइन और विरासत को नकल से बचाया जा सके। विवाद के बाद, ब्रांड ने उत्पाद की भारतीय जड़ों को स्वीकार किया और स्थानीय कारीगरों के साथ साझेदारी करने के लिए सहमत हुए, जिससे जीआई टैग के महत्व को समझा गया।

आर्थिक लाभ

एक समय था जब बहुत से चाय उत्पादक अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचते थे। नकली चाय के साथ मूल दार्जिलिंग चाय की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में आ

गई और दार्जिलिंग चाय की कीमत गिर गई। भारतीय चाय बोर्ड ने जीआई टैग मान्यता के लिए आवेदन किया और एक बार जब इसे एक से सम्मानित किया गया, तो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र ही अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचने के हक़दार थे, अब दार्जिलिंग चाय का ₹1.00 लाख प्रति किलोग्राम से अधिक पर बिकना असामान्य नहीं है। जीआई टैग उत्पादों में, प्रीमियम मूल्य निर्धारण एवं निर्यात वृद्धि लाता है ।

सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) टैग पारंपरिक विरासत की रक्षा करके, कारीगरों को सशक्त बनाकर और सामुदायिक पहचान को मजबूत करके मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। वे सांस्कृतिक दुरुपयोग को रोकने, स्वदेशी प्रथाओं को संरक्षित करने और स्थानीय उत्पादकों के लिए उचित मान्यता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

कृषि और जैव विविधता प्रभाव

जीआई टैग पारंपरिक फसलों और कृषि पद्धतियों की रक्षा करता है, टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करता है, और जलवायु परिवर्तन और व्यावसायीकरण से खतरे में आने वाले अद्वितीय आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। कई जीआई उत्पाद अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र (जैसे, नागालैंड की नागा मिर्चा मिर्च या मालाबार काली मिर्च) से जुड़े हुए हैं, जो टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हैं। जीआई फसलों को बढ़ावा देने से स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूती मिलती है और जेनेरिक आयात पर निर्भरता कम होती है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

चूंकि अभी भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग से प्रमाणित किया जाना है, इसलिए भारत को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इन उत्पादों की क्षमता बहुत बड़ी है। सरकार इस क्षेत्र के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इसलिए अधिक कारीगरों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को अपने पारंपरिक उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर 2025 में आधार आवेदन शुल्क को 5,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। भारत में वर्तमान में लगभग 700 पंजीकृत जीआई उत्पाद हैं और 2030 तक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रामाणिक, टिकाऊ वस्तुओं की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, जीआई उत्पाद भारत की विरासत के राजदूत और ग्रामीण आर्थिक विकास की आधारशिला बन सकते हैं।

भारत में जीआई उत्पादों को मजबूत करने के लिए सुझाव:

जागरूकता और क्षमता निर्माण

किसानों, कारीगरों और सहकारी समितियों को जीआई लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किए जाएँ, एवं पजीकरण प्रक्रियाओं, ब्रांडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण पर कार्यशालाएँ चलाई जाएँ।

कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना

डिजिटल प्लेटफॉर्म और बहुभाषी समर्थन के साथ जीआई आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए। । जीआई टैग के दुरुपयोग, जालसाजी और अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए निगरानी को मजबूत किया जाए।

विपणन और वैश्विक ब्रांडिंग

वैश्विक मान्यता के लिए एक एकीकृत "मेड इन इंडिया - जीआई प्रमाणित" लेबल बनाएं जाएँ एवं सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट (जैसे, शिल्प गांव, मसाला ट्रेल्स, कपड़ा पर्यटन) के माध्यम से जीआई उत्पादों को बढ़ावा मिले।

बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी सहायता

अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं स्थापित किया जाए। जीआई उत्पादों के लिए समर्पित ई-मार्केटप्लेस विकसित किया जाए, जिससे पता लगाने की क्षमता और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। जीआई प्रचार के लिए सरकार, कॉरपोरेट्स और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

स्थिरता और समावेशिता

इको-प्रमाणन के द्वारा जीआई उत्पादों से जुड़ी टिकाऊ खेती और कारीगरी प्रथाओं को बढ़ावा मिले। समावेशी नीतियां यह सुनिश्चित करें जो महिला कारीगरों और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाती हैं। संरक्षण से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से जीआई उत्पादों से जुड़े समूचे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा होगी।

कानूनी सुरक्षा, वैश्विक ब्रांडिंग, बुनियादी ढांचे के समर्थन और समावेशी नीतियों के संयोजन से, भारत जीआई उत्पादों को ग्रामीण समृद्धि, सांस्कृतिक कूटनीति और टिकाऊ व्यापार के शक्तिशाली इंजन में बदल सकता है। 2030 तक 10,000 जीआई लक्ष्य प्राप्त करने से न केवल विरासत का संरक्षण होगा बल्कि भारत प्रामाणिक, पर्यावरण के अनुकूल और समुदाय-संचालित उत्पादों में एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित होगा।

संक्षेप में, जीआई उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं हैं - वे सांस्कृतिक खजाने और आर्थिक संपत्ति हैं। उनकी रक्षा और प्रचार करना यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक बाजार में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाते हुए भारत की परंपराएं फलती-फूलती रहें।

विकास रंजन
जेड.एल.सी., विशाखपट्टणम

जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया

जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को दिया जाता है, जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा मुख्य रूप से उसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी या पारंपरिक कारीगरी के कारण होती है। यह टैग प्रमाणित करता है कि वह वस्तु न केवल उस खास जगह की असली उपज है, बल्कि उसमें वहां के अद्वितीय गुण भी समाहित हैं। भारत में इसे 'वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है, जो डब्ल्यूटीओ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और स्थानीय उत्पादकों को नकली उत्पादों की प्रतिस्पर्धा से बचाकर उन्हें वैश्विक बाजार में उचित मूल्य दिलाना है।

जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) टैग केवल एक कानूनी ठप्पा नहीं है, बल्कि यह किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, परंपरा और वहां की जलवायु के बीच के अनूठे संबंध का प्रमाण है। एक बैंकर के नजरिए से देखें, तो यह एक "अमूर्त संपत्ति" है जिसका मुद्रीकरण किया जा सकता है।

विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं के समझौते के तहत, भारत ने 'वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' लागू किया। वैश्वीकरण के इस दौर में, जब बाज़ार समान उत्पादों से भरे पड़े हैं, वहाँ इसका मुख्य उद्देश्य न केवल उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा देना है, बल्कि वैश्विक बाज़ार में भारतीय उत्पादों की 'ब्रांड इक्विटी' को बढ़ाना है और जीआई टैग उत्पाद को 'प्रीमियम' श्रेणी में खड़ा करना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक बदलाव: वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था 'कमोडिटी मार्केट' से हटकर 'अनुभव और प्रामाणिकता' की ओर बढ़ रही है।

- **बौद्धिक संपदा आधारित अर्थव्यवस्था:** आधुनिक अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्ति से अधिक महत्व बौद्धिक संपदा का है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और यूरोपीय संघ अपनी अर्थव्यवस्था को जीआई के माध्यम से संरक्षित कर रहे हैं। भारत भी अब इसी दिशा में अग्रसर है।
- **प्रीमियम मूल्य निर्धारण:** यूरोपीय संघ के अध्ययन बताते हैं कि जीआई टैग वाले उत्पाद, गैर- जीआई उत्पादों की तुलना में 2.23 गुना अधिक मूल्य पर बिकते हैं।
- **संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण:** कई देश अब अपने स्थानीय उत्पादों को बचाने के लिए जीआई का उपयोग 'नॉन-टैरिफ बैरियर' के रूप में कर रहे हैं। यह "वोकल फॉर लोकल" को वैश्विक मंच पर ले जाने की रणनीति है।

जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया: भारत में जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया कड़ी और विस्तृत है। यह चेन्नई स्थित 'भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री' द्वारा नियंत्रित होती है।

चरण 1: आवेदन कौन कर सकता है? भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियाँ आवेदन कर सकती हैं:

- व्यक्तियों का कोई संघ: उत्पादकों, कारीगरों या शिल्पकारों का समूह।
- उत्पादकों का संगठन: कोई भी संस्था जो उस विशिष्ट उत्पाद को बनाने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो।
- कानून द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण: सरकारी विभाग या वैधानिक निकाय जो उस क्षेत्र के उत्पादकों के हितों की रक्षा करता हो।

जीआई टैग के लिए कोई भी अकेला व्यक्ति (निजी तौर पर) आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदक को उस भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादकों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है।

चरण 2- आवेदन दाखिल करना: आवेदन निर्धारित प्रारूप (मुख्य रूप से फार्म-जीआई -1) में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों और शपथ पत्र के साथ 'भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री', चेन्नई में जमा करना होता है।

- **ऐतिहासिक प्रमाण:** सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 'ऐतिहासिक साक्ष्य'। आवेदक को यह सिद्ध करना होता है कि वह उत्पाद उस क्षेत्र में कम से कम 50-100 वर्षों से बनाया / उगाया जा रहा है (जैसे गजट नोटिफिकेशन, पुराने साहित्य में उल्लेख आदि)।
- **मानचित्र:** उस क्षेत्र का नक्शा जमा करना होता है जहां उत्पाद का उत्पादन होता है।

चरण 3- जांच और परीक्षा : रजिस्ट्रार आवेदन की जांच करता है। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक को उसे सुधारने

के लिए समय दिया जाता है। इस चरण में विशेषज्ञों की एक समिति उत्पाद की विशिष्टता की जांच करती है।

चरण 4- प्रकाशन: यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो उसे जीआई जर्नल' में प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य आम जनता और अन्य हितधारकों को सूचित करना है।

चरण 5- विरोध: प्रकाशन के 3 से 4 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति या संस्था इस आवेदन का विरोध कर सकती है (जैसे बासमती चावल के मामले में मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद हुआ था)। यदि कोई विरोध नहीं होता, या विरोध खारिज हो जाता है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

चरण 6- पंजीकरण और प्रमाण पत्र: अंतिम चरण में, उत्पाद को जीआई रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और आवेदक संघ को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

वैधता: यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है इसे हर 10 साल बाद नवीकरण किया जा सकता है।

बैंकिंग और आर्थिक दृष्टिकोण से, जीआई टैग केवल एक भावुक परंपरा नहीं, बल्कि एक ठोस आर्थिक अवसर है। यह 'ग्लोकल' (ग्लोबल + लोकल) अर्थव्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण है। बैंकों को अब केवल ऋणदाता की भूमिका से आगे बढ़कर 'परामर्शदाता' की भूमिका निभानी होगी, ताकि हमारे ग्रामीण कारीगर और किसान इस "बौद्धिक संपदा" को "आर्थिक संपदा" में बदल सकें। साथ ही साथ चूंकि जीआई टैग धारकों उत्पाद बाज़ार में कम जोखिम वाला माना जाता है तो बैंकों को भी जीआई टैग धारकों के लिए ब्याज दरों में थोड़ी छूट देने पर विचार करना चाहिए । बैंकिंग उत्पादों में जीआई टैग से एकीकृत करने की भी पहल करने की आवश्यकता है।

प्रतीक जैन
यू.एल.ए., गुरुग्राम

काव्य सृजन

ज़िंदगी तू मुझसे मैं तुझसे यूँ ही मिलती रही

ज़िंदगी तू मुझसे मैं तुझसे यूँ ही मिलती रही,
मेरे वजूद की जमीन चाँदनी सी खिलती रही।
तुझसे मोहब्बत की ख़्वाहिश दिल में पलती रही।
तेरी चाह मेरे मन के समंदर में तूफान सी उपजती रही।
मैं थमीं तो तू ठहरी मैं चली तो ए ज़िंदगी तू चलती रही,
मैं उम्मीदों के पंख फैला ऊंची आकाश में उड़ती रही
सारे जमाने की निगाहें मुझे ताकती रहीं, जब गिरी तो गिरकर उड़ती रही
हौसला रख आगे बढ़ती रही तुझे देख मैं हरदम संभलती रही
तेरी ओढनी ओढ़ मैं दुल्हन की तरह सजती रही
ज़िंदगी तू मुझसे मैं तुझसे मिलती रही।
तुझे नज्म़ की तरह जीना चाहा मैंने तू ज़ख्म दे जीना सिखाती रही
खाली हाथ आए हैं, खाली हाथा जाना है, तू गीत हरदम यही गुनगुनाती रही
मैं खोजती रही तुझे उजालों में, तू अंधेरे में खुद को छुपाती रही।
हरदम नई पहेली बन तू जीतती रही और मुझे अपने सवालों से हराती रही।
मैं जय- पराजय के भंवर में फँसती रही, दुनिया के रंगमंच में
मैं अभिमन्यु बनी और तू चक्रव्यूह बनाती रही।
ज़िंदगी तू मुझसे और मैं तुझसे मिलती रही।
तू हर लम्हा सूरज सी उगती और सूरज सी ढलती रही।
जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती रही,
गिला क्या करूँ तुझसे तू एक बार मिली है मुझसे
रूठ जाती है दोबारा कभी मिलती नहीं
इस रंगमंच का हर किरदार मैं निभाती रही,
यूं ही मगर कर्ज तेरा चुकाती रही।
प्यार की गागर में समा तेरा सागर पार करती रही,
ज़िंदगी तू मुझसे, मैं तुझसे यूं ही मिलती रही।

सपना शर्मा
नारी शक्ति शाखा
क्षे.का., मुंबई-अंधेरी

अर्थव्यवस्था और जीआई टैग

जीआई टैग - एक निशान नहीं, एक पहचान

जब कोई बैंकर किसी वित्तीय पत्रिका को पढ़ता है, तो उसकी नज़र आमतौर पर कर्ज़, मुनाफ़ा, जोखिम, नियमों और आर्थिक आँकड़ों पर जाती है। ऐसे में भौगोलिक उपदर्शन या जीआई टैग जैसे शब्द पहली नज़र में उसे दूर के लग सकते हैं। कई बार यह विषय संस्कृति या कानून से जुड़ा हुआ लगता है, न कि बैंकिंग या अर्थव्यवस्था से। लेकिन यही शुरुआती सोच एक बड़ी सच्चाई को नज़रअंदाज़ कर देती है।

भारत के गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों में लाखों लोग ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिनकी माँग पहले से मौजूद है। उनके पास हुनर है, मेहनत है और बाज़ार भी है। फिर भी उनकी कमाई सीमित रहती है। वजह साफ़ है—उनके काम की स्पष्ट पहचान नहीं बन पाती, और उन्हें सही कीमत नहीं मिलती। यहीं से जीआई टैग की असली भूमिका शुरू होती है। जीआई टैग सिर्फ़ किसी उत्पाद पर लगाया गया एक सरकारी निशान नहीं है। यह उस जगह, उस परंपरा और उस समुदाय की पहचान है जो उस उत्पाद को खास बनाती है। जब इस पहचान को आर्थिक नज़र से देखा जाता है, तो यह रोज़गार, आमदनी और बैंकिंग से सीधे जुड़ जाती है।

जीआई टैग क्या है और यह मूल्य कैसे बढ़ाता है

सरल शब्दों में, जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी खासियत किसी खास जगह से जुड़ी होती है। यह खासियत वहाँ की जलवायु, मिट्टी, कारीगरी या पीढ़ियों से चले आ रहे तरीकों के कारण बनती है। आज भारत में लगभग 700 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इनमें दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, बनारसी सिल्क, कांचीपुरम साड़ियाँ, कश्मीरी शॉल जैसे कई जाने-पहचाने नाम शामिल हैं। इन उत्पादों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये भीड़ में अलग दिखते हैं। जब बाज़ार में हर तरफ़ एक जैसे उत्पाद हों, तब जीआई टैग किसी चीज़ को अलग पहचान देता है। यही पहचान बेहतर दाम दिलाती है, ग्राहकों का भरोसा बढ़ाती है और माँग को बनाए रखती है। उत्पादकों के लिए इसका मतलब है कि वे केवल मात्रा के दम पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और पहचान के दम पर कमाई कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब है—बिना ज़्यादा संसाधन खर्च किए, आमदनी बढ़ाना।

जीआई टैग और आम लोगों की अर्थव्यवस्था

जीआई टैग को भारत के लिए खास बनाने वाली बात यह है कि इसके पीछे आम लोग जुड़े हैं। ये बड़े उद्योग नहीं हैं। ये छोटे किसान, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह और परिवार चलाने वाले छोटे उद्यम हैं। यही लोग भारत की ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अब तक इन लोगों का बैंकिंग व्यवस्था से रिश्ता कमज़ोर रहा है। वे अक्सर निजी साहूकारों पर निर्भर रहे हैं। उनकी आमदनी मौसम पर टिकी होती है। उनके पास न तो ज़मीन के बड़े काग़ज़ होते हैं, न नियमित आय के दस्तावेज़। जीआई टैग यहाँ एक बड़ा बदलाव लाता है। यह उनके काम को पहचान देता है। यह बताता है कि यह उत्पाद किस जगह का है, कैसे बनता है और कौन बनाता है। धीरे-धीरे इससे लोग संगठित होते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और बाज़ार में मज़बूती से बात रख पाते हैं। बिखरे हुए लोग एक समूह में बदलने लगते हैं। और यही बात बैंकों के लिए अहम हो जाती है।

बैंकों के लिए भरोसे और कमाई का आधार

ग्रामीण और एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज़ देने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है—जानकारी की कमी। बैंक यह तय नहीं कर पाते कि आमदनी कितनी स्थिर है, बाज़ार कितना भरोसेमंद है और जोखिम कितना है। जीआई टैग इस दिक्कत को काफी हद तक कम करता है। जब किसी उत्पाद पर जीआई टैग होता है, तो वह अनजान नहीं रहता। उसकी पहचान, उसकी जगह और उसका तरीका साफ़ होता है। इससे बैंक केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे कामकाज के ढांचे को समझ पाते हैं।

यह सोच आज की बैंकिंग के अनुरूप है, जहाँ कमाई के आधार पर कर्ज़ देने पर ज़ोर बढ़ रहा है। इसके अलावा, जीआई टैग आमदनी को भी स्थिर करता है। जब किसी उत्पाद की पहचान बनती है, तो उसे बेहतर दाम मिलता है। इससे लोगों की कमाई सुधरती है, बचत बढ़ती है और कर्ज़ चुकाने की क्षमता भी बेहतर होती है। इस तरह जीआई टैग केवल रोज़गार नहीं, बल्कि बैंक योग्य आमदनी तैयार करता है।

वित्तीय उत्पादों का अनुकूलन और जोखिम कम करने की रणनीति

जीआई टैग से जुड़े उत्पादकों को कर्ज़ देने में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होती कि उनके पास काम या बाज़ार नहीं है, बल्कि यह होती है कि उनके पास पारंपरिक ज़मानत कम होती है। ऐसे में अगर बैंक केवल ज़मीन या बड़ी संपत्ति के आधार पर ही कर्ज़ देने की सोच रखें, तो बहुत से योग्य लोग औपचारिक वित्त से बाहर ही रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि बैंक जीआई से जुड़े कामकाज की प्रकृति को समझें और उसी के अनुसार

अपने वित्तीय उत्पाद तैयार करें। कई जीआई उत्पाद, खासकर कृषि उपज और हस्तशिल्प, ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन एक खास मौसम में होता है, लेकिन उनकी बिक्री धीरे-धीरे होती है। इस बीच उत्पादकों को कच्चा माल खरीदने, मज़दूरी देने और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में बैंक गोदाम में रखे माल या तैयार उत्पाद के आधार पर कर्ज़ दे सकते हैं। चूँकि जीआई टैग यह भरोसा देता है कि उत्पाद असली है और उसकी पहचान बनी हुई है, इसलिए ऐसे माल को सामान्य वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद माना जा सकता है। इससे उत्पादकों को उत्पादन के तुरंत बाद पूंजी मिल जाती है और उन्हें मजबूरी में कम दाम पर माल बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह, कई जीआई क्लस्टरों को पहले से ही बड़े खुदरा विक्रेताओं या निर्यातकों से खरीद के पक्के ऑर्डर मिल जाते हैं। अगर बैंक इन तय ऑर्डरों को आधार मानकर कर्ज़ दें, तो जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि भुगतान सीधे खरीदार से आता है, कर्ज़ की वापसी ज़्यादा सुरक्षित होती है। यह तरीका खासतौर पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपयोगी है, जहाँ भरोसेमंद ऑर्डर होते हुए भी पूंजी की कमी काम को रोक देती है।

नकली उत्पादों की समस्या से निपटने के लिए और कर्ज़ के जोखिम को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक भी अहम भूमिका निभा सकती है। क्यू आर कोड या डिजिटल ट्रैकिंग जैसे सरल उपाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस उत्पाद को बैंक ने वित्तपोषित किया है, वह वास्तव में प्रमाणित जीआई उत्पाद ही है। इससे न केवल उत्पाद की पहचान सुरक्षित रहती है, बल्कि बैंक को भी यह भरोसा मिलता है कि उसका पैसा सही जगह लगा है। इसके अलावा, अगर कर्ज़ व्यक्तिगत स्तर पर देने के बजाय उत्पादक समूहों, सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दिया जाए, तो जोखिम अपने आप बँट जाता है। समूह की सामूहिक ज़िम्मेदारी व्यक्तिगत कमज़ोरियों को संभाल लेती है। इसके साथ-साथ, अगर बैंकों द्वारा इन समूहों को बैंकिंग नियमों, दस्तावेज़ों और वित्तीय योजना की जानकारी दी जाए, तो ये लोग लंबे समय तक औपचारिक बैंकिंग से जुड़े रह सकते हैं।

इस तरह बैंकिंग का अर्थ केवल कर्ज़ देने तक सीमित नहीं रहता। यह जीआई से जुड़े पूरे कामकाज को समझने, उसे मज़बूत बनाने और लंबे समय तक साथ चलने की एक साझेदारी बन जाता है। यही दृष्टिकोण जीआई पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाता है और बैंकों के लिए भी सुरक्षित और भरोसेमंद अवसर तैयार करता है।

निर्यात और घरेलू बाज़ार में जीआई टैग की भूमिका

दुनिया भर में ऐसे उत्पादों की माँग बढ़ रही है जो असली हों, अपनी जगह से जुड़े हों और टिकाऊ तरीकों से बने हों। इसी वजह से जीआई टैग वाले उत्पाद विदेशों में भी भरोसा पैदा करते हैं। यूरोप के कई देश लंबे समय से इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत के पास भी ऐसी ही बड़ी संभावना है। हालाँकि, निर्यात केवल जीआई टैग से नहीं होता। इसके लिए गुणवत्ता बनाए रखना, नियमों का पालन करना, सही पैकिंग और सुरक्षित लेन-देन ज़रूरी है। यहाँ बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है। व्यापार वित्त, निर्यात कर्ज़, विदेशी मुद्रा सेवाएँ और बीमा—ये सभी चीज़ें जीआई उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचने में मदद कर सकती हैं। बैंकों के लिए यह भविष्य के मज़बूत ग्राहकों की तैयारी है। घरेलू बाज़ार में भी बदलाव दिख रहा है। अब ग्राहक भी यह जानना चाहते हैं कि चीज़ कहाँ से आई है और कैसे बनी है। इससे असली उत्पादों की माँग बढ़ रही है। नतीजा यह होता है कि स्थानीय आमदनी बढ़ती है, खर्च बढ़ता है और बैंकिंग सेवाओं की ज़रूरत भी।

चुनौतियाँ और मिलकर काम करने की ज़रूरत

इतना सब होने के बावजूद, यह मानना ज़रूरी है कि जीआई टैग कोई जादू की छड़ी नहीं है। केवल पंजीकरण से सब कुछ नहीं बदलता। कई जगहों पर अभी भी:

- गुणवत्ता एक जैसी नहीं रहती
- नकली उत्पाद बाज़ार में आ जाते हैं
- ब्रांडिंग कमज़ोर होती है
- लोगों को जानकारी की कमी होती है

इसलिए जीआई टैग को एक शुरुआत मानना चाहिए, मंज़िल नहीं। असली असर तब आता है जब बैंक, उत्पादक संगठन, बाज़ार और सरकारी संस्थाएँ मिलकर काम करें। बैंकों के लिए यह मौका है कि वे नए तरीकों से जुड़ें—ऐसे तरीकों से जो व्यापार भी बढ़ाएँ और समाज को भी मज़बूत करें।

पहचान से कार्यनीति तक

अब समय आ गया है कि जीआई टैग को केवल संरक्षण के नज़रिये से न देखा जाए, बल्कि एक कार्यनीति के रूप में समझा जाए। भारत के लिए, यह विकास का ऐसा रास्ता है जो परंपरा को छोड़े बिना आगे बढ़ता है।

बैंकों के लिए, यह ऐसे आर्थिक उपदर्शन हैं जिन्हें अब तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। सवाल यह नहीं है कि जीआई टैग ज़रूरी हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उनकी ताकत को समय रहते पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएँगे। क्योंकि कई बार सबसे टिकाऊ विकास तेज़ी या बड़े पैमाने से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मज़बूत करने से होता है।

जितेंद्र यादव
डिजिटाइजेशन वर्टिकल,
कें.का., मुंबई

भारत में जीआई उत्पाद और वैश्विक बाज़ार में उभरती नई शक्ति

भारत, जिसकी धरती सदियों से संस्कृति, परंपरा, स्वाद, कला और लाजवाब शिल्पकला की जन्मभूमि रही है, आज वैश्विक मंच पर एक नए स्वरूप में उभर रहा है। यह स्वरूप है जीआई उत्पादों का स्वाभिमान, मूल्य और बाज़ार की प्रतिष्ठा। जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसका अर्थ है भौगोलिक उपदर्शन जो न केवल किसी उत्पाद का परिचय होते हैं, बल्कि वे उस मिट्टी, उस हवा, उस कौशल और उस ऐतिहासिक विरासत के प्रतिनिधि भी हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को दुनिया में विशेष बनाते हैं। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेज़ी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है, तब जीआई उत्पाद उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बनते जा रहे हैं। जीआई उत्पाद केवल वस्तुएँ नहीं बल्कि भारत की पहचान, सम्मान और निर्यात आधारित विकास की नई ऊर्जा हैं जिसे बिन्दवार तरीके से समझा जा सकता है:

जीआई टैग; पहचान, प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता की मुहर: किसी भी देश की सांस्कृतिक संपदा केवल उसके संग्रहालयों या पुस्तकों में सीमित नहीं होती, वह उसके खेती-किसानी, कला, खानपान, हस्तशिल्प, संगीत, वस्त्र और जीवनशैली में जीवित रहती है। जीआई टैग इस जीवंत धरोहर को एक कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

पाटन का पटोला केवल गुजरात के पाटन में ही बुना जा सकता है। कश्मीर का केसर, कांचीपुरम की साड़ी, बीकानेरी भुजिया, कोट्टनाड कॉयर, जगन्नाथ पुरी के खजूर पाटी चित्र इन सबकी अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान है। जीआई टैग इसी विशिष्टता की वैध और वैश्विक घोषणा है।

यह टैग उपभोक्ता को बताता है कि "यह वही असली उत्पाद है, जो इसी स्थान पर बना है, इसी विशिष्ट परंपरा के साथ, और जिसकी गुणवत्ता तथा उत्पत्ति प्रमाणित है।"

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जीआई उत्पादों का बढ़ता क्रांतिकारी महत्व: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के टीआरआईपीएस समझौते के बाद जीआई टैग को वैश्विक स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। दुनिया भर में उपभोक्ता प्रामाणिक, विशिष्ट और सीमित-उत्पत्ति वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ जीआई उत्पाद एक प्रीमियम श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एशिया, यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में भारतीय जीआई उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए कश्मीर के केसर को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जीआई टैग के बाद इनके नकली उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई है। मसाले, हल्दी, मिलेट्स और जीआई टैग युक्त फल-सब्जियाँ निर्यात में नई धार ला रहे हैं।

जीआई उत्पाद भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने बेहद सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीआई उत्पाद भारत की सॉफ्ट पॉवर का नया आधार बन रहा है। ऐसे उत्पाद भारत के सांस्कृतिक वैभव का प्रमाण हैं, जोकि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये भारत को 'सस्ते माल वाले देश' की छवि से बाहर निकालकर 'विशिष्ट और प्रीमियम उत्पाद वाले देश' के रूप में स्थापित भी करते हैं।

भारत का जीआई परिदृश्य; दुनिया के शीर्ष देशों में भारत की चमक: भारत में आज सैकड़ों जीआई पंजीकृत उत्पाद मौजूद हैं, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये केवल संख्या नहीं अपितु सैकड़ों कहानियाँ, संस्कृतियाँ, स्वाद, कारीगरी और परंपराएँ हैं। भारत जीआई उत्पादों के मामले में एशिया में अग्रणी और विश्व में तेजी से उभरते देशों में है। सबसे विशेष बात यह है कि भारत में जीआई का विस्तार केवल परंपरागत वस्त्रों या हस्तशिल्प तक ही सीमित नहीं है। आज इसमें कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मसाले, फल और सब्जियां, शिल्प और हैंडलूम, जंगल आधारित उत्पाद, घरेलु व्यंजन, आदिवासी हस्तकला और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों के खेल उपकरण भी शामिल हैं ।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जीआई उत्पादों का प्रभाव: कहने को जीआई टैग एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे सामाजिक और आर्थिक होते हैं। जैसे इसके फलस्वरूप किसानों और कारीगरों की आय में वृद्धि देखी जा सकती है, जीआई टैग के बाद उत्पाद की कीमत सामान्यतः बढ़ती है क्योंकि उसकी विशिष्टता प्रमाणित हो जाती है, नकली उत्पाद बाज़ार से हट जाते हैं, गुणवत्ता और मानक में बढ़ोत्तरी होती है साथ ही साथ इससे निर्यात के अवसर भी खुलते हैं।

जीआई उत्पादों के निर्यात–आयात व्यापार में भारत की स्थिति: भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में जीआई निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। इसके लिए सरकार, निर्यातक संस्थाएँ, डीजीएफ़टी, एपीईडीए, एफ़आईईओ आदि मिलकर कार्य कर रहे हैं। जीआई उत्पादों के लिए विशेष निर्यात गलियारों का विकास किया जा रहा है । कई राज्यों में जीआई हब, जीआई निर्यात केंद्र और जीआई आधारित एमएसएमई पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जहाँ उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विश्व बाज़ार में "प्रमाणिक भारतीय ब्रांड" की स्थापना को भी हम साफ़ तौर पर देख पा रहे हैं। जीआई टैग के साथ भारतीय उत्पाद विदेशों में भारतीय संस्कृति के राजदूत बनते हैं। वे बताते हैं कि "भारत सिर्फ मसालों

का देश नहीं, बल्कि अनूठी और प्रामाणिक विरासत का देश है।"

जीआई टैग क्यों अत्यंत आवश्यक है: किसी क्षेत्र विशेष में बनने वाले उत्पाद की दो बड़ी समस्याएँ होती हैं पहला नकली उत्पाद और दूसरा मूल निर्माता का शोषण। जीआई टैग इन दोनों समस्याओं को काफी हद तक समाप्त करता है।

जीआई टैग इसलिए है क्योंकि यह असली उत्पाद की पहचान करता है, नकली उत्पाद पर रोकथाम करता है, किसानों और कारीगरों को सही दाम दिलाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा विकसित करता है, निर्यात में वृद्धि दिलाता है, क्षेत्र विशेष की आर्थिक उन्नति कराता है साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करता है। जीआई टैग केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है।

भारत के जीआई उत्पाद: विश्व मंच पर गर्व की कहानियाँ: भारत के कई जीआई उत्पाद विश्व में अपनी विशिष्ट जगह बना चुके हैं मसलन दार्जिलिंग चाय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध और विशिष्ट स्वाद वाली चाय है। मधुबनी पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों की शान मानी जाती है। काश्मीरी पश्मीना दुनिया में शुद्धता और नज़ाकत का प्रतीक माना जाता है। बनारसी साड़ी विवाह और उत्सव की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। मैसूर सिल्क शाही परंपरा और गुणवत्ता का प्रतीक है ।

प्रसिद्ध भारतीय फल जैसे अल्फांसो आम, शाही लीची, नागपुरी संतरा—जो विशिष्ट स्वाद के कारण दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हमें यह कहने में बिलकुल संशय नहीं है की ये उत्पाद "मेड इन इंडिया" को "प्राइड ऑफ इंडिया" में बदल रहे हैं।

जीआई उत्पाद और भारत का भविष्य: भारत आज विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। जीआई उत्पाद इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को विश्व मंच पर स्थापित करते हैं। जीआई उत्पादों का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक भी है।

भारत के जीआई उत्पाद हमारी परंपराओं का सौभाग्य हैं, किसानों के हाथों की खुशबू इसमें सनी हुई है, कारीगरों की कारीगरी बुनी हुई है और भारत की आत्मा इसमें बसी हुई है। जीआई टैग न केवल इन उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिष्ठा देता है, बल्कि उन लाखों लोगों को नई उम्मीद भी देता है जो पीढ़ियों से इन्हें बनाते आ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के जीआई उत्पाद भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी,बल्कि उसे सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया के सबसे विशिष्ट देशों में स्थापित करेगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, सरकारी नीतियाँ, वैश्विक मांग और डिजिटल भारत के साथ जीआई उत्पाद आज भारत के विकास की एक नई कहानी लिखने में सक्षम हैं। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि भारत की आत्मा का वैश्विक विस्तार भी है।

जैकी कुमार देव
धनबाद मुख्य शाखा,
क्षे.का., धनबाद

विदाई

दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 को श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक(मा. सं. एवं रा.भा) सेवानिवृत्त हुए। आपके नेतृत्व में बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को नई दिशा मिली एवं बैंक ने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अर्जित किए। संपादकीय सलाहकार के रूप में यूनियन सृजन के सफल प्रकाशन में आपके सक्रिय योगदान एवं अमूल्य मार्गदर्शन हेतु हम आभारी हैं। आपके सुखमय एवं स्वस्थ्य सेवानिवृत्त जीवन हेतु शुभकामनाएं।

महिला सशक्तिकरण और जीआई उत्पाद

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, कला और उत्पादन प्रणाली है। इन्हीं विशिष्टताओं को पहचान और संरक्षण देने के लिए (भौगोलिक उपदर्शन – जीआई) की अवधारणा सामने आई। दूसरी ओर, भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ हैं, किंतु आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। महिला सशक्तिकरण आज न केवल सामाजिक न्याय का विषय है, बल्कि यह आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति का एक अनिवार्य माध्यम बन चुका है। महिला सशक्तिकरण आज के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। जब इन दोनों अवधारणाओं - महिला सशक्तिकरण और जी.आई. उत्पाद का संगम होता है, तो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और आत्मनिर्भर पहचान भी सुदृढ़ होती है।

भारत की पारंपरिक उत्पादन प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी सदियों से रही है। चाहे वह बुनाई हो, कढ़ाई हो, चित्रकला हो या खाद्य प्रसंस्करण - महिलाएँ इन कलाओं की वाहक रही हैं।

पारंपरिक ज्ञान की संरक्षक महिलाएँ

भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से पारिवारिक और घरेलू दायरे तक सीमित रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ - कृषि कार्य, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में सक्रिय रही हैं, किंतु इनके श्रम का आर्थिक मूल्यांकन नहीं हो पाया। जी.आई. उत्पादन इस स्थिति को बदलने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें महिलाओं के पारंपरिक कौशल को कानूनी मान्यता और बाजार मूल्य प्राप्त होता है।

महिलाएँ केवल श्रमिक नहीं, बल्कि ज्ञान की संरक्षक भी हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी कौशल का हस्तांतरण माँ से बेटी तक होता रहा है। जी.आई. टैग मिलने से इस पारंपरिक ज्ञान को कानूनी संरक्षण मिलता है।

जी.आई. उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

(क) आर्थिक सशक्तिकरण

जी.आई. उत्पादों के कारण महिलाओं को बेहतर बाजार मूल्य, स्थायी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, बिचौलियों पर निर्भरता में कमी जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर, बनारसी साड़ी उद्योग में लाखों महिलाएँ बुनाई, डिज़ाइन और फिनिशिंग कार्य से जुड़ी हैं।

(ख) आत्मनिर्भरता और उद्यमिता

जी.आई. टैग से उत्पाद की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, जिससे महिलाएँ - स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिला उत्पादक कंपनी (एफपीसी), सहकारी समितियाँ स्थापित कर सकती हैं। इससे वे केवल कारीगर नहीं, बल्कि उद्यमी बनती हैं।

(ग) सामाजिक सम्मान और पहचान

जब किसी महिला द्वारा बनाया गया उत्पाद राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, तो उसका सामाजिक सम्मान बढ़ता है। जी.आई. टैग महिलाओं को पहचान, गर्व और आत्मविश्वास प्रदान करता है।

(घ) रोजगार सृजन और स्वरोजगार

जी.आई. आधारित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार, घर आधारित कार्य अवसर, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय प्रदान करते हैं, जो महिलाओं के लिए अत्यंत अनुकूल हैं।

(ड) सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण

जब महिला द्वारा निर्मित उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, सरकारी संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ता है।
प्रमुख जी.आई. उत्पादों में महिलाओं की भूमिका

1. बनारसी साड़ी (उत्तर प्रदेश) : इस उद्योग में महिलाओं की भागीदारी डिज़ाइन, बुनाई और सजावट में प्रमुख है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। इस उद्योग में महिलाएँ डिज़ाइन निर्माण, बुनाई, फिनिशिंग जैसे कार्यों में सक्रिय हैं। यह लाखों महिलाओं की आजीविका का साधन है।
2. मधुबनी पेंटिंग (बिहार) : यह कला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संरक्षित और विकसित की गई है। आज यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिहार की पहचान बन चुकी है। मधुबनी पेंटिंग महिलाओं द्वारा विकसित कला है। जी.आई. टैग के बाद महिला कलाकारों की आय में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ, महिला कलाकारों की पहचान सुनिश्चित हुई।
3. कांचीपुरम सिल्क (तमिलनाडु) : महिलाएँ रेशम धागों की प्रोसेसिंग, रंगाई और बुनाई में अहम भूमिका निभाती हैं।
4. मिथिला मखाना: मखाना उत्पादन, सफाई और प्रसंस्करण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। इससे ग्रामीण रोजगार, महिला नेतृत्व, पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।

सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

भारत सरकार और राज्य सरकारें जी.आई. आधारित महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

देने हेतु कई योजनाएँ चला रही हैं : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्टार्टअप इंडिया, हस्तशिल्प विकास योजनाएँ, ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा । इन योजनाओं से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग मिलता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि जी.आई. उत्पादन महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं—

बाजार तक सीधी पहुँच का अभाव, डिज़िटल साक्षरता की कमी, सीमित पूँजी और संसाधन, बिचौलियों का वर्चस्व, अंतरराष्ट्रीय विपणन में कठिनाइयाँ । इन चुनौतियों का समाधान नीति, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग से संभव है।

भविष्य की संभावनाएँ

डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव के माध्यम से जी.आई. उत्पादों की माँग लगातार बढ़ रही है। यदि महिलाओं को डिज़िटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण और जी.आई. उत्पादन एक-दूसरे के पूरक हैं। जहाँ जी.आई. उत्पाद महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं, वहीं महिलाएँ इन उत्पादों की आत्मा और पहचान हैं। यदि नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार सुविधा को मजबूत किया जाए, तो जी.आई. उत्पादन ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी मॉडल बन सकता है। महिला सशक्तिकरण और जी.आई. उत्पादन भारत के समावेशी विकास का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करते हैं। जी.आई. टैग न केवल उत्पादों को पहचान देता है, बल्कि उन महिलाओं को भी सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है जो इन उत्पादों की वास्तविक निर्माता हैं। यदि नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार सुविधा को और मजबूत किया जाए, तो जी.आई. उत्पादन ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे टिकाऊ और प्रभावी माध्यम बन सकता है।

अंततः, जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा समाज सशक्त होता है और जब जी.आई. उत्पाद फलते-फूलते हैं, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत विश्व पटल पर और अधिक उज्ज्वल होती है।

रवि कुमार
क्षे.का., भागलपुर

काव्य सृजन

जीवन की गहराई

पर्दा दिखता है आगे, कहानी पीछे समाई रहती है,
दरख़्त की जड़ हमेशा ही, अंदर समाई रहती है...

ज़ुबां खामोश हो तो, ये न समझो बात ख़त्म हुई,
सन्नाटे की चादर में लिपटी, इक गहरी सच्चाई रहती है...

चमकता काँच, आँखों को धोखा दे भले जाए,
हीरे में मगर हरदम, असल की गहराई रहती है....

न पूछो मंज़िलों से तुम, सफ़र की मुश्किलें क्या थीं,
थके हुए कदमों के छालों में ही, मंज़िल की गहराई रहती है...

भला क्या पाओगे तुम, दिखावे की इबादत से,
दुआ की गूँज में तो बस, दिल की दुहाई रहती है....

सुनो किताब-ए-ज़िन्दगी को तुम, बड़े गौर से पढ़ना,
बहुत सी अनकही बातें लिये सच्चाई रहती है....

न ढूंढो मंदिरों-मस्जिद में उस रब की पनाहों को,
किसी मासूम के आंसू में ही उसकी खुदाई रहती है....

न जाने कौन सी हसरत अधूरी रह गई दिल में,
भरे बाज़ार में भी रूह जैसे एक पराई रहती है....

मचलता शोर लहरों का सुना है सबने साहिल पर,
मगर रूह के तूफ़ां में, अदद एक तन्हाई रहती है....

बिछड़ कर तुम से ये जाना, कि जीना किसको कहते हैं,
तुम्हारी याद की लौ में ही अब मेरी लौ जलाई रहती है....

राकेश सिंह
एम.एल.पी.,
क्षे.का., बेंगलूरु-दक्षिण

जीआई उत्पाद और जैविक खेती

जीआई टैग का पूरा नाम "भौगोलिक उपदर्शन टैग" होता है। यह एक प्रकार की संरक्षित उपलब्धि होती है जो किसी खेती उत्पाद या उद्योग के उत्पाद की विशिष्टता और उसे उत्पन्न करने वाले क्षेत्र की संरचना और जलवायु से जुड़ा होता है। इसे एक प्रकार के ब्रांड के रूप में भी समझा जा सकता है। यह उत्पाद किसी विशिष्ट क्षेत्र से सीधे उत्पन्न किए जाने वाली वस्तुओं को संरक्षित करता है और उन्हें अनुमति देता है कि वे अपने उत्पादों के लिए एक खास नाम और चिह्न उपयोग कर सकें जो उनके उत्पादों को अन्य उत्पादों से अलग बनाते हैं। यह उत्पाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत बनता है और स्थानीय परंपराओं को बचाए रखता है। उदाहरण के तौर पर भारत में जीआई टैग इसमें अजारा घनसाल चावल, अलफांसो, अंबेमोहर चावल, बीड कस्टर्ड सेब, भिवापुर मिर्च, जलगांव केला, जलगांव भरित बैंगन, जालना मीठा संतरा, कोल्हापुर गुड़, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, मराठवाड़ा केसर आम, मंगलवेधा ज्वार, नागपुर संतरा, नासिक अंगूर, नवापुर तुअर दाल, पुरंदर अंजीर, सांगली किशमिश, सांगली हल्दी, सोलापुर अनार, वेंगुर्ला काजू, वाघ्या घेवड़ा, वैगांव हल्दी का नाम शामिल है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। साथ ही देश-विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। इस कारण टूरिज्म भी बढ़ता है। किसी भी राज्य में ये विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। जीआई टैग मिल जाने से बढ़ी हुई एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावनाएं इन किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं।

जीआई उत्पाद और जैविक खेती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही कृषि उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन का काम करते हैं! जैविक खेती कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जो सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) के उपयोग से बचती है, और इसके बजाय मिट्टी के स्वास्थ्य, जैविक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें फसल चक्र, कम्पोस्ट, हरी खाद और पशु खाद जैसे प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक मुक्त, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से स्वस्थ भोजन का उत्पादन करना है, जो भूमि, जल और वायु प्रदूषण को कम करता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें फसल की उत्पादकता के साथ-साथ स्वस्थ भोजन, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे और स्वस्थ पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाती है। जैविक किसान मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरकों और आवरण फसल उगाने और फसल चक्र जैसी प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग करते हैं। मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर, जैविक किसान मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे सूखे और बाढ़ के प्रभाव कम होते हैं। मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से मिट्टी कार्बन और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित और संग्रहित करने में भी सक्षम होती है, जो स्वस्थ फसलों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इससे फसलें कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनती हैं। जैविक उत्पादन प्रणालियों में अनुवंशिक रूप से संशोधित बीज, कृत्रिम कीटनाशक या उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक प्रणालियों की कुछ आवश्यक विशेषताओं में फसलों और पशुधन उत्पादों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाली जैविक प्रणाली योजना का निर्माण और कार्यान्वयन; खेत से लेकर बिक्री स्थल तक सभी उत्पादों पर नज़र रखने वाली विस्तृत अभिलेख प्रणाली; और आस-पास के पारंपरिक खेतों से कृत्रिम कृषि रसायनों द्वारा अनजाने में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बफर ज़ोन का रखरखाव शामिल है। जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन टैग किसी भी विशेष क्षेत्र के उत्पादों को प्रदर्शित करता है। किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, विशेषता या प्रतिष्ठा के आधार पर भौगोलिक उपदर्शन टैग दिया जाता है। भारत में कृषि, प्राकृतिक, निर्मित वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री आदि कैटगरी के सैंकड़ों उत्पादों को जीआई टैग का खिताब प्राप्त है। जीआई टैग प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य उत्पाद को विलुप्त होने से बचाना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके और संबंधित क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। भारत में तमाम कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें सबसे पहला जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को। इसके बाद मैसूर की सुपारी से लेकर बिहार का मखाना और कश्मीर का केसर भी इस सूची में जुड़ते चले गए। आज हम आपको अलग-अलग राज्यों में कृषि कैटेगरी के जीआई टैग उत्पादों के बारे में जानकारी देंगे। ये वही उत्पाद हैं, जो संबंधित इलाके में किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हैं। सरकार जैव उर्वरक उत्पादन, कृषि अवसंरचना, विपणन सुविधा और जैविक प्रमाणन सहित सभी योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। किसानों को इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।

जीआई उत्पाद और जैविक खेती का संबंध एवं उत्पाद की विशिष्टता और गुणवत्ता:

जीआई टैग किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल के कारण मिलने वाली विशिष्ट पहचान, प्रतिष्ठा और गुणवत्ता को दर्शाता है। यह उस क्षेत्र की अनूठी कृषि-जलवायु परिस्थितियों और पारंपरिक ज्ञान को भी इंगित करता है।

मूल्य संवर्धन: जब कोई जीआई-टैग प्राप्त कृषि उत्पाद (जैसे दार्जिलिंग चाय, काला नमक, चावल, या खोला मिर्च) जैविक तरीके से भी उगाया जाता है, तो उसकी बाजार में मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं। किसी उत्पाद का नाम जी आई पंजीकृत कराने के लिए, यूरोपीय संघ के उत्पादकों या उत्पादक समूहों को अपने उत्पाद का विवरण देना होता है और यदि लागू हो तो भौगोलिक क्षेत्र से उसका संबंध जोड़ना होता है। आवेदन राष्ट्रीय अधिकारियों को जांच के लिए भेजा जाता है और फिर यूरोपीय आयोग को अग्रेषित किया जाता है, जो अनुरोध की जांच करेगा। गैर-यूरोपीय संघ के उत्पादों के पंजीकरण के लिए, उत्पादक अपने आवेदन सीधे या अपने राष्ट्रीय अधिकारियों के माध्यम से यूरोपीय आयोग को भेजते हैं। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन में अपेक्षित जानकारी शामिल है और यह संबंधित कानून के अनुरूप है। आयोग द्वारा आवेदन की जांच आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय तक नहीं की जानी चाहिए। किसी जैविक उत्पाद को पहचानने के लिए, आपको उस पर प्रमाणित लेबल देखना होगा, जैसे कि यूरोपीय लोगो (हरा पत्ता) या राष्ट्रीय लेबल: फ्रांस के लिए "एबी" लेबल, संयुक्त राज्य अमेंरिका के लिए " यूएसडीए " लेबल, या भारत के लिए " एनपीओपी " लेबल। ये लेबल इस बात की गारंटी देते हैं कि उत्पाद उत्पादन से लेकर वितरण तक जैविक खेती के सख्त मानकों का पालन करता है। प्रमाणन इकोसर्ट जैसी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। उत्पाद श्रृंखला में शामिल प्रत्येक व्यक्ति (किसान, प्रसंस्करणकर्ता, वितरक) को अपने उत्पादों पर जैविक लेबल प्रदर्शित करने के लिए निरीक्षण और प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है। यह उत्पाद को दोहरी विशिष्टता प्रदान करता है: भौगोलिक पहचान (जीआई) और खेती की स्थायी पद्धति (जैविक)।

टिकाऊपन और परंपरा: कई जीआई उत्पाद पारंपरिक और क्षेत्र-विशेष की खेती के तरीकों से जुड़े होते हैं, जो प्रकृति-अनुकूल होते हैं और अक्सर जैविक सिद्धांतों के करीब होते हैं।जैविक खेती ऐसी पारंपरिक विधियों को अपनाकर, जीआई उत्पादों की प्रामाणिकता और उनके उत्पादन की पारिस्थितिक अखंडता को और मजबूत करती है।

किसानों को लाभ: जीआई और जैविक, दोनों तरह के प्रमाणीकरण किसानों को उनके उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। भारत में कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, और उनमें से कई को जैविक तरीकों से भी उगाया जा रहा है या उनकी खेती में प्राकृतिक तरीके शामिल हैं:

संक्षेप में, जैविक खेती जीआई उत्पादों के लिए अतिरिक्त गुणवत्ता आश्वासन का काम करती है, जो उपभोक्ताओं के बीच उनके मूल्य और विश्वास को और बढ़ाती है। किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादों की पहचान को जियोग्रॉफिल इंडीकेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इस सूची में दार्जिलिंग चाय और मलिहाबादी आम शामिल हैं। फलों का राजा अल्फांसो आम भी अब और भी खास बन गया है उसे 'जीआई' टैग मिला है आमों के राजा अल्फांसो को महाराष्ट्र में 'हापुस' कहा जाता है। इसकी अपने स्वाद के कारण न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है जैविक खेती के अनेक लाभ हैं और यह प्रमुख पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का एक सुसंगत समाधान प्रदान करती है। मिट्टी और जल की गुणवत्ता को संरक्षित करके, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और जैव विविधता की रक्षा करके, यह पारिस्थितिकी तंत्र के पतन, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का ठोस समाधान प्रदान करता है। यह कृत्रिम कीटनाशकों से मुक्त भोजन की गारंटी भी देता है, पशु कल्याण का सम्मान करता है और कई रोजगार सृजित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। जैविक खेती का समर्थन करने का अर्थ है एक टिकाऊ कृषि मॉडल को प्रोत्साहित करना जो दुनिया, मनुष्यों, जानवरों और ग्रह के लिए ठोस समाधान प्रदान करता है। इसलिए, किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पाद का चयन करना आपके स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ कृषि के लिए भरोसे का विकल्प है । जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग्स का काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर-कानूनी प्रयोग को रोकना है। भारत में जीआई टैग्स किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला-जुला जीआई टैग दिया जाए। आज कृषक और कृषि दोनों ही संवेदनशील अवस्था में खड़े हैं। किसानों की आत्महत्या से लेकर उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति अपने आप में सिक्के के अंधेरे पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में जीआई टैग स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर एक आशा बहाल कर सकता है। इससे कृषक और कृषि दोनों का विकास संभव है।

प्रशांत बाबुलाल सत्तीवाले
क्षे.का., अहिल्यानगर

जीआई टैग और एमएसएमई

भारत के आर्थिक इंजन के केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र स्थित हैं—एक ऐसी शक्ति जो राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30% का योगदान देती है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। जैसे-जैसे भारत अपने "विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, इन लघु उद्योगों के लिए एक नया कानूनी और सांस्कृतिक उपकरण गेम-चेंजर बनकर उभरा है: भौगोलिक उपदर्शन - जीआई टैग। किसी उत्पाद की प्रतिष्ठा को उसके विशिष्ट भौगोलिक मूल से जोड़कर, जीआई टैग केवल बौद्धिक संपदा के निशान नहीं रह गए हैं; वे ग्रामीण औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत बन रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य: क्षेत्रीय पहचान का पुनर्जागरण

2024 के अंत और 2025 की शुरुआत तक, भारत की जीआई रजिस्ट्री में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने लगभग 700 पंजीकृत उत्पादों का मील का पत्थर पार कर लिया है। अकेले वर्ष 2024 में एक ऐतिहासिक उछाल देखा गया, जब मार्च में एक ही दिन में 60 से अधिक उत्पादों को टैग प्रदान किए गए।

इस मुहिम का नेतृत्व उत्तर प्रदेश कर रहा है, जो सबसे अधिक जीआई टैग (लगभग 70) वाला राज्य बनकर उभरा है, जिसके ठीक बाद तमिलनाडु का स्थान है। इस प्रतिष्ठित सूची में हाल ही में शामिल होने वाले उत्पादों में ओडिशा की कटक सिल्वर फिलीग्री (रुपा तारकसी), असम के माजुली मास्क और उत्तर प्रदेश का बनारस तबला शामिल हैं। ये पंजीकरण केवल कानूनी सुरक्षा से कहीं अधिक हैं; ये उन पारंपरिक एमएसएमई के औपचारिककरण का प्रतीक हैं जो सदियों से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे।

सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई पंजीकरण तक पहुँचना है। यह रोडमैप यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भारत के 700 से अधिक जिलों में प्रत्येक अद्वितीय शिल्प, कृषि विविधता और खाद्य पदार्थ को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में मान्यता मिले, जो स्थानीय एमएसएमई को बड़े पैमाने पर उत्पादित नकली सामानों से सुरक्षा प्रदान करे।

रणनीतिक सरकारी पहल: विरासत को नीति के साथ जोड़ना

भारत सरकार ने यह पहचान लिया है कि जीआई टैग तब तक एक सुप्त संपत्ति है जब तक कि उसे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन न मिले। पंजीकरण और व्यावसायिक सफलता के बीच की खाई को पाटने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई गई हैं:

- **ओडीओपी-जीआई समन्वय:** "एक जिला एक उत्पाद" (ओडीओपी) पहल को जीआई ढांचे के साथ जोड़ दिया गया है। प्रत्येक जिले के लिए एक हस्ताक्षर उत्पाद की पहचान करके, सरकार जीआई आवेदन, ब्रांडिंग और निर्यात के लिए एक केंद्रित पाइपलाइन प्रदान करती है।
- **जेम पोर्टल एकीकरण:** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने जीआई-टैग वाले उत्पादों के लिए एक समर्पित श्रेणी शुरू की है। इससे स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बिचौलियों के बिना सीधे सरकारी विभागों को बेचने की अनुमति मिलती है, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होता है।
- **पहचान आईडी पहल:** व्यक्तिगत कारीगरों को एमएसएमई के दायरे में लाने के लिए, कपड़ा मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय ने पहचान आईडी कार्ड जारी किए हैं। ये कार्ड कारीगरों को जीआई-पंजीकृत समूहों से जोड़ते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा, पीएम-मुद्रा योजना के तहत ऋण और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **वित्तीय प्रतिपूर्ति:** बौद्धिक संपदा (आईपी) सुविधा योजनाओं के तहत, एमएसएमई मंत्रालय जीआई के पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे उन छोटे सहकारी समितियों और उत्पादक संगठनों के लिए प्रवेश बाधा कम हो जाती है जो अन्यथा कानूनी प्रक्रिया को कठिन मान सकते हैं।

निर्यात की संभावनाएं और वैश्विक मांग

जीआई टैग प्राप्त करने के बाद, इन उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खुल जाते हैं। एमएसएमई के लिए निर्यात की संभावनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं:

यूरोपीय और अमेरिकी बाजार: कश्मीरी पश्मीना, दार्जिलिंग चाय और मैसूर सिल्क जैसे उत्पादों की यूरोप और अमेरिका में भारी मांग है। वहां के उपभोक्ता 'इतिहास' और 'प्रामाणिकता' के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं।

खाड़ी देश: बासमती चावल, अल्फांसो आम और वाराणसी के हस्तशिल्प खाड़ी देशों में बेहद लोकप्रिय हैं। हाल ही में हुए भारत-यूएई सीईपीए समझौते ने इन उत्पादों के निर्यात को और सुगम बना दिया है।

ई-कॉमर्स का विस्तार: अमेज़न (अमेजन कारीगर) और फ्लिपकार्ट (समर्थ) जैसे प्लेटफॉर्म अब जीआई उत्पादों के लिए समर्पित स्टोर चला रहे हैं, जिससे एक छोटा एमएसएमई उद्यमी सीधे न्यूयॉर्क या लंदन के ग्राहक को अपना उत्पाद बेच सकता है।

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग

सरकार एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई कदम उठा रही है:

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए): भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ समझौतों में भारतीय जीआई उत्पादों को विशेष सुरक्षा और बाजार पहुंच दिलाने के लिए बातचीत कर रही है।

गुणवत्ता मानक: एपीडा (एपीईडीए) जैसी संस्थाएं किसानों और छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग और स्वच्छता मानकों (जैसे आईएसओ या जैविक प्रमाणीकरण) को अपनाने में मदद कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी: सरकार एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों (जैसे गल्फ फूड, बर्लिन फेयर) में भाग लेने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि वे वैश्विक खरीदारों के साथ सीधे संपर्क कर सकें।

संस्थागत स्तंभ: सार्वजनिक और निजी संगठनों की भूमिका

भारत में जीआई-एमएसएमई मॉडल की सफलता को विकास बैंकों और उद्योग मंडलों के सामूहिक प्रयास से बल मिला है।

- **नाबार्ड का नेतृत्व:** राष्ट्रीय कृषि और

ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सबसे सक्रिय संस्थागत समर्थक रहा है। इसने 460 से अधिक जीआई उत्पादों के पंजीकरण का समर्थन किया है और "पोस्ट-जीआई" गतिविधियों को वित्तपोषित करना जारी रखा है। 2025 में, नाबार्ड का ध्यान 16,000 से अधिक अधिकृत उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करके एक "सत्यापित कौशल बल" बनाने पर केंद्रित है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जीआई टैग समुदाय का होता है, लेकिन केवल "अधिकृत उपयोगकर्ता" ही कानूनी रूप से अपने उत्पादों पर टैग का उपयोग कर सकते हैं।

- **एपीडा (एपीईडीए) का निर्यात प्रोत्साहन:** कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने कांगड़ा चाय, मिजोरम की बर्ड्स आई चिली और जरदालू आम जैसे जीआई उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुबई, बर्लिन और लंदन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के माध्यम से, एपीडा ने एमएसएमई के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के द्वार खोले हैं।
- **निजी क्षेत्र और उद्योग मंडल:** फिक्की (एफआईसीसीआई) और पीएचडीसीसीआई जैसे संगठनों ने "जीआई महोत्सव" (बेंगलूरु और नोएडा, 2025) आयोजित किए हैं। ये आयोजन बी2बी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं जहाँ फैबइंडिया या टाटा के ज़ूडियो जैसे निजी रिटेलर सीधे एमएसएमई समूहों से प्रामाणिक, जीआई-प्रमाणित हस्तशिल्प प्राप्त कर सकते हैं।

एमएसएमई को कैसे लाभ होता है: वस्तु से ब्रांड तक

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटे उद्यम के लिए, जीआई टैग तीन परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करता है:

क. प्रीमियम मूल्य और बाजार भेदभाव:

जीआई टैग एक सामान्य वस्तु को एक लक्ज़री या विशिष्ट ब्रांड में बदल देता है। उदाहरण के लिए, जीआई टैग प्राप्त करने के बाद, कोडाइकनाल मलाई पूंडू (लहसुन) की औषधीय प्रतिष्ठा के कारण बाजार मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एमएसएमई के लिए, इसका मतलब है उत्पादन की मात्रा बढ़ाए बिना उच्च मार्जिन प्राप्त करना।

ख. जालसाजी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा:

1999 का जीआई अधिनियम एमएसएमई को नकली उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। बनारसी साड़ियों या कांचीपुरम सिल्क के छोटे बुनकर अब अपने नाम से बेचे जाने वाले पावर-लूम नकली सामानों के खिलाफ लड़ सकते हैं। यह उन पारंपरिक कौशलों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है जो मशीनी नकली उत्पादों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते।

ग. ऋण की सुलभता:

जीआई-पंजीकृत क्लस्टर का हिस्सा होने से एमएसएमई के लिए ऋण सुरक्षित करना आसान हो जाता है। बैंक जीआई-टैग वाले उत्पादों को उनकी स्थापित बाजार प्रतिष्ठा और सरकार समर्थित प्रामाणिकता के कारण कम जोखिम वाली संपत्ति के रूप में देखते हैं।

सामाजिक समृद्धि की ओर: रिपल इफेक्ट

जीआई-एमएसएमई गठजोड़ की वास्तविक शक्ति भारतीय जमीनी स्तर पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव में निहित है।

- **ग्रामीण रोजगार और प्रवास पर नियंत्रण:** पारंपरिक व्यवसायों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर, जीआई टैग कारीगरों के शहरी झुग्गियों की ओर पलायन को रोकता है। एक गाँव में फलते-फूलते जीआई क्लस्टर का मतलब है कि युवा पीढ़ी अपने पैतृक शिल्प में भविष्य देखती है।
- **महिला सशक्तिकरण:** हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण (जैसे लिज्जत पापड़ या गजपति ताड़ गुड़) में भारत के एमएसएमई कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं। जीआई टैग महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को "अधिकृत उपयोगकर्ता" का दर्जा देकर सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें उत्पादन से लेकर ब्रांडिंग तक मूल्य श्रृंखला का नेतृत्व करने की अनुमति मिलती है।
- **सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर और पर्यटन:** जीआई टैग अल्पज्ञात क्षेत्रों को वैश्विक मानचित्र पर लाते हैं। "कश्मीर केसर" या "कूर्ग अरेबिका कॉफी" टैग एक "भौगोलिक ब्रांड" बनाते हैं जो कृषि-पर्यटन और शिल्प-पर्यटन को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय परिवहन और आतिथ्य एमएसएमई के लिए आय के नए स्रोत बनते हैं।
- **संवहनीय विकास:** अधिकांश जीआई उत्पाद स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो स्थानीय कच्चे माल और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन एमएसएमई को बढ़ावा देना भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

एमएसएमई उद्यमियों के लिए अगला कदम

यदि आप एक एमएसएमई उद्यमी हैं और जीआई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

अधिकृत उपयोगकर्ता बनें: यदि आप किसी जीआई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में खुद को पंजीकृत कराएं। इसके बिना आप कानूनी रूप से जीआई टैग का उपयोग नहीं कर सकते।

डिजिटल ब्रांडिंग: अपने उत्पाद की कहानी को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर साझा करें। विदेशी ग्राहक उत्पाद के पीछे की संस्कृति को पसंद करते हैं।

निर्यात केंद्रों से जुड़ें: अपने जिले के 'निर्यात हब' और स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करें ताकि आपको निर्यात संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सके।

भौगोलिक उपदर्शन टैग भारत के गौरवशाली अतीत और उसके औद्योगिक भविष्य के बीच का सेतु हैं। एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ये टैग केवल लेबल नहीं हैं—ये "उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र" हैं जो सबसे छोटे कारीगरों को वैश्विक समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं। "मूल की मौलिकता" की रक्षा करके, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसका आर्थिक विकास न केवल तीव्र हो, बल्कि समावेशी, सांस्कृतिक रूप से जड़ें जमाए हुए और टिकाऊ भी हो।

अविनाश आनंद
एम.एल.पी.,
क्षे.का., बेंगलूरु-उत्तर

जीआई उत्पादों का भविष्य

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु, परंपरा, कला और श्रम ने ऐसे विशिष्ट उत्पादों को जन्म दिया है, जो केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र में अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हैं। इन्हीं विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक उपदर्शन के माध्यम से कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीआई टैग न केवल उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का प्रमाण है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था, कारीगरों, किसानों और उद्यमियों के लिए विकास का सशक्त माध्यम भी है। आज के वैश्वीकरण और डिजिटल युग में जीआई उत्पादों का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है।

वैश्विक स्तर पर जीआई उत्पादों की भूमिका

पिछले दशकों में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दुनिया अब स्थानीय में वैश्विक खोज रही है। यूरोप में फ्रेंच चीज़, इटली का ऑलिव ऑयल, स्पेन की वाइन आदि इन सबने जी.आई. को ब्रांड में बदल दिया। भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जी.आई. उत्पाद को मिलने वाली पहचान ने हमारे देश भारत को भी वैश्विक बाज़ार में विशिष्ट पहचान, प्रीमियम मूल्य, निर्यात में वृद्धि तथा सांस्कृतिक कूटनीति का अवसर प्रदान किया है तो हमारे देश के लिए कुछ चुनौतियाँ भी सामने आयी है जैसे - नक़ली उत्पाद, गुणवत्ता में असमानता, बिचौलियों का शोषण तथा कारीगरों की सीमित बाज़ार पहुँच आदि।

हमने अभी तक जीआई उत्पादों के विषय में विभिन्न विद्वानों तथा लेखकों के अनुभव के अध्यन से यह महसूस किया है कि भविष्य उन्हीं जी.आई. उत्पादों का उज्ज्वल होगा जो गुणवत्ता, बेहतरी और निरंतरता को साथ लेकर चलेंगे। वैश्विक व्यापार में जीआई उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के टीआरआईपीएस समझौते के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों ने जीआई उत्पादों को आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनाया है. भारत भी अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत में जीआई उत्पादों की वर्तमान स्थिति

भारत में भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जीआई उत्पादों का पंजीकरण किया जाता है। वर्तमान में भारत में लगभग 700 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। केंद्र और राज्य सरकारें जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ चला रही हैं। "वोकल फॉर लोकल", "आत्मनिर्भर भारत अभियान", "एक जिला एक उत्पाद ", "मेक इन इंडिया" और "स्टार्टअप इंडिया" जैसी योजनाओं ने जीआई उत्पादों को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में ला दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से जीआई उत्पादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और ई-कॉमर्स से जोड़ा जा रहा है।

भविष्य में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भारतीय जीआई उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना है। भारत में जीआई अधिनियम का लागू होना केवल एक विधायी कदम नहीं था, बल्कि यह स्वीकारोक्ति थी कि—

"पारंपरिक ज्ञान भी उतना ही मूल्यवान है
जितना आधुनिक आविष्कार।"

भारत का भविष्य आज भी गाँवों में बसता है जी आई उत्पाद इस सच्चाई को आर्थिक शक्ति में बदलने की क्षमता रखते हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण, पलायन में कमी, स्थानीय रोज़गार सृजन तथा आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था कुछ मुख्य विशेषताएँ है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर देखने को मिलती है।

मेंरे अनुभव में, जब कारीगर को सम्मानजनक मूल्य मिलता है, तब वह अपनी कला छोड़ता नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को सौंपता है तथा जब युवा पारंपरिक कला को आधुनिक डिज़ाइन से जोड़ते हैं जब वे पैकेजिंग, मार्केटिंग और नवाचार लाते हैं और गर्व से कहते हैं: "यह मेरे गाँव का उत्पाद है"।

लगभग एक शताब्दी के अध्ययन के अनुभव से हम कह सकते हैं चाहे औपनिवेशिक काल के अंतिम वर्षों की स्मृतियाँ हों या स्वतंत्र भारत की नीतिगत प्रयोगशालाएँ हों या वैश्वीकरण के बाद का प्रतिस्पर्धात्मक युग यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन भारत की उस मौन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सदियों से जीवित रही है, परंतु अब जाकर उसे नीति और कानून का औपचारिक स्वरूप मिला है।

डिजिटल युग क्रांति और जी.आई. उत्पाद–

एक समय ऐसा था जब कारीगर हाट्-बाज़ार तक सीमित था लेकिन आजकल डिजिटल युग है जब एक गाँव का उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन बिक सकता है। आज हम ऐसे समय में रह रहे है जहाँ आसानी से अपनी पहचान दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने

जीआई उत्पादों के भविष्य को नई दिशा दी है। आज जीआई टैग वाले उत्पाद: ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, सरकारी पोर्टल जैसे जेम (जेम), अमेंज़न, फ्लिपकार्ट आदि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से देश-विदेश तक पहुँच बना रहे हैं। डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन प्रमोशन ने छोटे कारीगरों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जी.आई. उत्पादों की अलग पहचान ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसबिलिटी, ताकि उपभोक्ता जान सके कि उत्पाद असली है तथा डिजिटल स्टोरीटेलिंग– उत्पाद के पीछे की कथा सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड निर्माण आदि सुविधाएँ उपलब्ध है। जब उपभोक्ता उत्पाद की कहानी से जुड़ता है, तो वह केवल वस्तु नहीं, बल्कि विरासत खरीदता है।

जब कोई राष्ट्र अपने भविष्य की दिशा तय करता है, तब वह केवल उद्योग, पूँजी या तकनीक की नहीं, बल्कि अपनी सभ्यतागत जड़ों और सांस्कृतिक पूँजी की भी समीक्षा करता है। जी.आई. उत्पाद केवल किसी क्षेत्र का नाम नहीं होते, वे उस भूमि, जलवायु, श्रम, कौशल, परंपरा और सामूहिक स्मृति का प्रतिफल होते हैं।

भारत जैसे देश के लिए यह समीक्षा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ विकास की अवधारणा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक भी रही है। जीआई उत्पाद केवल वस्तुएँ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, परंपरा और पहचान हैं। देशीय योजनाओं और वैश्विक मंचों के समन्वय से जीआई उत्पादों का भविष्य अत्यंत सशक्त, समावेशी और सतत विकास की ओर अग्रसर है। यदि सरकार, समाज और बाजार मिलकर कार्य करें, तो जीआई उत्पाद भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएँगे, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विश्व पटल पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाएँगे। जी.आई. उत्पादों को सही दिशा, सम्मान और अवसर मिले, तो वे आने वाली शताब्दियों तक हमारी पहचान बने रहेंगे। जीआई टैग की अवधारणा कानूनी परिभाषा से परे एक सभ्यतागत सत्य है, किंतु व्यावहारिक और अनुभवजन्य दृष्टि से यह उससे कहीं अधिक है। यह—परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु है, लोकज्ञान और वैश्विक बाज़ार के बीच संवाद है, कारीगर और उपभोक्ता के बीच विश्वास का आधार है।

मेंरे अनुभव में, जब तक जी.आई. को केवल एक "टैग" समझा जाएगा, तब तक उसका प्रभाव सीमित रहेगा. उसे विकास के उपकरण के रूप में देखना ही भविष्य की कुंजी है।

मिट्टी की खुशबू और श्रम की पहचान,
जी-आई उत्पाद हैं देश की शान।

किसान-कारीगर का सपना साकार,
इनमें बसता है आत्मनिर्भर संसार।

देश से विश्व तक गूँजे इनकी बात, परंपरा
और प्रगति का सुंदर साथ।

आने वाला कल कहेगा गर्व से यही,
जी-आई से क्षेत्र की सही पहचान।

जीआई उत्पादों के भविष्य से है,
हमारी अपनी संस्कृति का सम्मान।

खुशमीता रानी
क्षे.का., पटना

काव्य सृजन

नया सूरज

कल की बातें भूल जा प्यारे
तब अंधेरों का पहरा था
साथ किसी के हाथ न आया
जब काला साया गहरा था

उषा काल बस शुरू हो गया
नया सूरज अब निकलेगा
कब तक पानी बर्फ रहेगा
आखिर कभी तो पिघलेगा

हम भी कमर हैं कसके निकले
सर पर कफ़न भी बांध लिये
जीवन अगर रणक्षेत्र हुआ तो
हम भी सीना तान खड़े
उषा काल बस शुरू हो गया
नया सूरज अब निकलेगा
कब तक पानी बर्फ रहेगा
आखिर कभी तो पिघलेगा

पिछली गलती सिखा गई है
सारी कमियां बता गई है
डर कोसों अब दूर हो गया
अब तो मंजर बदलेगा
उषा काल बस शुरू हो गया
नया सूरज अब निकलेगा
कब तक पानी बर्फ रहेगा
आखिर कभी तो पिघलेगा

चिड़ियों की चंचलता तो देखो
चहकते स्वर कानों में भर लो
पवन भी सुरमय गीत सुनाता
अब लगता है सबकुछ बदलेगा

उषा काल बस शुरू हो गया
नया सूरज अब निकलेगा
कब तक पानी बर्फ रहेगा
आखिर कभी तो पिघलेगा

गुरविंदर सिंह
भगवानगढ़ शाखा,
क्षे.का., बठिंडा

केंद्रीय कार्यालय अनेक्स, अंचल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

कें.का., अनेक्स, हैदराबाद

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पवई, मुंबई

कें.का., अनेक्स, दिल्ली

यूबीकेसी

अं.का., भोपाल

अं.का., भुवनेश्वर

अं.का., चंडीगढ़

अं.का., चेन्नै

अं.का., कोयंबत्तूर

अं.का., एर्णाकुलम

अं.का., गांधीनगर

अं.का., हैदराबाद

अं.का., जयपुर

अं.का., कोलकाता

अं.का., लखनऊ

केंद्रीय कार्यालय अनेक्स, अंचल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

अं.का. एवं क्षे.का., पटना

अं.का., पुणे

अं.का., तिरुपति

अं.का., बेंगलूरु

अं.का., मंगलूरु

अं.का., दिल्ली

क्षे.का., मुंबई-बोरीवली

अं.का., मेरठ

अं.का., मुंबई

अं.का., वाराणसी

क्षे.का., जालंधर

क्षे.का., रायगड़ा

क्षे.का., राजकोट

अं.का., विजयवाडा

अं.का., विशाखपट्टणम

क्षे.का., भुवनेश्वर

क्षे.का., मुंबई-ठाणे

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

क्षे. का., आगरा

क्षे. का., अनंतपुर

क्षे. का., बालेश्वर

क्षे. का., बरेली

क्षे. का., बड़ौदा

क्षे. का., बेलगावी

क्षे. का., बेंगलूरु-दक्षिण

क्षे. का., ब्रह्मपुर

क्षे. का., भागलपुर

क्षे. का., एर्णाकुलम

क्षे. का., गाजीपुर

क्षे. का., गुंटूर

क्षे. का., हल्द्वानी

क्षे. का., कलबुर्गी

क्षे. का., कानपुर

क्षे. का., खम्मम

क्षे. का., कोल्लम

क्षे. का., कोटा

क्षे. का., लुधियाना

क्षे. का., मछलीपट्टनम

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

क्षे. का., मेहसाणा

क्षे. का., मुंबई-अंधेरी

क्षे. का., मुंबई-वाशी

क्षे. का., मुजफ्फरनगर

क्षे. का.,मैसूरु

क्षे. का., रायपुर

क्षे. का., अहिल्यानगर

क्षे. का., अमरावती

क्षे. का., ग्रेटर-पुणे

क्षे. का., कोल्हापुर

क्षे. का., नागपुर

क्षे. का., नासिक

क्षे. का., पुणे-मेट्रो

क्षे. का., समस्तीपुर

क्षे. का., सेलम

क्षे. का., सिलिगुड़ी

क्षे. का., श्रीकाकुलम

क्षे. का., तिरुपति

क्षे. का., तिरुवनंतपुरम

क्षे. का., विजयनगरम

राज्य विशेष के जीआई उत्पाद

भारत की जीवित विरासत, स्थानीय पहचान और वैश्विक संभावना

आज जब 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल से ग्लोबल' जैसे विचार केंद्र में हैं, ऐसे में जीआई उत्पाद भारत की सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक अवसरों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। यह लेख भारत के विभिन्न राज्यों में फैले जीआई उत्पादों का संक्षिप्त लेकिन समग्र परिचय प्रस्तुत करते हुए उनके महत्व और संभावनाओं को रेखांकित करता है।

भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक अत्यंत विविध राष्ट्र है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु, परंपराएँ और मानवीय कौशल मिलकर ऐसे विशिष्ट उत्पादों को जन्म देते हैं, जो किसी अन्य क्षेत्र में उसी रूप में संभव नहीं हो पाते। इन्हीं विशिष्टताओं को कानूनी मान्यता देने का कार्य भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) करता है। जीआई टैग किसी उत्पाद को उसके मूल स्थान से जोड़ता है और यह प्रमाणित करता है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशिष्ट गुण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से ही उत्पन्न हुए हैं।

जीआई उत्पादों का महत्व

जीआई उत्पादों का महत्व केवल कानूनी संरक्षण तक सीमित नहीं है। यह संरक्षण दरअसल स्थानीय समुदायों के ज्ञान, कौशल और परंपरा को पहचान देने की प्रक्रिया है। जब किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है, तो वह उत्पाद अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधि बन जाता है। इससे न केवल उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है, बल्कि उपभोक्ता के मन में उसके प्रति विश्वास भी उत्पन्न होता है।

आर्थिक दृष्टि से जीआई टैग स्थानीय उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होता है। पारंपरिक शिल्पकार, बुनकर, किसान और कुटीर उद्योग, जो अक्सर मध्यस्थों के कारण उचित लाभ से वंचित रह जाते हैं, जीआई पहचान के माध्यम से सीधे बाज़ार से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही, जीआई उत्पाद निर्यात के लिए एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जीआई टैग परंपरागत ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई कलाएँ और हस्तशिल्प, जो आधुनिकता और मशीन आधारित उत्पादन के दबाव में विलुप्त होने की कगार पर थीं, जीआई पहचान मिलने के बाद पुनर्जीवित हुई हैं। इस प्रकार जीआई उत्पाद न केवल अतीत की विरासत को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि भविष्य की आजीविका का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।

उत्तर भारत के राज्यों के जीआई उत्पाद

उत्तर भारत में जीआई उत्पादों की पहचान वहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक परिवेश से गहराई से जुड़ी हुई है। जम्मू-कश्मीर अपने विशिष्ट प्राकृतिक वातावरण और पारंपरिक कौशल के कारण कई उत्कृष्ट जीआई उत्पादों के लिए जाना जाता है। कश्मीरी केसर, पश्मीना शॉल और कश्मीर अखरोट लकड़ी शिल्प विश्व स्तर पर अपनी गुणवत्ता और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये उत्पाद राज्य की जलवायु, कारीगरी और सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय जीवनशैली से जुड़े उत्पाद जीआई पहचान प्राप्त कर चुके हैं। कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल और किन्नौर सेब न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं, बल्कि हिमाचली संस्कृति की पहचान भी हैं। पंजाब का फुलकारी कढ़ाई कार्य वहाँ की लोकसंस्कृति और उत्सवधर्मिता को दर्शाता है। हरियाणा में भिवानी और पानीपत के हथकरघा उत्पाद राज्य की पारंपरिक बुनाई कला का प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश जीआई उत्पादों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, आगरा का पेठा और मुरादाबाद का पीतल शिल्प न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं। ये उत्पाद राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार और पहचान का प्रमुख स्रोत हैं। उत्तराखंड में रिंगाल शिल्प, पहाड़ी राजमा और तांबे के बर्तन जैसे उत्पाद पर्वतीय संसाधनों और स्थानीय ज्ञान के संतुलित उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

पश्चिम भारत के जीआई उत्पाद

पश्चिम भारत में जीआई उत्पादों की विशेषता यह है कि यहाँ परंपरा और व्यापारिक दृष्टि का संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। राजस्थान की पहचान उसकी रंगीन संस्कृति और शिल्प परंपरा से जुड़ी है। कोटा डोरिया साड़ी, जयपुर की ब्लू पॉटरी और पारंपरिक मोजड़ी जूती राज्य की कला और जीवनशैली को दर्शाती हैं। ये उत्पाद पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग को भी मजबूती प्रदान करते हैं। गुजरात में पटोला साड़ी, कच्छ की कढ़ाई और अगरबत्ती जैसे जीआई उत्पाद राज्य की उद्यमशीलता और कारीगरी की मिसाल हैं। महाराष्ट्र में पैठणी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, अल्फांसो आम और नागपुर संतरा कृषि और हस्तशिल्प दोनों क्षेत्रों में जीआई की भूमिका को रेखांकित करते हैं। गोवा का पारंपरिक पेय फेनी, जो काजू और ताड़ी से तैयार किया जाता है, स्थानीय संस्कृति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विशिष्ट उदाहरण है।

मध्य भारत के जीआई उत्पाद

मध्य भारत के राज्यों में जीआई उत्पादों की जड़ें अक्सर जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश में चंदेरी

और महेश्वरी साड़ियों ने हथकरघा उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई है। रतलामी सेव और बाग प्रिंट जैसे उत्पाद खाद्य और वस्त्र दोनों क्षेत्रों में राज्य की विशिष्टता को दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ के जीआई उत्पाद वहाँ की जनजातीय संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं। बस्तर का ढोकरा शिल्प, कोसा सिल्क और सुगंधित चावल न केवल परंपरागत कला को जीवित रखते हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों की आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

पूर्वी भारत के जीआई उत्पाद

पूर्वी भारत में जीआई उत्पादों का स्वरूप कला, कृषि और लोकजीवन—तीनों का समन्वय प्रस्तुत करता है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग विश्वप्रसिद्ध लोककला है, जो सामाजिक और धार्मिक कथाओं को चित्रों में उकेरती है। इसके साथ ही सिलाव खाजा और शाही लीची जैसे उत्पाद राज्य की खाद्य परंपरा को दर्शाते हैं। झारखंड में सोहराय पेंटिंग और टसर सिल्क जनजातीय कला और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग का उदाहरण हैं। ओडिशा में पिपिली एप्लीक वर्क, कटक तरकशी और इकत वस्त्र कला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व रखती हैं। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। इसके अलावा नक्शी कांथा और टेराकोटा शिल्प राज्य की हस्तकला परंपरा को दर्शाते हैं।

दक्षिण भारत के जीआई उत्पाद

दक्षिण भारत में जीआई उत्पाद सांस्कृतिक निरंतरता और तकनीकी परिष्कार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आंध्र प्रदेश की कलमकारी कला और तिरुपति लड्डू धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े जीआई उत्पाद हैं। तेलंगाना में पोचमपल्ली इकत और हैदराबादी हलीम राज्य की बुनाई और पाक परंपरा को दर्शाते हैं। तमिलनाडु में कांचीपुरम सिल्क, तंजावुर पेंटिंग और मदुरै मल्लिगई जैसे उत्पाद सदियों पुरानी कला परंपरा का प्रमाण हैं। कर्नाटक में मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडल सोप और कोडागु कॉफी राज्य की विशिष्ट पहचान बन चुके हैं। केरल के अलप्पी कोयर, अरनमुला कन्नडी और वायनाड कॉफी प्रकृति और कारीगरी के सुंदर संगम को प्रस्तुत करते हैं।

पूर्वोत्तर भारत के जीआई उत्पाद

पूर्वोत्तर भारत के जीआई उत्पाद वहाँ की जैव विविधता और जनजातीय संस्कृति को दर्शाते हैं। असम की चाय और मूगा सिल्क विश्वप्रसिद्ध हैं। नागालैंड की नागा मिर्च, मणिपुर का काला चावल और मेघालय की लाकाडोंग हल्दी जैसे उत्पाद क्षेत्र की विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़े हैं। ये उत्पाद पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में सहायक हैं।

भारत के जीआई उत्पाद केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान के संवाहक हैं। वे स्थानीय परंपरा, मानवीय श्रम और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन का प्रतीक हैं। यदि इन उत्पादों को बेहतर ब्रांडिंग, डिज़ाइन नवाचार, ई-कॉमर्स और नीति समर्थन मिले, तो जीआई उत्पाद भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक कूटनीति को भी सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार, जीआई उत्पाद सही अर्थों में भारत की "स्थानीय पहचान से वैश्विक अस्तित्व" की यात्रा के प्रमुख आधार स्तंभ हैं।

आदर्श डी. चांदेकर
क्षे.का., दिल्ली- दक्षिण

काव्य सृजन

जीआई टैग की गाथा

सिर्फ नाम नहीं, है अमूल्य इतिहास की छाप
जीआई टैग सिर्फ नाम नहीं, है विरासत का प्रताप

कच्छ की कढ़ाई, बनारस की साड़ी,
ओढ़िशा का पट्टचित्र, कश्मीर की शाल न्यारी,
मालबार की काली मिर्च, असम की चाय,
माटी की महक से जुड़ी हर प्रदेश की सच्ची पहचान,

नकल से देता रक्षा, सम्मान का बनता कवच,
जीआई टैग देता है, सृजनात्मकता को वचन,
मिट्टी की खुशबू कारीगर का मान,
हर पहचान में छुपा हमारा हिंदुस्तान।

नकल की भीड़ में सच्चाई की ढाल,
कारीगर की मेहनत को देता है संबल महान,
सदियों की साधना का अमित है प्रमाण,
जीआई टैग में सिमटा संस्कृति का सम्मान।

गाँव गाँव से उकेरे, विश्व में गूँजे मान,
लोकल से ग्लोबल तक फैले श्रम की पहचान,
संस्कृति, परिश्रम और मेहनत की गाथा,
जीआई टैग ने सदियों की विरासत को साधा॥

अमन सक्सेना
क्षे.का., बड़ौदा

जीआई- स्थानीय पहचान से अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व

"जिस समाज की जड़ें गहरी होती हैं,
उसकी शाखाएँ दूर तक फैलती हैं।"

यह पंक्ति उन उत्पादों और कलाओं पर शत-प्रतिशत लागू होती है जो किसी विशेष भू-क्षेत्र, संस्कृति, कारीगरी और वातावरण के कारण जन्म लेते हैं। आधुनिक युग में इन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला सबसे प्रभावशाली कानूनी औजार है जीआई टैग। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जीआई न केवल उत्पादन की मौलिकता का प्रमाण है, बल्कि यह सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विकास, स्थानीय आजीविका और वैश्विक व्यापार चारों स्तंभों को एक साथ मजबूत करता है। आज जब वैश्वीकरण की दौड़ तेज है, तब "स्थानीय से वैश्विक" की अवधारणा में जीआई की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। भारत में 2025 तक लगभग 700 जीआई उत्पाद*पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें कृषि उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, प्राकृतिक संसाधन, कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुएँ और पारंपरिक कला शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स एग्रीमंट द्वारा जीआई को अंतरराष्ट्रीय संरचना मिली, जिसके बाद भारत ने भौगोलिक उपदर्शन वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण), 1999 लागू किया।आज जीआई केवल पहचान नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, निर्यात वृद्धि, और ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान का माध्यम बन चुका है।

मिट्टी की खुशबू में रचती है पहचान,
कौशल की लकीरों में बसता है मान।

स्थानीय धरती से उठती है शान,
विश्व मंच पर बजता भारत का गान।

जीआई है संस्कृति का अमर प्रमाण,
जो जोड़ दे गाँव को अंतरराष्ट्रीय जहान।

1. स्थानीय पहचान का वैश्विक ब्रांड मूल्य में रूपांतरण

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) किसी स्थानीय उत्पाद को उसकी अनूठी प्रकृति, तकनीक, जलवायु और परंपरा से जोड़कर उसे वैश्विक पहचान देता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की रिपोर्ट कहती है कि जीआई उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में दुनिया भर में औसतन 2.23 गुना अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं। भारत में दार्जिलिंग चाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे विश्व स्तर पर "शैपेन ऑफ टीस" कहा जाता है और जो अब 80 से अधिक देशों में जीआई के रूप में पंजीकृत है। इसी तरह बनारसी साड़ी, कांचीपुरम सिल्क, नागा मिर्च जैसे उत्पाद अपनी स्थानीय जड़ों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में लग्ज़री केटेगरी में शामिल हो चुके हैं। यह तथ्य सिद्ध करता है कि "जहाँ पहचान सच्ची हो, वहाँ बाज़ार खुद रास्ता बना लेता है। जीआई टैग के कारण न केवल स्थानीय कारीगरों और उत्पादों की विशिष्टता उजागर होती है, बल्कि ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में परिवर्तित होकर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।

2. जीआई से किसानों और कारीगरों की आय में वास्तविक वृद्धि

नाबार्ड और कपड़ा मंत्रालय की 2023-24 की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि जीआई प्रमाणित उत्पादों से जुड़े किसानों और कारीगरों की आय में औसतन 28–32% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात के पाटन पटोला बुनकरों की आय जीआई मिलने के बाद तीन गुना बढ़ी, जबकि मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों की आय 2018 से 2024 के बीच 41% तक बढ़ी। अल्फांसो आम के जीआई के बाद केवल महाराष्ट्र से ही इसका निर्यात ₹80 करोड़ के पार पहुंच गया। कश्मीर के केसर की पियूरीटी जीआई के बाद 85% से बढ़कर 98% हुई, जिससे किसानों को प्रिमियम प्राइज़िंग मिलने लगी। यह बदलाव बताता है कि जीआई टैग ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे मज़बूती देता है और कारीगरों की मेहनत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मूल्य दिलाता है। कहावत है "मेहनत का फल मीठा तभी होता है, जब उसे सही पहचान मिले।" जीआई उसी पहचान का माध्यम है।

3. नकली और मिलावटी उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण

जीआई टैग मिलने से किसी भी उत्पाद की मौलिकता कानूनी रूप से संरक्षित होती है, जिससे नकली उत्पादों पर कड़ा नियंत्रण हो जाता है। दार्जिलिंग चाय का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है—एक समय दुनिया में जितनी दार्जिलिंग चाय बिकती थी, उसका 60% नकली था, लेकिन जीआई के बाद यह घटकर 12% पर आ गया। इसी प्रकार कश्मीर के केसर की असलियत को जीआई टैग ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान दी, जहाँ पियूरीटी अनुपात 98% तक पहुंच गया है। जीआई अधिनियम, 1999 के तहत यदि कोई नकली जीआई उत्पाद बेचने की कोशिश करता है, तो उस पर जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है। जीआई इस तरह न केवल उत्पाद की प्रतिष्ठा बचाता है, बल्कि देश की साख भी सुरक्षित करता है। यही कारण है कि कहा जाता है "नकली सोना जितना भी चमके, असली की क़ीमत कभी नहीं छीन सकता।"

4. जीआई उत्पादों से निर्यात में तेज वृद्धि और विदेशी मुद्रा में योगदान

एपीईडीए (2024) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीआई आधारित कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2020 से 2024 के बीच 17% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, और इन उत्पादों का योगदान ₹45,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। इसी अवधि में जीआई टैग वाले पारंपरिक हस्तशिल्पों का निर्यात ₹32,500 करोड़ तक पहुंच गया। दार्जिलिंग चाय, मालाबार काली मिर्च, कोडाईकनाल काफ़ी, मैसूर सिल्क और चन्नापटना खिलौनों जैसे जीआई उत्पादों की विदेशों में प्रिमियम डिमांड तेजी से बढ़ी है। यूरोप और यूएई के बाजार में भारतीय जीआई साड़ियों की डिमांड पिछले तीन वर्षों में 25–30% तक बढ़ी है। यह इस बात का प्रमाण है कि जीआई उत्पाद न के सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान हैं, बल्कि वे भारत के विदेशी व्यापार का मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। "जिस वस्तु की कीमत दुनिया जाने, उसकी उड़ान सीमाओं से परे हो जाती है।"

5. सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का वैश्विक संरक्षण

यूनेस्को और विपों दोनों मानते हैं कि जीआई टैग किसी देश की इनटैनजिबल कलचर हैरिटेज को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत में 2025 तक लगभग 700 जीआई उत्पाद पंजीकृत हैं, जिनमें से

लगभग 65% हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाएँ और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं। किन्नौरी शॉल, वारली पेंटिंग, चन्नापटना खिलौने और छत्तीसगढ़ के ढोकरा कला जैसे उत्पाद जीआई के कारण जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली की कला-संस्कृति प्रदर्शनियों का हिस्सा बन चुके हैं। जीआई टैग ने न केवल इन कलाओं को विलुप्त होने से बचाया है, बल्कि नई पीढ़ी को भी इनसे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि कहा जाता है "संस्कृति की रक्षा ही राष्ट्र की असली सुरक्षा है।"

6. जीआई आधारित पर्यटन और 'ग्लोबल इंडिया' का निर्माण

मिनिस्टरी ऑफ पर्यटन (2024) की रिपोर्ट के अनुसार जीआई आधारित पर्यटन में भारत में 22% की वृद्धि हुई है। जीआई उत्पाद अब न केवल व्यापार का माध्यम हैं, बल्कि पर्यटन के आकर्षण बन चुके हैं—जैसे दार्जिलिंग (चाय), कच्छ (कढ़ाई), काशी (साड़ियाँ), मैसूर (रेशम) और कश्मीर (केसर)। 2024 में "कश्मीर सैफरन फेस्टीवल" में 1.1 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए, जबकि "बनारसी बुनाई पर्यटन" ने केवल 2023 में ₹680 करोड़ की कमाई की। जीआई टैग उन स्थानों को विश्व स्तर पर कलचरल टूरिज्म हब बनाता है जहाँ यह उत्पाद तैयार होते हैं। इस प्रकार जीआई "मेड इन इंडिया" को बदलकर "क्राफ्टेड फिद इंडियन बीयूटी" बनाता है।

7. स्थानीय से वैश्विक बाज़ार तक जीआई उत्पादों की प्रेरक सफलता

जीआई उत्पादों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि परंपरा यदि संरक्षित की जाए तो वह वैश्विक मंच पर चमक सकती है। दार्जिलिंग चाय की अंतरराष्ट्रीय कीमत जीआई के बाद ₹1,800/केजी से बढ़कर ₹12,000/केजी हो गई। मधुबनी पेंटिंग का आयात वैल्यू 2018 से 2024 के बीच ₹18 करोड़ से बढ़कर ₹55 करोड़ हो गया। मैसूर सिल्क की ग्लोबल मांग में 28% की वृद्धि हुई, जबकि चन्नापटना खिलौनों का निर्यात जीआई प्रमाणन के बाद ₹8 करोड़ से बढ़कर ₹32 करोड़ पहुंच गया। ये कहानियाँ साबित करती हैं कि जीआई टैग किसी स्थानीय उत्पाद को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। जैसा कहा जाता है "धीरे-धीरे चढ़ी सीढ़ी ही मंज़िल तक पहुँचाती है, तेज़ कदम नहीं।" जीआई उत्पादों ने बिल्कुल यही धीमी लेकिन स्थायी यात्रा तय की है स्थानीय पहचान से अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व तक।

8. जीआई: डिजिटल प्रमाणन और भविष्य की तकनीक

डिजिटल इंडिया के दौर में जीआई उत्पादों की सुरक्षा और असलियत के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है-

क्यू आर आधारित पहचान, ब्लॉकचेन ट्रेसबिलिटी, डिजिटल सर्टिफिकेट, स्मार्ट टैग, नकली-रोधी|असली जीआई उत्पाद को स्कैन करने पर ग्राहक को- उत्पादक का नाम, निर्माण स्थान, कच्चा माल, असली प्रमाणन सब कुछ मिल जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 90% जीआई उत्पाद डिजिटल ट्रेसिंग सिस्टम से जुड़ जाएँ, जिससे नकली उत्पादों का बाजार समाप्त हो। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में नकली उत्पादों के खिलाफ सबसे तेजी से लड़ने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है।

गहरी जड़ें ही ऊँची शाखाएँ बनाती हैं।

खुशबू अग्रवाल
क्षे.का., दिल्ली- दक्षिण

काव्य सृजन

लम्हें

हर पल गुज़रते यह लम्हें,
न जाने हमसे क्या कह जाते हैं,

कभी खुशियों की सौगात बने, तो कभी आंसू बन बह जाते हैं।
कभी अपनों के शोर में गुम, कभी अपनी ही ख़ामोशी में गुमसुम,
ये लम्हें यूँही गुज़र जाते हैं, जाने हमसे क्या कह जाते हैं।

लम्हों की इस लय से, आज कल और कल आज में बदल जाते हैं,
ज़िन्दगी आगे बढ़ जाती हैं, और पीछे हम रह जाते हैं,
गुज़रते से यह लम्हें, जाने हम से क्या कह जाते हैं।

और बात हो जब लम्हों की, फुर्सत के लम्हें कुछ ख़ास हो जाते हैं,
कभी गीतों में, कभी किताबों में, कभी यादों में, तो कभी बातों में,
ये लम्हें यूँही गुज़र जाते हैं।

बीत गए जो ये लम्हें, एक कहानी बन जातें हैं,
कल की डोर न थाम पाएं हम, आने वाले कल की उम्मीद में,
कई जीवन बीत जातें हैं, गुज़रते से यह लम्हें जाने हमसे क्या कह जाते हैं।

लम्हों के आईने में, जब देखे हम अपनी परछाई,
सबको अपने अपने सच नज़र आते हैं,
हर लम्हें की अनकही, एक अनसुना राज़ है,

छोड़ो यह बातें फ़िलहाल, ये किस्से हम किसी और दिन सुनाते हैं।
हर पल गुज़रते ये लम्हें, जाने हम से क्या कह जाते हैं ।।

नीलम सुर्वे
भादरण शाखा,
क्षे.का., आणंद

भौगोलिक उपदर्शन

भारत की परंपरा, पहचान और आजीविका का कानूनी संरक्षण

भारत में जीआई पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। जुलाई 2025 तक देश में लगभग 700 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए जा चुके हैं। यह संख्या भारत की विशाल सांस्कृतिक, कृषि और शिल्प विविधता को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, राजस्थान की कोटा डोरिया, तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क, कर्नाटक का मैसूर सिल्क और तेलंगाना का पोचमपल्ली इकत—ये सभी जीआई के सफल उदाहरण हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भी अपनी पहचान बनाई है।

आज के वैश्वीकरण के दौर में, जब स्थानीय पहचान पर संकट बढ़ रहा है, जीआई भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। यह न केवल परंपरा और संस्कृति को बचाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक है। भौगोलिक उपदर्शन वास्तव में भारत की मिट्टी, मेहनत और विरासत की सामूहिक आवाज़ है—जिसे कानूनी संरक्षण देकर देश ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकरण प्रक्रिया:

भारत में आज जब पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, कृषि और खाद्य उत्पादों की पहचान की बात होती है, तो भौगोलिक उपदर्शन यानी जीआई का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आम तौर पर यह प्रश्न भी उठता है कि किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता कैसे है?

जीआई पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा संचालित की जाती है, जिसका कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

जीआई पंजीकरण के बाद भी प्रत्येक कारीगर या किसान को स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उन्हें अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में अलग से पंजीकरण कराना होता है, जिससे वे जीआई नाम का वैध उपयोग कर सकें।

जीआई पंजीकरण प्रक्रिया केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि परंपरा, पहचान और आजीविका को सुरक्षित करने का माध्यम है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी क्षेत्र की मेहनत, कौशल और विरासत का लाभ उसी क्षेत्र के लोगों तक पहुँचे।

आज जब भारत में लगभग 700 जीआई उत्पाद पंजीकृत हो चुके हैं, तब यह प्रक्रिया कारीगरों, किसानों और स्थानीय उत्पादकों के लिए आशा और सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। जीआई का यह सफ़र—पहचान से प्रमाण-पत्र तक—वास्तव में भारत की मिट्टी और मेहनत की कहानी कहता है।

भारत में जब भी भौगोलिक उपदर्शन –जीआई की चर्चा होती है, तो एक नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है—डॉ. रजनी कांत। उन्हें आज देश-भर में सम्मानपूर्वक "जीआई मैन ऑफ इंडिया" कहा जाता है। यह उपाधि केवल लोकप्रियता का परिणाम नहीं, बल्कि दशकों की बौद्धिक, नीतिगत और जमीनी मेहनत की पहचान है, जिसने भारत में जीआई व्यवस्था की नींव मजबूत की। डॉ. रजनी कांत उन प्रारंभिक विशेषज्ञों में रहे हैं, जिन्होंने यह समझा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि-आधारित वस्तुओं को यदि कानूनी संरक्षण नहीं मिला, तो वैश्वीकरण के दौर में उनकी पहचान और बाज़ार दोनों संकट में पड़ सकते हैं। इसी सोच ने उन्हें जीआई को भारत की विकास नीति से जोड़ने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

1990 के दशक के उत्तरार्ध में, जब भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और टीआरआईपीएस समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर अपनी नीतियाँ विकसित कर रहा था, उस समय भौगोलिक उपदर्शन जैसे विषय को देश में बहुत कम लोग समझते थे। डॉ. रजनी कांत ने उस दौर में जीआई को केवल एक कानूनी अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि कारीगरों, बुनकरों, किसानों और स्थानीय उत्पादकों की आजीविका से जुड़े अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया।

उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह माना जाता है कि उन्होंने भारत में जीआई अधिनियम के निर्माण की आवश्यकता को नीति-निर्माताओं तक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पहुँचाया। विभिन्न मंचों, बैठकों और विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने यह तर्क रखा कि यदि भारत अपने पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा नहीं देगा, तो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उनकी पहचान और स्वामित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान डॉ. रजनी कांत ने जीआई कानून की आवश्यकता पर गंभीर विमर्श किया। उपलब्ध रिपोर्टों और समाचार विश्लेषणों के अनुसार, उन्होंने न केवल जीआई कानून का विचार प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी समझाया कि यह कानून भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवश्यक है। इसी वैचारिक प्रयासों का परिणाम था कि वर्ष 1999 में भौगोलिक उपदर्शन वस्तु (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम अस्तित्व में आया।

डॉ. रजनी कांत की भूमिका कानून बनने तक सीमित नहीं रही। अधिनियम लागू होने के बाद उन्होंने देश-भर में जीआई के प्रति जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने शिल्प समूहों, बुनकर समितियों, किसान संगठनों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह समझाने का कार्य किया कि जीआई क्या है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है और यह किस प्रकार समुदायों को सशक्त बनाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने जीआई को शैक्षणिक विषय से

निकालकर जमीनी आंदोलन बनाया। अनेक राज्यों में जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उन्होंने तकनीकी मार्गदर्शन, दस्तावेज़ीकरण और रणनीतिक सहयोग प्रदान किया। यही कारण है कि आज भारत में वस्त्र, हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों के सैकड़ों जीआई सफलतापूर्वक पंजीकृत हो पाए हैं।

डॉ. रजनी कांत बार-बार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि जीआई किसी एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार नहीं है, बल्कि यह समुदाय का सामूहिक अधिकार है। उनकी सोच के अनुसार, जीआई का वास्तविक उद्देश्य केवल बाज़ार मूल्य बढ़ाना नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना है। यही दृष्टिकोण उन्हें अन्य बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों से अलग करता है। आज जब भारत में जीआई पंजीकरण की संख्या लगभग 700 तक पहुँच चुकी है, तब डॉ. रजनी कांत के योगदान को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, चंदेरी वस्त्र, कांचीपुरम सिल्क, कोटा डोरिया जैसे प्रसिद्ध जीआई उत्पाद केवल व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं हैं, बल्कि उस नीति-दृष्टि का परिणाम हैं, जिसे डॉ. रजनी कांत जैसे विशेषज्ञों ने वर्षों पहले आकार दिया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जीआई से जुड़े विमर्श में भारत की मजबूत उपस्थिति का श्रेय भी काफी हद तक उनके निरंतर प्रयासों को जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जीआई केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संप्रभुता का माध्यम है।

आज डॉ. रजनी कांत को "जीआई मैन ऑफ इंडिया" कहे जाने का कारण स्पष्ट है। उन्होंने भारत की मिट्टी, मेहनत और परंपरा को कानूनी पहचान दिलाने के लिए न केवल विचार दिया, बल्कि उसे नीति, कानून और व्यवहार में भी उतारा। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है—जो यह सिखाता है कि विकास तभी टिकाऊ होता है, जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा हो।

काशी से वैश्विक मंच तक: भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) के ज़रिए 'विकसित भारत–समृद्ध भारत' की कहानी

भारत की सांस्कृतिक आत्मा यदि किसी एक शहर में सबसे सघन रूप से दिखाई देती है, तो वह है वाराणसी—काशी। यह नगर केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र नहीं, बल्कि आज भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) के क्षेत्र में भी भारत का सबसे सशक्त और प्रभावशाली केंद्र बनकर उभरा है। काशी क्षेत्र में आज 32 से अधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं, जो इसे न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर जीआई का एक प्रमुख हब बनाते हैं । काशी की विशेषता यह है कि यहाँ जीआई केवल वस्त्र या शिल्प तक सीमित नहीं है। यहाँ कृषि उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कलाएँ—सभी को जीआई पहचान प्राप्त है। यही व्यापकता काशी को जीआई के क्षेत्र में एक अद्वितीय उदाहरण बनाती है। काशी के जीआई उत्पाद खेतों से शुरू होकर करघों, कार्यशालाओं और बाज़ारों तक फैले हुए हैं।

बनारस के जीआई उत्पाद—चाहे वह पान पत्ता हो या गुलाबी मीनाकारी, लंगड़ा आम हो या दरी-कालीन—केवल उत्पाद नहीं हैं। वे भारत की मिट्टी, मेहनत और सांस्कृतिक आत्मा के प्रतिनिधि हैं। काशी से निकला जीआई आंदोलन आज पूरे देश को जोड़ते हुए यह संदेश दे रहा है कि विकसित भारत और समृद्ध भारत का मार्ग हमारी स्थानीय परंपराओं से होकर ही जाता है।

इन जीआई उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये संग्रहालयों में बंद विरासत नहीं हैं। ये आज भी काशी की गलियों, मोहल्लों और बाज़ारों में जीवित हैं। अनुमान के अनुसार, काशी क्षेत्र के जीआई उत्पादों से लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें बुनकर, कारीगर, किसान, शिल्पकार, व्यापारी और सहायक श्रमिक शामिल हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो काशी क्षेत्र में जीआई आधारित गतिविधियों से लगभग ₹2,52,500 करोड़ का वार्षिक कारोबार सृजित हो रहा है, जो स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तक को सशक्त बना रहा है।

जीआई की यह शक्ति आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विज़न से सीधे जुड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री ने बार-बार स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल और विकसित भारत–समृद्ध भारत की बात कही है। जीआई इस विज़न को व्यवहार में उतारने का एक ठोस माध्यम बन चुका है। जब काशी का कोई जीआई उत्पाद स्थानीय कारीगर के हाथों से निकलकर वैश्विक बाज़ार तक पहुँचता है, तो वह केवल व्यापार नहीं करता—वह भारत की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व करता है।

काशी का जीआई मॉडल आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहा है। यही कारण है कि जीआई आंदोलन अब केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाने में डॉ. रजनी कांत, जिन्हें देशभर में "जीआई मैन ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता है, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जीआई अभियान आज 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक सक्रिय रूप से फैल चुका है।

यह जीआई यात्रा प्रतीकात्मक रूप से काशी से कलापानी, कच्छ से लद्दाख, कन्याकुमारी से कश्मीर और उत्तर प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। हर क्षेत्र का अपना विशिष्ट उत्पाद, अपनी परंपरा और अपनी पहचान है—और जीआई इन सभी को एक साझा राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, काशी की सफलता का मूल कारण यह है कि यहाँ जीआई को केवल कानूनी पंजीकरण तक सीमित नहीं रखा गया। इसे आजीविका, निर्यात, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा गया। यही कारण है कि काशी आज "जीआई हब" के रूप में उभरकर सामने आई है।

आज के वैश्वीकरण के दौर में, जब स्थानीय पहचान पर संकट बढ़ रहा है, जीआई भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा है। काशी का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि यदि नीति, समुदाय और परंपरा एक साथ कार्य करें, तो स्थानीय विरासत वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी बन सकती है।

अविनाश अग्रवाल
क्षे.का., वाराणसी

जीआई उत्पादों हेतु सरकारी योजनाएँ

भारत की विविधता यहाँ के उत्पादों में झलकती है। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र की कला, कृषि या शिल्प को 'जीआई टैग' मिलता है, तो वह केवल एक मोहर नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाता है। भारत सरकार ने इन विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और बिचौलियों को खत्म कर सीधे कारीगरों को लाभ पहुँचाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं।

1. एक जिला एक उत्पाद

जीआई उत्पादों के लिए सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक ओडीओपी है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना, उसे बढ़ावा देना और ब्रांडिंग करना है।

जीआई से जुड़ाव: अधिकांश जिलों ने अपने यहाँ के 'जीआई टैग' प्राप्त उत्पादों को ही अपनी पहचान के रूप में चुना है (जैसे वाराणसी का गुलाबी मीनाकारी या कन्नौज का इत्र)।

समर्थन: सरकार इन उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्थान प्रदान करती है।

2. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना उन जीआई उत्पादों के लिए वरदान है जो कृषि क्षेत्र से आते हैं।

उद्देश्य: असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना।

जीआई को लाभ: यदि कोई समूह 'इलाहाबादी सुरखा अमरूद' या 'मुजफ्फरपुर की शाही लीची' का प्रसंस्करण करना चाहता है, तो सरकार उन्हें 35% तक की सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

3. निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीईडीए (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) जीआई उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान दे रहा है।

जीआई प्रमोशन कार्यक्रम: सरकार ने हाल के वर्षों में 'जीआई महोत्सव' और 'वर्चुअल बायर-सेलर मीट' का आयोजन किया है। उदाहरण के लिए, जर्दालू आम और कतरनी चावल को विदेशों (जैसे लंदन और दुबई) के बाजारों तक पहुँचाने के लिए विशेष लॉजिस्टिक सहायता दी गई।

शिपिंग सब्सिडी: दूरस्थ क्षेत्रों से जीआई उत्पादों के निर्यात को वहनीय बनाने के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान की जाती है।

4. जीआई टैग पंजीकरण और कानूनी सहायता

सरकार ने जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

जीआई स्टोर: देश के प्रमुख हवाई अड्डों (जैसे गोवा एयरपोर्ट) पर विशेष 'जीआई स्टोर' खोले गए हैं ताकि विदेशी पर्यटकों को प्रामाणिक भारतीय हस्तशिल्प मिल सके।

पंजीकरण शुल्क में छूट: सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) के लिए जीआई पंजीकरण शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की गई है ताकि छोटे समूह भी अपनी पहचान सुरक्षित कर सकें।

5. डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स सहयोग

आज के दौर में डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य है। सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन बाजार देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

जेम (सरकारी ई-बाजार): सरकारी विभागों के लिए जीआई उत्पादों की खरीद को अनिवार्य और सुलभ बनाया गया है।

ट्राइब्स इंडिया: जनजातीय क्षेत्रों के जीआई उत्पादों (जैसे ढोकरा आर्ट या अराकू कॉफी) को 'ट्राइफेड' के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा है।

6. बुनियादी ढांचा विकास और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

कारीगरों के पास अक्सर आधुनिक तकनीक और बड़े ऑर्डर पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होता।

सीएफसी की स्थापना: सरकार विभिन्न समूहों में 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' स्थापित कर रही है। यहाँ जीआई उत्पाद बनाने वाले कारीगर साझा मशीनों, डिजाइन केंद्रों और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकते हैं।

एसएफयूआरटीआई योजना: 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष की योजना' (एसएफयूआरटीआई) के तहत क्लस्टर आधारित विकास किया जा रहा है, जिससे हस्तशिल्प जीआई उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है।

7. जीआई उत्पादों के लिए विशेष लोगो और ब्रांडिंग

सरकार ने एक राष्ट्रीय जीआई लोगो और टैगलाइन "अतुल्य भारत की अमूल्य निधि" जारी की है।

यह लोगो उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाने में मदद करता है।

विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री अक्सर उपहार स्वरूप जीआई उत्पाद (जैसे चंबा रूमाल या पश्मीना शॉल) ही भेंट करते हैं, जिससे इनकी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग होती है।

भविष्य की राह: सरकार अब 'जीआई पर्यटन' पर काम कर रही है, जहाँ पर्यटकों को उन गाँवों और क्षेत्रों में ले जाया जाएगा जहाँ ये उत्पाद बनते हैं। इससे न केवल बिक्री बढ़ेगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

भारत सरकार की ये योजनाएँ जीआई उत्पादों को केवल एक "स्मारिका" से बदलकर एक बड़े "आर्थिक इंजन" में परिवर्तित कर रही हैं। 'लोकल फॉर ग्लोबल' के मंत्र के साथ, ये नीतियां ग्रामीण भारत के हुनर को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। यदि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और बेहतर होता है, तो भारत के जीआई उत्पाद भविष्य में विश्व बाजार के प्रीमियम सेगमेंट पर राज करेंगे।

नेहा चंद्राकार
चंदनीडीह शाखा,
क्षे.का., रायपुर

स्वयं सहायता समूह और जीआई उत्पाद

जब भरोसे की पूँजी से पहचान की अर्थव्यवस्था जन्म लेती है, तब देश खूब फलता-फूलता है और गरीबी या रोज़गार जैसी चुनौतियाँ स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती हैं। भारत के विकास की अनेक राहें आँकड़ों में दर्ज होती हैं, परंतु कुछ राहें ऐसी होती हैं जहाँ ग्रामीण महिलाओं के परिश्रम से स्थानीय उत्पादों की खुशबू जन्म लेती है। स्वयं सहायता समूह और भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) उत्पाद ऐसी ही राहों के केंद्र बिंदु हैं। इस संदर्भ में बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं रहता, बल्कि विश्वास और निष्ठा का सेतु बन जाता है, जो गाँव और बाज़ार या अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की दूरियाँ समाप्त करता है।

स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल बैंक खाता खोलना या ऋण लेन-देन करना नहीं है, बल्कि इसकी असली उपलब्धि वह आत्मविश्वास है जो किसी महिला को पहली बार हस्ताक्षर करने और अपने उत्पाद की कीमत तय करने का साहस देता है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, सामूहिक निर्णय-निर्माण, नेतृत्व, प्रशिक्षण का स्थल तथा आत्मविश्वास से भर उठने वाला समूह है।

बैंकिंग प्रणाली और जीआई टैगयुक्त उत्पादों से जुड़कर ये समूह वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ने के जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। ये समूह वित्तीय समावेशन और सामूहिक शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं, जबकि जीआई टैगयुक्त उत्पाद स्थानीय विशिष्टता, गुणवत्ता और परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाते हैं।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों और महिलाओं के हाथ में होती है। स्वयं सहायता समूह और भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) उत्पाद इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण धुरी हैं, जो ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक परिदृश्य को बदल सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह— यह दस-बीस व्यक्तियों (अक्सर महिलाएँ) का एक अनौपचारिक समूह होता है, जो नियमित रूप से छोटी बचत करते हैं और आपसी सहयोग से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये समूह वित्तीय सेवाओं, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विकास एजेंसियों द्वारा गरीबी उन्मूलन रणनीति के रूप में की गई थी। स्वयं सहायता कार्यक्रम की शुरुआत मूल रूप से एसबीआई बैंक द्वारा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके की गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पहल और विशेष रुचि के कारण ये समूह देश-भर में फैल गए।

यह समूह ग्रामीण भारत में गरीब व हाशिए के लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बढ़िया तरीका है। ये बचत, ऋण, कौशल और विकास के जरिए स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। ये समूह छोटे-छोटे आय सृजन कार्यों (सिलाई, कृषि आधारित उद्यम, खाद्य पदार्थ बनाना या हस्तशिल्प) के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हैं, वित्तीय समावेशन पाते हैं, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं तथा गरीबी उन्मूलन व सामाजिक बुराइयों (जैसे घरेलू हिंसा, नशाखोरी, बाल विवाह और दहेज) से लड़ने में सक्षम बनते हैं और सामूहिक आवाज़ उठाते हैं।

जीआई टैग (भौगोलिक उपदर्शन): यह एक प्रकार की बौद्धिक संपदा सुरक्षा है, जो किसी उत्पाद को यह पहचान देती है कि वह विशिष्ट क्षेत्र से आता है तथा उस क्षेत्र की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और जलवायु को दर्शाता है। जब कोई उपभोक्ता जीआई टैगयुक्त उत्पाद खरीदता है, तो वह केवल वस्तु नहीं खरीदता, बल्कि उस क्षेत्र की गुणवत्ता, विश्वास और विरासत को खरीदता है। इन उत्पादों की विशिष्टता नकली प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। जीआई टैग उस उत्पाद को कानूनी सुरक्षा और बाज़ार की विश्वसनीयता देता है, मूल्य को स्थिरता प्रदान करता है और दीर्घकालिक माँग सुनिश्चित करता है। इसके साथ जुड़ा उद्यम बैंकिंग के लिए भी स्थिर और भरोसेमंद अवसर प्रदान करता है।

यही कारण है कि जीआई टैगयुक्त स्वयं सहायता समूहों वाले उद्यम आज कम जोखिम और अधिक सामाजिक प्रभाव वाले वित्तीय संस्थान बन रहे हैं।

दोनों के साथ से जहाँ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वहीं ग्रामीण परिवेश में भी सुधार होता है। जब जीआई टैगयुक्त उत्पादों का उत्पादन इन समूहों द्वारा किया जाता है, तब एक अनोखा स्वरूप सामने आता है— सामूहिक मेहनत, प्रसंस्करण, विपणन, साझा ज़िम्मेदारी और स्थायी आय का मंच।

भारत में इन समूहों में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ होती हैं, जो जीआई टैगयुक्त उत्पादों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता पाती हैं और समुदाय में अपने हक की आवाज़ उठाती हैं। सरकार और ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट, अमेंज़न, जेम के सहयोग से जीआई टैगयुक्त उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (सरस कलेक्शन, ई-एनएएम) पर बेचा जाता है, जिससे ये समूह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक

पहुँच पाते हैं। जीआई टैगयुक्त उत्पादों के सफल विपणन से न केवल व्यक्ति, बल्कि पूरा समुदाय आर्थिक व सामाजिक रूप से विकसित होता है।

जैसे लेमन ग्रास उगाने वाले समूहों का उदाहरण हो या बिहार की मधुबनी पेंटिंग— जो कभी दीवारों तक सीमित थी, आज जीआई टैग और इन समूहों के समर्थन से आजीविका का सशक्त माध्यम बन गई है। महिला समूहों ने सामूहिक रूप से उत्पादन बढ़ाया, डिज़ाइनों में नयापन किया और बैंक से कार्यशील पूँजी जुटाई। आज यही महिलाएँ समय पर ईएमआई चुका रही हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। यह केवल कला की नहीं, आत्मनिर्भरता की कहानी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई, अब एनआरएलएम) जैसी योजनाओं ने इन समूहों को बढ़ावा दिया है। इन पहलों से इन समूहों को गति मिली। वर्ष 2020 तक भारत में 1.2 करोड़ से अधिक समूह बन चुके थे, जो लगभग 10 करोड़ परिवारों को जोड़ते हैं।

स्वयं सहायता समूह और जीआई टैगयुक्त उत्पादों की यह साझेदारी केवल आर्थिक स्वरूप ही नहीं, बल्कि भारत का विकास-केंद्र है। ये समूह स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, विपणन और वित्तीय सहायता का एक शक्तिशाली माध्यम हैं, जो जीआई टैगयुक्त उत्पादों के लिए मज़बूत आधार प्रदान करते हैं। ये मिलकर ग्रामीण आजीविका को स्थायी बनाते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं और स्थानीय परंपराओं व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। जीआई टैगयुक्त उत्पाद इन समूहों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ते हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और वे "मेक इन इंडिया" की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। इससे गरीबी कम होती है और सामुदायिक विकास होता है। जब ये महिलाएँ अपने-अपने क्षेत्र के उत्पादों को बैंक और जीआई टैग के सहयोग से बाज़ार तक पहुँचाती हैं, तो वे केवल आय नहीं कमातीं, बल्कि देश के विकास में अपना योगदान देती हैं और गर्व से कहती हैं—

"यही हमारा नारा है,
यह भारतवर्ष हमारा है,
हमें इस पर गर्व है,
इसे सोने की चिड़िया बनाना है।"

मनीष लाम्बा
क्षे.का., करनाल

काव्य सृजन

राजभाषा हिंदी

भारत है अनगिनत भाषाओं की बगिया...,
इस बगिया का हर एक फूल है देश की शान,
फिर भी बहुसंख्यक की भाषा के रूप में हिन्दी की पहचान,
हिंदी है देश के इतिहास की धड़कन.
इसमें रचता-बसता है भारतीयों का तन-मन,
यह जोड़ती है कश्मीर से कन्याकुमारी का साथ,
पूर्व से पश्चिम तक फैलाती प्रेम का हाथ।

हिंदी में है सरलता, हिंदी में है मिठास,
हिंदी से ही मिलती है जन-जन को विश्वास।
यह न किसी क्षेत्र की है, न जाति का बंधन,
यह तो है भारत की आत्मा, यह है जीवन।

भारत के हर कोने से हिंदी ने स्वर उठाया,
एकता का संदेश जग में सदा फैलाया।

स्वतंत्रता संग्राम में जब हुंकार गूँजी थी,
हिंदी ने ही जन-जन की चेतना को छूई थी।
गांधी ने भी अपनाया इसे जन-जागरण का शस्त्र,
इस भाषा ने जगाया हर हृदय में नया अस्त्र।

आज विज्ञान और तकनीक में भी बढ़ता इसका मान,
कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का होता गान।
विदेशों में भी गूँज रही इसकी शान,
हिन्दी से ही है हिंदुस्तान की पहचान।

यह सरल है, सहज है, सबको समझ में आती,
हिंदी ही राजभाषा – यही सच्ची बात बताती।
हिंदी में ही है राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का मान,
हिंदी से ही सजता है भारत का स्वाभिमान।

कुमारी रंजीता रुबी
क्षे. का., पटना

ई-कॉमर्स और जीआई उत्पाद

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा पारंपरिक उद्योगों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। ये क्षेत्र न केवल आजीविका का प्रमुख साधन हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को भी सहेजते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा को संरक्षित करने के उद्देश्य से (भौगोलिक उपदर्शन – जीआई) की अवधारणा विकसित की गई।

वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति के इस युग में व्यापार के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया है। पारंपरिक बाजार अब डिजिटल मंचों में परिवर्तित हो रहे हैं, जिन्हें हम ई-कॉमर्स कहते हैं। जब ई-कॉमर्स और जीआई उत्पाद एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो यह न केवल स्थानीय कारीगरों और किसानों के लिए अवसर पैदा करता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है।

ई-कॉमर्स का अर्थ और महत्व : ई-कॉमर्स का तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय से है। आज ई-कॉमर्स केवल खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स, ग्राहक सेवा, विपणन और ब्रांडिंग भी शामिल है।

ई-कॉमर्स से जीआई उत्पादों को होने वाले लाभ:

वैश्विक बाजार तक पहुंच – स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक सकते हैं। बिचौलियों में कमी – उत्पादक सीधे ग्राहकों से जुड़ते हैं। उचित मूल्य प्राप्ति – कारीगरों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलता है। ब्रांड पहचान – जीआई टैग के साथ उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ती है।

वर्तमान डिजिटल युग में ई-कॉमर्स एक प्रभावी विपणन एवं वितरण माध्यम के रूप में उभरा है। जीआई उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना न केवल स्थानीय उत्पादकों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास तथा निर्यात संवर्धन जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को भी सुदृढ़ करता है। बैंकिंग एवं सरकारी दृष्टिकोण से जीआई उत्पादों और ई-कॉमर्स का यह समन्वय आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों के पूर्णतः अनुरूप है।

ई-कॉमर्स : जीआई उत्पादों के लिए नए अवसर

- ई-कॉमर्स डिजिटल माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया है, जो बाजार की भौगोलिक सीमाओं को समाप्त करता है, लागत-प्रभावी विपणन सुविधा प्रदान करता है तथा पारदर्शिता एवं त्वरित भुगतान को बढ़ावा देता है ।
- भारत में अमेंजन, फ्लिपकार्ट, सरकारी ई-बाजार (जेम), ओएनडीसी तथा विभिन्न राज्य स्तरीय पोर्टल ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जीआई उत्पादों को स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- डायरेक्ट-टू-कस्टमर (डी2सी) मॉडल के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका में कमी आती है, जिससे उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जीआई टैग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद की ब्रांड वैल्यू में भी वृद्धि होती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालाँकि अनेक अवसर उपलब्ध हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे - डिजिटल साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान का अभाव, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएँ, हस्तनिर्मित एवं नाजुक उत्पादों की सुरक्षित डिलीवरी, जीआई टैग के दुरुपयोग से नकली उत्पादों की संभावना, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की सीमाएँ, उत्पादकों में पेशेवर विपणन कौशल का अभाव, नीतिगत सुझाव ।

इन चुनौतियों से निपटने हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं –

- जीआई उत्पादकों के लिए विशेष ई-कॉमर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम
- जीआई सत्यापन हेतु सशक्त डिजिटल तंत्र
- बैंक-सरकार-ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच समन्वय
- जीआई उत्पादों हेतु समर्पित ऑनलाइन सेक्शन
- उत्पाद की उत्पत्ति एवं कारीगर की जानकारी का स्पष्ट प्रदर्शन
- भविष्य की संभावनाएँ
- जीआई उत्पादों और ई-कॉमर्स का प्रभावी समन्वय—
- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास
- रोजगार सृजन
- निर्यात वृद्धि

भारत की वैश्विक ब्रांड छवि को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

बैंकिंग एवं सरकारी दृष्टिकोण से जीआई उत्पादों और ई-कॉमर्स का संयोजन समावेशी एवं संवहनीय विकास का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह न केवल पारंपरिक उत्पादों को संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा देता है। यदि समुचित नीति समर्थन, वित्तीय सहयोग और तकनीकी ढाँचा सुनिश्चित किया जाए, तो जीआई उत्पाद वास्तव में "लोकल से ग्लोबल" की यात्रा में भारत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं।

आरूप जालान
पटल बाबू रोड शाखा
क्षे.का., भागलपुर

पर्यटन और जीआई उत्पाद

भारत की सांस्कृतिक विविधता अद्‌त है, जो विभिन्न भाषाओं, धर्मों, खान-पान, वेशभूषा और त्यौहारों में झलकती है, जबकि इसके पारंपरिक कौशल में मधुबनी पेंटिंग, कथक नृत्य और चिकनकारी कढ़ाई जैसे कला रूप शामिल हैं, जो सदियों से चली आ रही विरासत को दर्शाते हैं। आध्यात्मिकता व कलात्मक उत्कृष्टता का मिश्रण है, जिसे भारत सरकार भी बढ़ावा देती है।

जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) टैग एक ऐसा लेबल है जो किसी उत्पाद को उसके मूल स्थान से जोडता है जो उसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का प्रमाण होता है।

पर्यटन और जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) उत्पादों के बीच एक गहरा और बढ़ता संबंध है, जहाँ जीआई उत्पाद पर्यटकों को आकर्षित करने, स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये उत्पाद अपनी भौगोलिक उत्पत्ति और अनूठी गुणवत्ता के कारण पर्यटकों को प्रामाणिक अनुभव प्रदान करते हैं, जो स्थानीय पहचान और ब्रांडिंग को मजबूत करते हैं।

जीआई उत्पादों से जुड़ा सांस्कृतिक पर्यटन:

जीआई उत्पादों से जुड़े सांस्कृतिक पर्यटन, जैसे कार्यशालाओं और हस्तशिल्प गाँवों की यात्रा, एक बेहतरीन विचार है क्योंकि यह पर्यटकों को प्रामाणिक अनुभव देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, कारीगरों को सशक्त बनाता है और पारंपरिक कला व संस्कृति को संरक्षित करता है, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक विकास दोनों संभव होते हैं। यह पर्यटन न केवल उत्पादों को वैश्विक मंच पर दृश्यता देता है बल्कि लुप्तप्राय शिल्पों को बचाने में भी मदद करता है, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा लाभ मिलता है और उनकी आय बढ़ती है।

सांस्कृतिक पर्यटन को तीन मुख्य हिस्सों में बाँटा जा सकता है: 'क्राफ्ट टूरिज्म', 'हैंडलूम ट्रेल' और 'फूड ट्रेल' तीनों ही पर्यटन के विशेष रूप हैं जो किसी क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, कला और पाक कला को बढ़ावा देते हैं।

यहाँ इन सभी का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1) क्राफ्ट टूरिज्म:

क्राफ्ट टूरिज्म या शिल्प पर्यटन एक यात्रा का अनुभव है जहाँ पर्यटक किसी गंतव्य के स्थानीय हस्तशिल्प, कारीगरों, कार्यशालाओं और शिल्प बाजारों से जुड़ते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय कला और विरासत को संरक्षित करना, कारीगरों को आर्थिक सहायता देना और आगंतुकों को अद्वितीय, प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है।

उदाहरण: गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कारीगर गांवों का दौरा करना, जहाँ लोग पारंपरिक बुनाई, कढ़ाई और मिट्टी के काम देखते हैं।

2) हैंडलूम ट्रेल:

हैंडलूम ट्रेल, क्राफ्ट टूरिज्म का एक विशिष्ट उप-समूह है, जो विशेष रूप से हाथ से बुने हुए वस्त्रों और हथकरघा उद्योग पर केंद्रित होता है। यह ट्रेल पर्यटकों को बुनाई की प्रक्रिया, पारंपरिक तकनीकों और बुनकरों के जीवन के बारे में शिक्षित करती है।

उदाहरण: आंध्र प्रदेश की कलमकारी या पोचमपल्ली की इकत बुनाई या असम के मगा सिल्क के गांवों का दौरा करना।

3) फूड ट्रेल:

फूड ट्रेल या पाक कला ट्रेल एक पर्यटन अनुभव है जो किसी क्षेत्र की स्थानीय खाद्य संस्कृति, व्यंजनों और खान-पान के इतिहास पर केंद्रित होता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हुए पर्यटकों को उस क्षेत्र के प्रामाणिक और अनोखे स्वाद का अनुभव करने का मौका देता है।

उदाहरण: पुरानी दिल्ली की गलियों में प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना, या केरल में स्थानीय मसालों के बागानों का दौरा करना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जीआई (भौगोलिक उपदर्शन) उत्पाद आधार का काम करते हैं, क्योंकि ये उत्पादों (जैसे स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद) को एक विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता की गारंटी और उच्च मूल्य देते हैं।

जीआई टैग से गाँव आधारित आर्थिक गतिविधियों में भारी वृद्धि होती है क्योंकि यह उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान देता है, जिससे उनकी बाजार कीमत बढ़ती है, नकली उत्पादों पर रोक लगती है, कारीगरों और किसानों की आय बढ़ती है (40-200% तक) और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

"जहाँ पर्यटन रास्ते दिखाता है, वहीं जीआई उत्पाद उस भूमि की पहचान, परंपरा और आत्मा को दुनिया के सामने लाते हैं।"

निखिल पांडे
नामली शाखा,
क्षे.का., इन्दौर

केंद्रीय कार्यालय की राजभाषा गतिविधियाँ

दिनांक 21.12.2025 को केंद्रीय कार्यालय की 184वीं राभाकास बैठक में श्री आशीष पाण्डेय, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालकनिदेशकगण श्री एस. रामसुब्रमणियन, श्री संजय रुद्र, श्री अमरेश प्रसाद तथा अन्य कार्यपालकों द्वारा हिंदी कार्टून पुस्तिका "डिजिटल कॉल सेंटर" का विमोचन किया गया।

दिनांक 13.10.2025 को केंद्रीय कार्यालय द्वारा अंचल कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा प्रभारियों की अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन श्री गिरिश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक(मा. सं. एवं रा.भा.) की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 27.10.2025 को केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्याशाला का उद्घाटन श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक(मा.सं. एवं रा.भा.) द्वारा किया गया।

दिनांक 12.12.2025 को केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्याशाला का उद्घाटन श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक(मा.सं. एवं रा.भा.) एवं समापन श्रीमती वी माधवी, महाप्रबंधक द्वारा किया गया।

प्रापण विभाग शब्दावली

बैंक के सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन हेतु आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यों की खरीद की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु बैंक प्रापण विभाग की स्थापना की गई है। बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री, सेवाएँ एवं कार्यों की पहचान, उनकी योजना, निविदा प्रक्रिया का संचालन, प्रस्तावों का मूल्यांकन, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना तथा अनुबंध निष्पादन तक की संपूर्ण प्रक्रिया प्रापण विभाग के माध्यम से संपादित की जाती है।

प्रापण विभाग द्वारा निविदा / आरएफपी की तैयारी, प्रकाशन, बोली-पूर्व बैठकों का आयोजन, प्राप्त बोलियों की जांच एवं पुनरीक्षण समिति के माध्यम से परीक्षण, शर्तों के अनुरूप चयन, अनुबंध प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार शुद्धिपत्र / परिशिष्ट जारी करने जैसे कार्य किए जाते हैं। विभाग यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रापण कार्य निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं, सतर्कता मानकों एवं वित्तीय अनुशासन के अनुरूप हों।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी, बैंक गारंटी, भुगतान से संबंधित समन्वय, लेखापरीक्षा आपत्तियों का निस्तारण तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रापण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रकार प्रापण विभाग बैंक की लागत-प्रभावी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

विभाग के दैनिक कार्यों/पत्राचार/कार्यालय नोट में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दों के हिंदी पर्याय आगे प्रस्तुत किए गए हैं: —

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)	Request for Proposal (RFP)
परिचय	Introduction
आरएफपी का उद्देश्य	Objectives of the RFP
परिभाषाएँ	Definitions
निविदा बोलियाँ/आरएफ़पी आमंत्रित करना	Invitation to Tender Bids/ RFP
सत्यनिष्ठा समझौता	Integrity Pact
पात्रता मानदंड	Eligibility Criteria
कार्य का दायरा	Scope of Work
अवधि/संविदा अवधि	Term/Contract Period
बोली लगाने की लागत	Cost of Bidding
बोली की भाषा	Language of Bid
उप-ठेका / उप-संविदा Subcontracting	
बोली जमा/प्रस्तुत करने हेतु निर्देश	Instructions for Bid Submission
कीमत की वैधता	Price Validity
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	Authorized Signatory
आरएफपी की लागत	Cost of RFP
बयाना जमा-राशि (ईएमडी)	Earnest Money Deposit (EMD)
आरएफपी स्वामित्व	RFP Ownership
बोली स्वामित्व	Bid Ownership
बोली मूल्यांकन	Bid Evaluation
बोली की अस्वीकृति	Rejection of Bid

बोली में संशोधन और वापसी	Modification and Withdrawals of Bid
मूल्य संरचना	Price Composition
अहस्तांतरणीय प्रस्ताव	Non-Transferable Offer
पूर्णता की जिम्मेदारी	Responsibility for Completeness
आरएफपी का निरसन	RFP Cancellation
कर और शुल्क	Taxes and Duties
बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपी अधिकार)	Intellectual Property Rights (IP rights)
भुगतान की शर्तें	Payment Terms
सेवा स्तरीय करार	Service Level Agreement
कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	Performance Bank Guarantee (PBG)
परिनिर्धारित हर्जाना	Liquidated Damages
गोपनीयता	Confidentiality
दंड	Penalty
क्षतिपूर्ति / हर्जाना	Indemnity
दायित्व की सीमा	Limitation of Liability
अपरिहार्य घटना	Force Majeure
निकास खंड	Exit Clause
संविदा की समाप्ति	Termination of Contract
लेखापरीक्षा	Audit
हितों का टकराव	Conflict of Interest
प्रचार	Publicity

विवाद समाधान/निपटारा	Dispute Resolution
अधिकार क्षेत्र और शासी कानून	Jurisdiction and Governing Law
आरएफपी स्पष्टीकरण	RFP Clarifications
राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण खरीद पर प्रतिबंध	Restriction on Procurement due to National Security
मेक इन इंडिया को प्राथमिकता	Preference for Make in India
न्यूनतम मजदूरी	Minimum Wages
सांकेतिक वाणिज्यिक प्रस्ताव	Indicative Commercial Offer
बोलियों का सामान्यीकरण	Normalization of Bids
प्रतिवर्ती नीलामी के नियम	Rules for Reverse Auction
ठेका देना	Award of contract
अभिरुचि की अभिव्यक्ति / रुचि प्रस्ताव (ईओआई)	Expression of Interest (EoI)
हितों का सामंजस्य	Harmony of Interest
पुनरीक्षण/जांच समिति	Vetting Committee
अंतिम निविदा दस्तावेज़	Final tender document
भाव/बतानें हेतु अनुरोध	Request for Quote (RFQ)
आरएफपी जारी/करना	Floating of RFP
शुद्धिपत्र	Corrigendum
सहमति	Concurrence
विशिष्ट दायरा	Specific Scope
सूचीबद्ध करना	Empanelment
निविदा युक्तिका / निविदा परिशिष्ट	Addendum to tender
समग्र लागत सीमा	All-in-Cost Ceiling
प्राधिकृत एजेंट	Authorized Agent
एजेंसी प्रभार	Agency Charge
उप-संविदाकार	Sub-contractor
करार की शर्तें	Articles of Agreement
निविदा	Tender
निविदाकार	Tenderer
निविदा सूचना	Tender Notice
निविदा राशि	Tender Money

निविदा फार्म	Form of Tender
सशर्त / अपुष्ट बोली	Subject Bid
मांगी गई / प्रस्तावित कीमत	Asked Price
ठेका-अवधि	Tenure of Work
समाप्ति सूचना	Termination Notice
सहमत / तय कीमत	Agreed Price
अंतिम लागत	Terminal Cost
परिवर्धन और परिवर्तन	Additions and Alterations
परिवर्धन और सुधार	Additions and betterments
परिवर्धन-अपमार्जन	Additions-Deletions
अग्रिम अनुसूची	Advance Schedule
विज्ञापित बिक्री	Advertised Sale
नीलामी बिक्री	Auction Sale
नीलामकर्ता का कमीशन	Auctioneer's Commission
करार / कर्ज का समनुदेशन	Assignment of Contract / Debt
औचित्य लेखापरीक्षा	Audit against Propriety
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	Audit Objections
लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र	Audit Certificate
औपचारिक अनुमोदन	Formal Approval
औपचारिक मंजूरी	Formal Sanction
प्राधिकार देना	Authorization
प्राधिकार पत्र	Authorization Letter
सिद्धांततः स्वीकृत	Agreed in Principle
वैकल्पिक प्रस्ताव	Alternative Offer
नीलामी	Auction
नीलामी एजेंट	Auction Agent
विवाचन / मध्यस्थता	Arbitration
विवाचक / मध्यस्थ	Arbitrator

प्रदीप कुमार त्रिवेदी
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,
कें.का., मुंबई

दीवार में एक खिड़की रहती थी

आज हम चर्चा कर रहे है हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनमोल रत्न की, जिन्होंने अपनी लेखनी से साधारण जीवन को असाधारण बना दिया है। हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल की, जिन्हें वर्ष 2023 का 59वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत के लिए गर्व का विषय है।

छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य, जीवन की साधारण घटनाओं में असाधारण सौंदर्य खोजने का प्रयास है। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ। वे हिंदी साहित्य की उस धारा के प्रमुख लेखक हैं, जिसे "जादुई यथार्थवाद" कहा जाता है। उनकी लेखनी में गाँव, कस्बे, वहाँ के लोग और उनकी दुनिया, इतनी सहजता से उभरती है कि पाठक खुद को उन कहानियों का हिस्सा महसूस करने लगता है।

विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे रोजमर्रा की चीजों में छिपी गहरी संवेदनाओं को पकड़ने की कला में निपुण हैं।

उनके उपन्यास 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' पर प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक मोहन महर्षि सहित अन्य रचनाओं पर निर्देशकों द्वारा नाट्य मंचन किया जा चुका है। जब एक अवसर पर किसी के द्वारा मुझे यह पुस्तक भेंट की गई तो इसका शीर्षक मेंरे मन में उत्सुकता पैदा कर गया और जब इसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो लगा कि क्या पुस्तकें भी आपके मन की बातें समझ लेती हैं। जब आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस अनुभूति को सच होते देखेंगे। इस उपन्यास में बहुत कुछ कहा नहीं जाता, बल्कि चुप रहकर बताया जाता है। आप जब पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि आपकी अनकही भावनाएँ पहले से वहाँ मौजूद हैं – जैसे किताब आपको पहले से जानती हो। यह पुस्तक

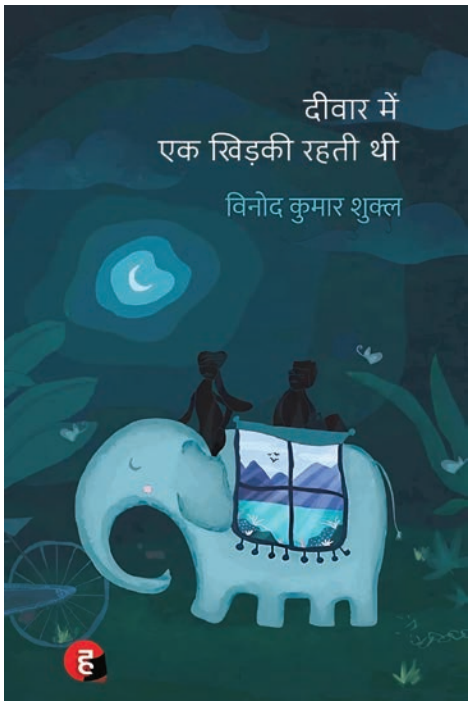

आपके दुख को कम नहीं करती, लेकिन दुख के साथ बैठना सीखा देती है – और यही सबसे बड़ी समझ है ।

हिंदी साहित्य में कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करतीं, पर पाठक के भीतर बहुत गहरी उतर जाती हैं। कुछ रचनाएँ अपने घटनाक्रम के कारण नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता, मौन और सादगी के कारण स्मृति में अंकित हो जाती है। यह उपन्यास पाठक से तेजी नहीं, बल्कि ठहराव की अपेक्षा करता है ।

"दीवार में एक खिड़की रहती थी" ऐसा ही एक उपन्यास है। यह उपन्यास न तो किसी बड़े कथानक के सहारे आगे बढ़ता है, न ही चौंकाने वाले मोड़ों से पाठक को बांधता है। फिर भी यह रचना अपनी सादगी, सूक्ष्म संवेदनाओं और मानवीय अनुभवों की गहराई के कारण पाठक के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। विनोद कुमार शुक्ल का यह उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य में एक अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। यह हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां बड़े नाटकीय संघर्ष नहीं है पर जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों का एहसास पूरी तीव्रता से मौजूद है ।

इस उपन्यास का कथानक अत्यंत साधारण प्रतीत होता है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है जो छोटे-छोटे अनुभवों, रोज़मर्रा की घटनाओं और मामूली दिखने वाले क्षणों को जीता है। उपन्यास में कोई बड़ा संघर्ष, नायक या खलनायक नहीं है। यहाँ जीवन अपने सहज रूप में उपस्थित है—धीमा, मौन और संवेदनशील। लेखक किसी घटना को केंद्र में रखकर कहानी नहीं कहता, बल्कि जीवन की निरंतर बहती धारा को शब्दों में पिरोता जाता है।

कथानक की विशेषता यह है कि इसमें घटनाओं से अधिक अनुभूतियों का महत्व है। पात्र क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। लेखक पाठक को बाहरी दुनिया की बजाय पात्रों की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कराता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में यह उपन्यास आपको अपने लिए एक नई ताजगी स्फूर्ति देने वाला प्रतीत होता है यह किताब मन को छूती है क्योंकि यह साधारण जीवन की उन्हीं परिस्थितियों को दिखाती है, जिनसे हर व्यक्ति गुजरता है जैसे अकेले बैठना, खिड़की से एकटक बाहर देखना, बिना कारण उदास होना या कोई छोटी सी बात से खुश हो जाना।

शीर्षक की सार्थकता

उपन्यास का शीर्षक "दीवार में एक खिड़की रहती थी" अत्यंत प्रतीकात्मक और गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। दीवार सामान्यतः बंद होने, रुकावट और सीमाओं का प्रतीक है, जबकि खिड़की खुलापन, रोशनी और संभावनाओं का उपदर्शन देती है।

यह खिड़की उस उम्मीद, संवेदना और मानवीय दृष्टि का प्रतीक है जो जीवन की कठोर दीवारों के बीच भी मौजूद रहती है। उपन्यास का पूरा कथ्य इसी खिड़की के इर्द-गिर्द घूमता

है—जीवन कितना भी सीमित या साधारण क्यों न हो, उसमें देखने और महसूस करने की एक खिड़की हमेंशा रहती है। खिड़की केवल बाहरी दुनिया को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि अन्तर्मन की ओर खुलने वाला द्वार भी है। यह उपन्यास हमें उपभोक्तावादी और तेज़ रफ्तार जीवन के विरुद्ध ठहरकर देखने की प्रेरणा देता है।

पात्र-चित्रण

उपन्यास के पात्र साधारण हैं, पर अत्यंत जीवंत। वे किसी महान उद्देश्य के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मानवीय सादगी है। विनोद कुमार शुक्ल पात्रों को गढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें जीने देते हैं। पात्रों के संवाद कम रखे गए हैं लेकिन उनके मौन की भी अपनी एक अलग भाषा है।

लेखक पात्रों को न तो आदर्श बनाता है और न ही दोषपूर्ण खलनायक। वे सामान्य मनुष्य हैं—संकोच से भरे, सपनों से जुड़े, कभी-कभी भ्रमित और कई बार अनकहे दुखों को ढोते हुए। यही कारण है कि पाठक इन पात्रों से सहज ही जुड़ जाता है।

भाषा और शैली

विनोद कुमार शुक्ल की भाषा इस उपन्यास की आत्मा है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, संवादात्मक और काव्यात्मक है। वे छोटी-छोटी पंक्तियों में बड़े भाव कह जाते हैं। कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि लेखक गद्य नहीं, बल्कि कविता लिख रहा है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति इसकी भाषा है। उनकी भाषा जीवन के बहुत निकट है । सामान्य सी घटना को इस तरह प्रस्तुत करो कि वो असाधारण लगने लग जाए यही इनकी लेखनी की खूबी है।

उनकी शैली में चुप्पी भी बोलती है। कई बार जो कहा नहीं गया है, वही सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। यह शैली पाठक से धैर्य की मांग करती है, लेकिन जो पाठक ठहरकर पढ़ता है, उसे यह भाषा भीतर तक छू जाती है। सिर्फ संवाद आपको बांध कर नहीं रखता कभी कभी मौन भी आपको सोचने पर विवश कर देता है ।

विषय-वस्तु

उपन्यास की विषय-वस्तु जीवन की साधारणता में छिपी गहराई है। इसमें कुछ विषय प्रमुख रूप से उभरते हैं— प्रथम अकेलापन और आत्मसंवाद, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे कोई भीड़ के बीच अकेला हो सकता है, कैसे आस-पास सबके होते हुए, भी वह खुद को अकेले पाता है और कैसे इस भीड़भाड़ वाले स्थान में भी खुद को तन्हा पाकर अपने मौन से संवाद करता पाया जाता है। जीवन में बड़े-बड़े लक्ष्यों की ओर भागते हुए हम छोटे-छोटे सुखों का महत्व भूल जाते हैं जो इसमें आपको याद दिलाया गया है। हर व्यक्ति की सीमा अलग होती है और उन सीमाओं में रहकर स्वयं की तलाश और आजादी का अनुभव कैसे किया जा सकता है यह उपन्यास आपको यह भी बताता है। मशीनी युग में जीते-जीते सब मशीनों के आदि हो गए हैं परंतु मानवीय सबन्धों की नाजुकता का कोई विकल्प नहीं है, मानसिक और भावनात्मक प्रतीक सिर्फ मानवीय सम्बन्धों में पाए जाते हैं जो कभी बदल नहीं सकते ।

हालाँकि यह उपन्यास प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करता, फिर भी यह समाज के भीतर मौजूद अकेलेपन, असंवाद और सीमित जीवन-दृष्टि को बहुत गहराई से छूता है। यह शहरी और कस्बाई जीवन की उस स्थिति को उजागर करता है जहाँ मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी अकेला है।

इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका धीमापन है। यह उपन्यास जल्दबाज़ी में नहीं पढ़ा जा सकता। इसे पढ़ते समय पाठक को स्वयं भी धीमा होना पड़ता है। यह रचना पाठक को सोचने, महसूस करने और भीतर झाँकने का अवसर देती है।

"दीवार में एक खिड़की रहती थी" समकालीन हिंदी उपन्यासों में एक अलग धारा का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपन्यास साबित करता है कि साहित्य केवल बड़े मुद्दों की घोषणा नहीं, बल्कि जीवन की छोटी सच्चाइयों की अभिव्यक्ति भी हो सकता है।

यह रचना विनोद कुमार शुक्ल को एक संवेदनशील, मौलिक और गहरे लेखक के रूप में स्थापित करती है।यह उपन्यास दीवारों से भरी दुनिया में खिड़की खोजने की प्रेरणा देता है—अपने भीतर भी और अपने आसपास भी। जो पाठक साहित्य में संवेदना, गहराई और ठहराव खोजते हैं, उनके लिए यह उपन्यास एक अनमोल अनुभव है।

आज के दौर में पुस्तक की प्रासंगिकता

इस पुस्तक को आज के समय से बहुत सहज और गहरे रूप से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका मूल भाव आशा, संवेदना और विकल्प से जुड़ा है - जो आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज का मनुष्य कई दीवारों से घिरा हुआ है जैसे प्रतिस्पर्धा का दबाव, बड़े शहरों का अकेलापन, कामकाज की अधिकता से मानसिक तनाव, साथ काम कर रहे लोगों की सामाजिक असमानता, लक्ष्य के पीछे भाग रहें मनुष्यों में संवेदनहीनता। ऐसे समय में यह पुस्तक हमें बंद दीवारों के बीच खिड़कियों को ढूँढने की प्रेरणा देती है। उन रोशनी और संभावनाओं को ढूँढने के लिए किस प्रकार आपको इस तेज जिंदगी में थम जाना पड़ेगा यह पुस्तक हमें सिखाती है। पुस्तक यह संदेश देती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, आशा का एक रास्ता हमेंशा बचा रहता है – बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए।

उपासना सिरसैया
क्षे.का., बड़ौदा

शीत ऋतु में स्वस्थ रहने के सरल उपाय

शीत ऋतु यानि सर्दियों का मौसम, भारत में शीत ऋतु का आगमन अपने साथ ठंड, कोहरा और दिनचर्या में बदलाव लेकर आता है। यह मौसम जहाँ एक ओर राहत और त्योहारों की गर्माहट देता है, वहीं दूसरी ओर सर्दी–जुकाम, खांसी, जोड़ों के दर्द, त्वचा का रूखापन और कभी कभी बीमारियाँ भी लाता है। ठंड के कारण लोग बाहर कम निकलते हैं, शारीरिक गतिविधियां घट जाती हैं और खान–पान में अनियमितता आ जाती है। ऐसे में यदि हम कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें, तो सर्दियों में भी स्वयं को और अपने परिवार को स्वस्थ रखा जा सकता है।

सबसे पहले इस मौसम में शरीर को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है इसलिए सर्दियों में सही कपड़ों का चयन भी अत्यंत आवश्यक है। गर्म कपड़े पहनें, सर – कान और पैर को ढककर रखें, क्योंकि ठंड का प्रभाव सबसे पहले इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है। विशेषकर सुबह और शाम ठंडी हवा से बचें। स्वेटर और जैकेट मिलकर शरीर की ऊष्मा को बनाए रखते हैं ज्यादा ठंडी होने पर इनका प्रयोग जरूर करें। सर्दियों में त्वचा की देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि ठंडी और शुष्क हवा से त्वचा रूखी हो जाती है। नियमित रूप से मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करने से त्वचा स्वस्थ बनी रहती है।

सर्दियों में खान – पान का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है, इस मौसम में शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए शरीर लगातार काम करता रहता है। इसी कारण भूख बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु यह आवश्यक है कि बढ़ी हुई भूख को संतुलित और पौष्टिक भोजन से पूरा किया जाए। इस मौसम में मौसमी सब्जियाँ जैसे गाजर, पालक, मेंथी, सरसों और चुकंदर विशेष रूप से लाभकारी होती हैं। इनमें मौजूद विटामिन और खनिज शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। फलों में आंवला, अमरूद, संतरा और सेब को आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी–जुकाम से बचाव में सहायक होते हैं। दालें, दूध, दही और पनीर जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देते हैं और थकान कम करते हैं। सर्दियों में तिल, मूंगफली और अखरोट जैसे खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में लेने से शरीर को आवश्यक ऊष्मा मिलती है। दाल- सब्जियाँ, घी और सूखे मेंवे खाना इस मौसम में विशेष लाभदायक होता है। ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, पर शरीर को पानी की आवश्यकता उतनी ही रहती है। पर्याप्त पानी न पीने से थकान, कब्ज और त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए दिन भर में नियमित अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। गुनगुना पानी इस मौसम में अधिक लाभकारी होता है। सूप, हर्बल चाय और हल्दी वाला दूध जैसे पेय न केवल शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि संक्रमण से बचाव में भी मदद करते हैं।

कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए सर्दियाँ विशेष चुनौती लेकर आती हैं। सुबह जल्दी उठना और ठंड में काम पर जाना कठिन लग सकता है, पर दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम या कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग से करने पर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। कार्यालय में लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना चाहिए और बीच–बीच में थोड़ी देर चलना चाहिए। भोजन के समय घर का बना खाना लेने से पाचन बेहतर रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि नींद की कमी से रोग–प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है।

गृहिणियों के लिए सर्दियों में घरेलू कार्यों के साथ–साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। ठंडे पानी से लंबे समय तक काम करने से जोड़ों और हाथों में दर्द हो सकता है, इसलिए जहाँ संभव हो गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए। परिवार के भोजन का ध्यान रखते–रखते अपने पोषण को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। हल्का व्यायाम, योग या घर के कामों के बीच थोड़ी–सी स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय रखती है और थकान कम करती है।

बुज़ुर्गों के लिए शीत ऋतु विशेष सावधानी का समय होती है। ठंड से उनका शरीर अधिक प्रभावित होता है, इसलिए उन्हें ऊनी कपड़े, मोज़े और टोपी का नियमित उपयोग करना चाहिए। जोड़ों के दर्द से राहत के लिए हल्की मालिश और गुनगुने पानी से स्नान लाभकारी रहता है। सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बैठना न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। दवाइयों का नियमित सेवन और स्वास्थ्य जाँच जारी रखना इस मौसम में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

बच्चों के लिए सर्दियाँ आनंद का मौसम होती है, परंतु उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। उन्हें पौष्टिक नाश्ता देना चाहिए, जिसमें दूध, दलिया, फल और अन्य पोषक तत्व शामिल हों। साफ–सफाई की आदतें, जैसे हाथ धोना और सर्दी–जुकाम में रूमाल का प्रयोग, बच्चों को संक्रमण से बचाती हैं। धूप में खेलना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लाभकारी होता है।

सर्दियों में शारीरिक गतिविधि कम हो जाना आम बात है, परंतु स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। योग, प्राणायाम, टहलना या कोई भी हल्का व्यायाम शरीर में रक्तसंचार को बेहतर बनाता है और ठंड का प्रभाव कम करता है। इस मौसम में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए परिवार के साथ समय बिताना, किताब पढ़ना या संगीत सुनना सकारात्मक प्रभाव डालता है।

अंततः, शीत ऋतु में स्वस्थ रहना किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही आहार, पर्याप्त पानी, उचित कपड़े, नियमित व्यायाम और सकारात्मक दिनचर्या के समन्वय से संभव होता है। यदि हम थोड़ी–सी सावधानी और अनुशासन अपनाएँ, तो सर्दियाँ न केवल सुरक्षित बल्कि आनंददायक भी बन सकती हैं और पूरा परिवार इस मौसम का भरपूर आनंद लेते हुए स्वस्थ रह सकता है।

मंगेश कुमार सोलंकी
क्षे.का., आणंद

एआई- आधुनिक अध्यापक

एक बड़े शहर की ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच एक मध्यमवर्गीय कॉलोनी में चार सदस्यों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में नौ साल का आरव, उसके माता-पिता और दादी रहते थे। आरव के पिता एक निजी कार्यालय में कार्यरत थे और सुबह जल्दी निकलकर देर शाम घर लौटते थे। आरव की माँ पहले एक स्कूल में पढ़ाया करती थीं, लेकिन बेटे के जन्म के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और अब घर से ही कुछ ऑनलाइन कार्य करती थीं।

आरव स्वभाव से चंचल था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वह कमजोर था। स्कूल में वह ठीक-ठाक नंबर तो ले आता था, पर पढ़ाई में उसकी रुचि बहुत कम थी। किताब खोलते ही उसका मन भटकने लगता। कभी खिड़की से बाहर देखने लगता, कभी पेंसिल से कागज़ पर रेखाएँ खींचने लगता। माँ बार-बार समझातीं, पर आरव को पढ़ाई बोझ जैसी लगती थी।

स्कूल से लौटने के बाद आरव का अधिकतर समय यूँ ही बीत जाता। कभी टीवी देखता, कभी इधर-उधर घूमता। होमवर्क को वह आखिरी समय तक टालता रहता। माँ जब उसे बैठाकर पढ़ाने की कोशिश करतीं, तो वह चिड़चिड़ा हो जाता। दादी उम्र के कारण अब ज़्यादा मदद नहीं कर पाती थीं, बस इतना कहतीं—"बेटा, पढ़ाई ज़रूरी है।"

एक दिन स्कूल से आरव की प्रगति रिपोर्ट आई। अध्यापक ने साफ़ लिखा था कि आरव समझदार है, लेकिन ध्यान की कमी और अभ्यास न करने के कारण पीछे रह जाता है। यह पढ़कर माता-पिता दोनों चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि आरव आत्मविश्वास के साथ सीखे, न कि डर या दबाव में।

उसी शाम आरव के पिता ने अपने एक मित्र से बात की, जिसने बताया कि आजकल एआई आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। वे बच्चों की क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं और सीखने को रोचक बना देते हैं। पहले तो आरव की माँ को संदेह हुआ—"मोबाइल से पढ़ाई? कहीं यह भी लत न बन जाए।" लेकिन फिर दोनों ने तय किया कि सही नियमों और समय सीमा के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है।

अगले दिन पिता ने आरव को पास बुलाया और प्यार से समझाया कि यह मोबाइल खेलने के लिए नहीं, बल्कि सीखने का एक नया साधन होगा। उन्होंने उसे एक एआई आधारित लर्निंग ऐप दिखाया। ऐप में रंग-बिरंगे चित्र, छोटे-छोटे वीडियो, खेल के रूप में प्रश्न और कहानियों के ज़रिये पढ़ाई कराई जाती थी।

शुरुआत में आरव ने संकोच से ऐप खोला, लेकिन जैसे ही उसने गणित के सवाल खेल की तरह हल करने शुरू किए, उसका मन लगने लगा। जब वह कोई सवाल गलत करता, तो ऐप उसे डाँटता नहीं था, बल्कि आसान उदाहरण देकर फिर से समझाता। हिंदी की कविता अब उसे किसी कहानी की तरह सुनाई जाती और विज्ञान के अध्याय छोटे-छोटे प्रयोगों के वीडियो से समझाए जाते।

सबसे खास बात यह थी कि ऐप आरव की प्रगति को समझता था। जहाँ वह कमजोर था, वहाँ ज़्यादा अभ्यास देता और जहाँ वह अच्छा कर रहा था, वहाँ उसे आगे बढ़ाता। आरव को पहली बार लगा कि कोई उसे उसकी गति से पढ़ा रहा है, बिना तुलना किए।

धीरे-धीरे आरव की दिनचर्या बदलने लगी। वह तय समय पर ऐप खोलता, सीखता और फिर खुद ही मोबाइल बंद कर देता। ऐप उसे समय-समय पर आँखों को आराम देने और ब्रेक लेने की याद दिलाता था। अब आरव खाली समय में दादी को नई बातें बताता—कभी ग्रहों के बारे में, कभी किसी कहानी का सार।

माँ भी उसके साथ बैठकर सीखने लगीं। वे अब केवल पढ़ाने वाली नहीं, बल्कि सीखने की साथी बन गई थीं। पिता जब शाम को घर आते, तो आरव उत्साह से उन्हें बताता कि आज उसने क्या नया सीखा। घर का माहौल बदलने लगा—अब पढ़ाई डर नहीं, जिज्ञासा बन गई थी।

स्कूल में भी इसका असर दिखने लगा। आरव अब सवाल पूछने लगा, उत्तर देने में हिचकता नहीं था। अध्यापक ने माता-पिता को बुलाकर कहा कि आरव में सकारात्मक बदलाव आया है। उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और समझने की क्षमता भी।

समय के साथ आरव ने यह सीख लिया कि तकनीक का सही उपयोग कितना ज़रूरी है। माता-पिता ने भी स्पष्ट नियम बनाए—खेल, पढ़ाई और आराम, तीनों का संतुलन। एआई अब आरव के लिए मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान का सहायक बन चुका था।

एक दिन दादी ने मुस्कराते हुए कहा—"पहले किताबें गुरु थीं, अब यह नई तकनीक भी गुरु बन सकती है, बस सही मार्गदर्शन ज़रूरी है।" आरव ने दादी की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन तय किया कि वह सीखने की इस आदत को कभी नहीं छोड़ेगा।

एआई यदि माता-पिता की निगरानी, समय सीमा और सही उद्देश्य के साथ उपयोग किया जाए, तो यह बच्चों के लिए वरदान बन सकता है। यह न केवल सीखने को आसान बनाता है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और समझने की क्षमता भी विकसित करता है।

कुलदीप सिंह चौहान
कार्यनीति वर्टिकल,
कें.का., मुंबई

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

नराकास, हल्द्वानी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे.का., हल्द्वानी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 28.11.2025 को डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (उत्तर-2), एवं श्री विशाल कुमार, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री नवीन निश्चल, क्षेत्र प्रमुख तथा श्रीमती रीता, प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, कोल्लम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 18.12.2025 को श्री गजेंद्र सिंह अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सत्यनारायण रेड्डी, उप क्षेत्र प्रमुख तथा श्रीमती कला सीएस, वरिष्ठ प्रबंधक(रा.भा.)।

नराकास, दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली-उत्तर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 22.12.2025 को श्री आर. विश्वेश्वरन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजकुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा सुश्री ऊषा, सहायक प्रबंधक(रा.भा)।

नराकास, वाराणसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 17.12.2025 को डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.(उत्तर-2) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए, श्री शैलेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा)।

नराकास, जौनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, जौनपुर-उत्तर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 29.12.2025 को श्री राम अवध, जिला, विकास प्रबंधक, नाबार्ड से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संतोष कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री देवांश सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा)।

नराकास, रीवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 21.11. 2025 को श्री मोहम्मद इब्राहीम, सहायक महाप्रबंधक से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री दीपक कुमार, प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, रामनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अग्रणी बैंक कार्यालय, रामनगर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 26.11.2025 को श्रीमती निशा, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, चन्नपटना से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मोहन कुमार वाई एन, मुख्य प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

नराकास, अंबरनाथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे की अंबरनाथ शाखा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 26.11.2025 को श्री बी.वी. राव, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अवनीश कुमार, शाखा प्रमुख।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

नराकास, रूपनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना की रूपनगर शाखा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 30.10.2025 को श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का. (उत्तर-1) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संदीप पठानीया,शाखा प्रमुख।

नराकास, अलीबाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का. ग्रेटर-पुणे की अलीबाग शाखा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 15.12.2025 को श्री नितीन हिरडे, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री निखिल जाधव, अलीबाग शाखा प्रमुख।

नराकास, सीतामढ़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का. समस्तीपुर की सीतामढ़ी शाखा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 24.12.2025 को श्री अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आकाश कुमार, शाखा प्रमुख।

नराकास, जमशेदपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का. राँची की जमशेदपुर मुख्य शाखा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 22.12.2025 को डॉ संदीप घोष चौधुरी, अध्यक्ष, नराकास, से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री एन.वी प्रभाकर, शाखा प्रमुख।

नराकास, गुवाहाटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी की गृह पत्रिका 'यूनियन लोहित धारा' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 24.12.2025 को सुश्री सुस्मिता फुकन, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई एवं श्री प्रभात बोस, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अभिनव भट्ट, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री नंदन शर्मा, प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, होशियारपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु क्षे. का. जालंधर की होशियारपुर शाखा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 28.10.2025 को श्री जे. के. मंडल, सहायक निदेशक(का.), क्षे.का.का(उत्तर-1) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मनिन्दर सिंह, शाखा प्रमुख तथा सुश्री रूमा, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)।

नराकास, सीवान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का. समस्तीपुर की सीवान शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 19.12.2025 को श्री अमित कुमार भदानी, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजीव पासवान, शाखा प्रमुख।

नराकास, फ़रीदाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षे. का. गुरुग्राम की फ़रीदाबाद शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 18.12.2025 को श्री राज मंगलम, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संजय कुमार, मुख्य प्रबंधक तथा श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक (रा.भा.)

नराकास, मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा की मथुरा शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 09.12.2025 को डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.(उत्तर-2) से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रोहित अग्रवाल, शाखा प्रमुख। ।

नराकास, फिरोज़ाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा की फ़िरोजाबाद शाखा को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया । दिनांक 31.10.2025 को श्री निमिष कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री धर्मेन्द्र दीक्षित, मुख्य प्रबंधक।

नराकास, रामपुर द्वारा को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली की रामपुर शाखा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 22.12.2025 को श्री पूर्ण सिंह धर्मसत्तू, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुनील कुमार शाखा प्रमुख एवं श्री राधा रमन शर्मा, प्रबंधक (रा.भा.)।

दिनांक 10.11.2025 को सुश्री सीमा सोनी, सहायक निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 20.12.2025 को श्री हरीश सिंह चौहान, उप निदेशक (का.),क्षे. का. का. (पश्चिम) द्वारा खांडा कॉलोनी पनवेल शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 29.11.2025 को डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का. (उत्तर-2) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

दिनांक 19.11.2025 को क्षे. का., कोल्लम द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री जे सुब्रमणियम, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 10.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर-पुणे द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में श्री उपेंद्र कुमार पाल, क्षेत्र प्रमुख प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा में उत्तीर्ण विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए।

दिनांक 10.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 09.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम वी तिलक, क्षेत्र प्रमुख, विजयवाडा द्वारा किया गया।

दिनांक 09.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, खम्मम द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ श्री ए हन्मंत रेड्डि, क्षेत्र प्रमुख और श्री एन सुधाकर राव, उप क्षेत्र प्रमुख ।

दिनांक 02.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय ब्रह्मपुर द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ श्री मेघाई मर्ण्डि,उप क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 20.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुप्पूर द्वारा आयोजित एक एकदिवसीय हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ श्री एम चेल्लदुरै जी, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया ।

दिनांक 06.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता-मेट्रो द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री अभिजीत धर,उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 02.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु-दक्षिण द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

दिनांक 08.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु द्वारा आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. जी. राज कुमार, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 29.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री अनुज कुमार सिंह, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 24.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा में आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री अजय खरे, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया।

दिनांक 10.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीकाकुलम द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उदघाटन श्री पैडि राजा, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया ।

दिनांक 20.11.2025 को क्षे.का., तिरुवनंतपुरम की एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री दीपक चार्ली, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री रोहिनी, सहायक निदेशक, राजभाषा, महा लेखाकार कार्यालय उपस्थित रहे।

दिनांक 28.11.2025 को क्षे.का., बरेली की एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय, उप क्षेत्र प्रमुख।

दिनांक 24.10.2025 को नराकास, कोच्चि की अर्धवार्षिक बैठक श्री एस सक्थिवेल, अंचल प्रमुख, एर्णाकुलम की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

दिनांक 23.12.2025 को नराकास, करीमनगर की अर्धवार्षिक बैठक सुश्री डी अपर्णा रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में की गई।

दिनांक 26.11.2025 को श्री मोहन कुमार वाई. एन., अग्रणी जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में नराकास,रामनगर की प्रथम अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 26.11.2025 को श्री अवध बिहारी चौधरी, अग्रणी जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में नराकास, सीधी की अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 16 .12.2025 को श्री पैडि राजा, क्षेत्र प्रमुख, श्रीकाकुलम की अध्यक्षता में नराकास, श्रीकाकुलम अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।

दिनांक 24.10.2025 को श्री सी वी एन भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा की अध्यक्षता में नराकास (बैंक व बीमा), विजयवाडा की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।

दिनांक 02.12.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा नराकास (बैंक एवं बीमा) राँची के तत्वावधान में सभी सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित एक-दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन उप-क्षेत्र प्रमुख श्री नीरज कुमार कंधवे ने किया।

दिनांक 18.12.2025 को नराकास, विशाखपट्टणम की अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन डॉ एच.टी. वासप्पा, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया ।

दिनांक 22.12.2025 को अंचल कार्यालय, मंगलूरु में "कार्यपालकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी" श्री राजेंद्र कुमार, अंचल प्रमुख, मंगलूरु की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

दिनांक 18.10.2025 को श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यपालकों हेतु अंचलीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

राजभाषा पुरस्कार / समाचार

दिनांक 10.12.2025 को अंचल कार्यालय, विजयवाडा द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में श्री सी वी एन भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा, श्री एम वी एन रवि शंकर, उप अंचल प्रमुख, विजयवाडा उपस्थित रहे।

दिनाकं 17.11.2025 को क्षेत्रीय भाषाओं में स्टाफ सदस्यों हेतु भाषा शिक्षण कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती ए शारदा मूर्ती, उप अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 21.11.2025 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों हेतु अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन डॉ. एच.टी. वासप्पा, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 17.12.2025 को अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक – 2025 का आयोजन श्री कल्याण वर्मा, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया।

दिनांक 28.11.2025 को अंचल कार्यालय, दिल्ली द्वारा अंचलाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा प्रभारियों की अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन श्री ब्रजेश नन्दन, उप अंचल प्रमुख की अध्यक्षता किया गया।

दिनांक 22.12.2025 को अंचल कार्यालय, मंगलूरु में "अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक" श्री राजेंद्र कुमार, अंचल प्रमुख, मंगलूरु की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

दिनांक 04.10.2025 को भोपाल में माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल द्वारा श्री प्रहराजु नरेश, सहायक महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय भोपाल को "हिंदी सेवी सम्मान" प्रदान किया गया ।

दिनांक 10.12.2025 को क्षे. का., बोरीवली एवं क्षे. का., अंधेरी की संयुक्त हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री गणेश प्रसाद, उप अं. प्र, मुंबई और श्री मुकेश कुमार बब्बर, क्षे. प्र, बोरीवली द्वारा किया गया।

केंद्रीय कार्यालय के तत्वावधान में
विभिन्न केंद्रों में आयोजित दो दिवसीय
कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – यूबीकेसी

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – भुवनेश्वर

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – गुरुग्राम

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – हैदराबाद

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – भोपाल

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – मंगलूरु

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – लखनऊ

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान – विशाखपट्टणम

दिनांक 29.12.2025 से 30.12.2025 स्थान- मुंबई

आपकी नज़र में

यूनियन सृजन के अप्रैल–जून 2025 अंक को पढ़ना अत्यंत सुखद और समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। इस अंक में राजभाषा कार्यान्वयन, भाषाई बाज़ार, वैश्वीकरण, बैंकिंग में एजेंटिक एआई, एआई युग में कार्यबल रूपांतरण, तथा डिजिटल युग में हिंदी साहित्य जैसे समसामयिक और प्रासंगिक विषयों को सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये लेख जानकारीपूर्ण होने के साथ पाठकों को वर्तमान परिवेश को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

साहित्यिक खंड में कविताएँ, लघुकथाएँ, संस्मरण और प्रेरक रचनाएँ—जैसे काश! तुम होती माँ, मेरा गाँव, बहुत दिनों हो गए, निखर मोती और वीर सागर साई—पत्रिका को भावनात्मक और सांस्कृतिक सुंदरता प्रदान करती हैं। बैंक परिवार की सृजनशीलता इस अंक में प्रभावशाली रूप से दिखाई देती है।

पूरे अंक में भाषा की सरलता, विषयों का संतुलन और प्रस्तुति की स्पष्टता सराहनीय है। यह अंक ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता से परिपूर्ण है।

संपादकीय टीम के प्रति हृदय से प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों ने इस अंक को प्रभावी, उत्कृष्ट और पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया है।

चरणसिंह चौधरी
मुख्य प्रबन्धक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटा

'यूनियन सृजन' का यह राजभाषा विशेषांक अपनी सहजता और विषयों की विविधता के कारण प्रारंभ से ही पाठक को बाँध लेता है। पत्रिका में कहीं भी औपचारिकता का बोझ नहीं दिखता, जबकि विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। राजभाषा, बैंकिंग, तकनीक, साहित्य और जीवन-अनुभव—सभी का संतुलित समावेश इसे पठनीय और रोचक बनाता है।लेखों की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और संवादात्मक है, जिससे जटिल विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। यात्रा-वृत्त, कविताएँ और ज्ञानपरक लेख पढ़ने की निरंतर रुचि बनाए रखते हैं और पत्रिका को एकरस होने से बचाते हैं। स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि सामग्री का चयन पाठक की रुचि और सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।यह अंक यह सिद्ध करता है कि अच्छी पत्रिका वही होती है जो जानकारी भी दे, प्रेरणा भी दे और पाठक को थकाए नहीं। 'यूनियन सृजन' इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। संतुलित विषय-चयन, सुस्पष्ट भाषा और सुव्यवस्थित प्रस्तुति के कारण यह विशेषांक स्मरणीय बन पड़ा है। इस स्तर की पठनीयता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संपादकीय टीम निस्संदेह प्रशंसा और बधाई की पात्र है।

सीतांजली पाल
सदस्य सचिव
नराकास, विशाखापट्टणम

'यूनियन सृजन' के जुलाई–सितंबर 2025 राजभाषा विशेषांक की प्रति प्राप्त हुई। सर्वप्रथम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार एवं हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' को राजभाषा किर्ति पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु हार्दिक बधाई।

पत्रिका को पढ़ते हुए यह आभास हुआ कि पत्रिका अपने विषयों को सरल और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करती है। विभिन्न लेख—जैसे "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति", "संसदीय राजभाषा समिति", "राजभाषा विभाग के 50 वर्ष", "राजभाषाई निरीक्षण", "वित्त एवं लेखा विभाग की शब्दावली", "राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली", और "देवनागरी लिपि"—राजभाषा से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को बिना अतिशयोक्ति के, स्वाभाविक ढंग से सामने लाते हैं और यह दिखाते हैं कि बैंकिंग और प्रशासन में भाषा किस प्रकार व्यावहारिक भूमिका निभाती है । इन लेखों की भाषा सरल है और जानकारी क्रमबद्ध रूप से रखी गई है, जिससे पाठक विषय को सहजता से समझ पाते हैं। साहित्यिक सामग्री भी अंक में एक संतुलित विविधता जोड़ते हैं, जिससे पत्रिका न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी पूर्ण दिखाई देती है ।

'यूनियन सृजन' के इस सितंबर अंक में भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित राजभाषा गतिविधिओं के छायाचित्रों से हमें आपके बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त हुई है। इस सफल प्रकाशन हेतु आपकी टीम को हार्दिक बधाई एवं आने वाले अंकों हेतु शुभकामनाएँ।

हरीश सिंह चौहान
उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.(पश्चिम)

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा अंचल कार्यालय, कोलकाता का निरीक्षण दि. 23.12.2025

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के सदस्य श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो और श्री ओमप्रकाश राजेनिंबालकर के कर कमलों से निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री दिलीप मिश्रा, अंचल प्रमुख, कोलकाता। साथ हैं श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.), श्री विवेकानन्द, सहायक महाप्रबंधक (राभा), श्री एंथनी बारा, वरिष्ठ प्रबन्धक(रा.भा.), श्री धर्मबीर, उप निदेशक (राभा) वित्तीय सेवाएँ विभाग और श्री धीरज भास्कर, उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-बोरीवली का निरीक्षण दि. 18.11.2025

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के संयोजक श्री श्रीरंग आप्पा बारणे तथा समिति सदस्य डॉ. धर्मशीला गुप्ता के कर-कमलों से निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री बिरजा प्रसाद दास, मुख्य महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख मुंबई। साथ है श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.), श्री मुकेश कुमार बब्बर, क्षेत्र प्रमुख, मुंबई-बोरीवली, श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक(रा.भा.), श्री संजय प्रसाद, वरिष्ठ प्रबंधक(रा.भा.),सुश्री राधा मिश्र, वरिष्ठ प्रबंधक(रा.भा.), श्री चंद्रदीप कुमार झा, उप महानिदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग एवं श्री धर्मबीर, उप निदेशक(रा.भा.), वित्तीय सेवाएँ विभाग।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा अरियलूर शाखा का निरीक्षण दि. 30.10.2025

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा दि. 30.10.2025 को क्षे. का., तिरुचिरापल्ली के अंतर्गत अरियलूर शाखा के निरीक्षण में श्री एलदोस बाबू, शाखा प्रबंधक, अरियलूर शाखा तथा श्री जनार्दन कुमार, सहायक प्रबंधक (रा.भा.) उपस्थित रहे और श्री सतीश कुमार गौतम, समिति सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह, समिति सदस्य तथा श्री भर्तृहरि महताब, समिति उपाध्यक्ष से `संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन' पुस्तक की प्रति प्राप्त की।

RNI No. MAH HIN/2016/68433

निःशुल्क वितरण हेतु

मेहरानगढ़ किला, जोधपुर

युक्ति व्यास
एसएएमवी - एलएसडी, कें.का., मुंबई